ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

मई : 2004

मूल्य : 7 रुपये

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें

कथा कथक की उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक, जो मंदिरों व राजसी प्रांगणों से निकलकर विभिन्न कलावंत घरानों के माध्यम से आज देश-विदेश में अपनी उज्ज्वल छटा बिखेर रहा है, की रोचक प्रस्तुति है।

मूल्य : 100.00 रुपये पृष्ठ संख्या : 92

भारतीय महिलाएं नई दिशाएं में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं, उनके लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे कार्यों, शहरों एवं ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं से संबंधित उत्कृष्ट लेख हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सुप्रसिद्ध लेखिकाओं तथा लेखकों द्वारा लिखे गए हैं।

मूल्य : 65.00 रुपये पृष्ठ : 132

विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं - भाग-1 में देश-विदेश की अनेक छोटी-छोटी, रोचक लोक कथाएं हैं। यह पुस्तक बालोपयोगी है एवं इसकी कहानियां शिक्षाप्रद है।

मूल्य : 45.00 रुपये पृष्ठ : 73

पी० के० सैनी

प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्र

प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001; सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001; हाल न. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054; कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038; राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090; 8 एम्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069; बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004; प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम-695001; 27/6 राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226001; प्रथम तल, गृहकल्प काम्प्लेक्स, नामपल्ली, हैदराबाद-500001; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केन्द्रीय सदन, कोरामंडल, बंगलौर-560034, अम्बिका काम्प्लेक्स, प्रथम तल, यूको बैंक के ऊपर, पालदी, अहमदाबाद-380007; नोझम रोड, उजान बाजार, गुहावटी-781001

पत्र सूचना कार्यालय के विक्रय केन्द्र : सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए. बी. इंदौर (म.प्र.); 80 मालवीय नगर, भोपाल-462003; बी/7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001

योजना

वर्ष : 48 अंक 2 मई, 2004 वैशाख–ज्येष्ठ, शक–संवत् 1926

प्रधान संपादकीय सलाहकार – **प्रो. उमाकांत मिश्रा**

प्रधान संपादक – **महादेव पकरासी**

संपादक – **राजेन्द्र राय**

उप संपादक – **रेमी कुमारी**

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666 / 2508, 2566
ई–मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 24367260, 2436509, 24365610

आवरण – **मुकुल चक्रवर्ती**

रेखांकन – **नवल किशोर**

इस अंक में

• **वर्तमान आर्थिक परिदृश्य : कुछ चिंतन**	आई जी पटेल	6
• उनकी कराह	क्षमा शर्मा	13
• **असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र**	हर्ष भाल	17
• **बाल श्रम और इसकी रोकथाम की रणनीति**	नीति टंडन और स्नेह लता टंडन	23
• **बालश्रम : बहुतेरे हैं आयाम**	कौशलेन्द्र प्रपन्न	28
• **भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता**	नरेन्द्रपाल सिंह और गौरव	33
• **विज्ञान – भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रगति पथ पर**	जी. माधवन नायर	38
• **ज्ञान सागर**	प्रबीर कुमार	40
• **मंथन – धर्म – एक तात्विक विवेचन**	आभा श्रीवास्तव	41
• **जहां चाह, वहां राह अब कोई बेटी बोझ नहीं – झारखण्ड में**	बबीता रानी जायसवाल	42
• **स्वास्थ्य चर्चा**	–	44
• **नए प्रकाशन**	–	46
• **वर्ष 2003 में प्रकाशित लेखों की सूची**	–	47

योजना हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलगू तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :–

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; द्विवार्षिक : 135 रु.; त्रैवार्षिक : 190 रु., विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

आमतौर पर मई का महीना तो ज्यादा गर्म होता ही है, परंतु चुनावी सरगर्मी ने इस बार मई को कुछ ज्यादा ही गर्म बना दिया है। जहां देखो वहीं विभिन्न राजनीतिक दल अपने लुभावने विज्ञापनों एवं आकर्षक मेनिफेस्टो से लोगों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे तपते मौसम में कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों को भी इस बार गर्मी की तपिश सता नहीं रही। जाहिर–सी बात है चुनावी माहौल में हाशिये के लोगों की भी अचानक पूछ बढ़ जाती है। चुनाव से तथा सत्ता में आने वाली पार्टी से कई उम्मीदें इन्हें भी हैं। खैर ... कल क्या होगा और सत्तारूढ़ पार्टी से किस वर्ग को रेबड़ियां मिलेंगी कहना मुश्किल है। बहरहाल, 'योजना' का यह अंक 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को जरूर समर्पित है। और समर्पित है देश के उन वरिष्ठ नागरिकों को भी जिनकी कराह आज उनके कोख से जन्मे बच्चे भी नहीं सुन पाते। आज देश में लगातार बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है और बढ़ते जा रहे हैं 'ओल्ड एज होम्स'। इनकी समस्याएं आज एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप धर चुकी हैं जिसे सुलझाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सरकारी संस्थाओं की ही नहीं है बल्कि हरेक बच्चे की है। अंक में प्रसिद्ध लेखिका क्षमा शर्मा ने अपने स्नेहिल लेखन से उनकी समस्याओं और परेशानियों का बयान किया है तथा ऐसे बच्चों के अंतर्मन को झकझोरने की हल्की–सी कोशिश भी।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया ताकि संगठित क्षेत्र में मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाने तथा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए न्यूनतम संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक संरक्षण कानून बनाया जा सके। श्रमिकों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा एवं बाल श्रम की समस्या तथा इसके रोकथाम की रणनीति आदि के बारे में अंक में विस्तृत चर्चा की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व निदेशक, श्री आई जी पटेल द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय के दीक्षांत भाषण के उद्धरण भी अंक में शामिल किए गए हैं। आशा है पाठकों को भी यह रुचिकर लगेगा।

'विज्ञान' स्तंभ के अंतर्गत इस बार पाठक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति के बारे में जान सकेंगे।

वर्तमान में धर्म के नाम पर काफी कुछ हो रहा है। सत्य तो यह है कि इस प्रकार का धर्म केवल दुख और वैमनस्य ही उत्पन्न करता है। वास्तविक धर्म तो वह है जो हमें मानवता का पाठ पढ़ाए। 'मंथन' के तहत पाठकों को इस बार 'धर्म' के रहस्य की जानकारी दी जा रही है।

जहां चाह, वहां राह के अंतर्गत इस बार नवगठित राज्य झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हुई एक नई और अनोखी योजना 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' से पाठक रू–ब–रू हो सकेंगे।

योजना का आगामी अंक 'पर्यावरण' पर केंद्रित होगा। पाठक अपनी प्रति पहले से सुरक्षित करवा लें।

आपकी राय

(संदर्भित अंक–जनवरी–फरवरी 2004)

व्यावहारिक लेख

जनवरी 2004 के 'योजना' में प्रकाशित लेख 'भारतीय दूरसंचार परिदृश्य' पढ़ा बहुत ही व्यावहारिक लगा। एक ओर शहरी क्षेत्रों में जहां 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.5 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है अतः इस पत्र के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक संख्या में ग्राम सार्वज़निक टेलिफोन लगाया जाना चाहिए जिससे शहर एवं गांवों के बीच की दूरी कम से कम हो। मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ग्राम सार्वजनिक टेलिफोन आवंटन में केवल 2000 जनसंख्या के अलावा एक ग्राम सार्वजनिक टेलिफोन से दूसरे ग्राम सार्वजनिक टेलिफोन के बीच अधिकतम 2 कि.मी. की दूरी हो जिससे आम ग्रामीण समुचित एवं समय से लाभ उठा सके।

विनोद कुमार यादव, दरभंगा, (बिहार)

क्विज जल्दी शुरू करें

मैं विगत एक वर्ष से 'योजना' का नियमित पाठक हूं और यह मेरा पहला पत्र है।

'योजना' का प्रत्येक अंक अत्यंत संग्रहणीय होता है और इसे सभी वर्गों को पढ़ना एवं मनन करना चाहिए।

'योजना' में प्रकाशित 'मंथन', 'जहां चाह, वहां राह', 'स्वास्थ्य चर्चा' एवं विशेष लेख अत्यंत उपयोगी एवं लाभकारी होते हैं। जनवरी–04 अंक बहुत अच्छा लगा।

मैं 'योजना' में प्रतियोगियों हेतु एक नई कड़ी जिसमें **शब्द पहेली** या **प्रश्नोत्तरी** (क्विज़) आदि शुरू हो, की इच्छा रखता हूं। शब्द पहेली या प्रश्नोत्तरी से प्रतियोगियों के सामान्य ज्ञान की जानकारी में वृद्धि होगी। इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए।

कमलेश्वर साहू,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

परिवर्तन : प्रकृति का नियम

फरवरी अंक पढ़ा। अच्छी जानकारी मिली। अन्य अच्छे लेखों के अतिरिक्त 'संसार के सर्वप्राचीन वृक्षों में एक महाबोधि तरु' शीर्षकांतर्गत 'रवि' जी की प्रस्तुति अतुलनीय रही। वास्तव में आज इस परिवर्तनशील दुनिया में कितना परिवर्तन हो गया है। पहले ज्ञान प्राप्त होता था किसी महावृक्ष के तले, चिरतपस्या के पश्चात। आज इस समय ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होने लगा है अपने–अपने गुटों, गिरोहों, दड़वों और बित्ते–भर के नितांत निजी, अंतरंग आंगनों में। ऐसे में भला किसे चिंतन, एकांत, तपश्चर्या और लोकहित की सूझेगी। आज बुद्धिजीवी वर्ग की निष्क्रियता का द्वंद्व समाप्त होकर, द्वंद्व में नहीं बल्कि छद्म में रीतते हुए शून्य हो रहा है। व्यक्ति और समाज के ये छोटे–छोटे विघटन हमें किस अंधी मंझधार में गोते लगाकर डुबो देने वाले हैं – इस बात पर आखिर कौन सोचेगा? क्या कोई वर्ग है जो व्यक्ति के प्रकृतिक सद्गुणों में संलग्न और सक्रिय इस महासेंध की राह में हस्तक्षेप करे, उसकी बेलगाम वृत्तियों की लगाम कसे, सर्वांगीण लोकहित के पक्ष में एक विश्वसनीय मूर्ति का सृजन करे, जो इतिहास–भूगोल की सीमाओं के परे कल्पनातीत स्थितियों में भी मानव मात्र के पक्ष में खड़ी हो सके और सच्ची मानवता के सपने को कर सके साकार, बारंबार।

दिलीप कुमार जायसवाल,
चिरैयाकोट, मऊ (उ.प्र.)

सार्क–सफलता की ओर

'क्षेत्रीय व्यापार एवं सहयोग' पर आधारित अंक बेहद रुचिकर लगा। मुक्त व्यापार से संबंधित 'साफ्टा' पर सहमति इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन की उपलब्धि रही। साथ ही पाकिस्तान ने पहली बार द्विपक्षीय मुद्दों को न उठाकर इस सम्मेलन को सफल बनाने का सार्थक प्रयास किया। आतंकवाद पर भी आम सहमति बनती दिखाई दी। भविष्य में भी इसकी सफलता से दक्षिण एशियाई देशों की काफी आशाएं हैं। विशेषकर आर्थिक प्रगति में 'सार्क' एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।

अभिषेक गुप्ता, हाउसिंग बोर्ड, भिलाई (छ.ग.)

ज्ञान में इजाफा हुआ

अंक ने हम प्रतियोगियों की ज्ञान–मंजूषा में इज़ाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं 'आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है', में दिए टिप्स मन में छिपे डर को दफनाने में कामयाब भी हुए और साथ ही नई उम्मीद भी जगायी कि हर रात के बाद ही सवेरा आता है।

हम और हमारा देश भारत, अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को अब तक सहेज कर रखे हुए हैं। लेकिन यह जानकर हृदय व्यथित हुआ कि नागालैंड की जनजातियां इसाई धर्म को अपनाकर अपने पारंपरिक उत्सवों में बदलाव ला रही है। यह सही है कि प्रगति के लिए आगे बढ़ने के लिए बदलाव एक अनिवार्य कड़ी है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही विश्व पटल पर अपनी एक अलग और अनूठी पहचान बनाती है।

कुमार दिवाकर, कचहरी हाता, पूर्णियां (बिहार)

पृष्ठों की संख्या बढ़ाएं

मैं पिछले पांच वर्षों से पत्रिका से जुड़ा हुआ हूं। समस्त अंक संग्रहीत किए हैं जो कि मेरे लिए संदर्भ ग्रंथ के समान हैं। इस दौरान पत्रिका का विकास देश के विकास से भी तीव्र गति से हुआ है और अब यह रंगीन छटा बिखेर रही है। समय, परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार हुए परिवर्तनों के कारण ही पत्रिका ने इतनी प्रगति की। इसका श्रेय सम्पादक मंडल को जाता है। जिन्होंने इसे एक सामान्य सरकारी पत्रिका से प्रतियोगी पत्रिका में बदल दिया है।

किंतु फरवरी अंक में आपने '2003 में प्रकाशित लेखों की सूची' न देकर समस्या उत्पन्न कर दी है। क्योंकि पूर्व प्रकाशित लेखों की सूची पढ़कर हम आसानी से जान जाते हैं कि कौन–सा लेख किस पत्रिका में है। बिना सूची के सभी पत्रिकाओं को पलटने में काफी समय लग जाता है। अतः निवेदन है कि आगामी अंक में सूची अवश्य प्रकाशित करें।

इसके अलावा मेरा खयाल है कि प्रकाशित करने के लिए आपके पास लेखों की कोई कमी नहीं होगी, कमी है तो बस पृष्ठों की। अतः आपको पत्रिका में पृष्ठों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

मुकेश पक्षवाल, गांव लालपुर, कोदद्वार, गढ़वाल (उत्तरांचल)

'मंथन' से आत्मविश्वास बढ़ा

इंटरनेट व पर्यटन पर लेख अच्छे लगे। भविष्य का सबसे विकसित होने वाला यह क्षेत्र देश की बेरोजगारी दूर करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। आज लगभग पच्चीस प्रतिशत निर्यात अकेले साफ्टवेयर उद्योग से हो रहा है। जिसने देश की छवि भी विश्व में काफी बढ़ाई है। इस अंक का 'मंथन' बहुत ही पसंद आया जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। ऊर्जा के नए स्रोतों को बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में यह खड़ा है। गांवों में स्थिति इतनी बुरी है जिससे वहां का विकास बहुत ज्यादा प्रभावित होता है।

प्रदीप कुमार गुप्ता
मेंहदावल, बस्ती (उ.प्र.)

ज्ञानवर्द्धक अंक

फरवरी अंक के लेख काफी ज्ञानवर्द्धक लगे। गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की भूमिका कैसे–कैसे और कितनी ऊर्जा कहां से प्राप्त की जाती है। कौशलेन्द्र प्रपन्न का इंटरनेट पर लेख काफी ज्ञानवर्द्धक लेख रहा, आज इंटरनेट युग के कारण ही पूरा विश्व एक गांव की शक्ल में बदल सकता है, इंटरनेट ने सारे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं।

हिमालय की गोद में बसे मनोरम स्थल स्तंभ प्रतियोगिता परीक्षा के अनुकूल है। ऐसे स्तंभ बार–बार देते रहें। नागालैंड के रंग–बिरंगे उत्सव लेख के लिए संजय जी का धन्यवाद, जिन्होंने नागालैंड से परिचय करवाया। 'अमृत है आंवला' में आंवला के गुणों के बारे में पता चला, अब मैं भी इसका सेवन नियमित करूंगा। 'मंथन' स्तंभ सही मायने में योजना का मंथन है। विज्ञान लेख के अंतर्गत गैलीलियो अंतरिक्षयान के बारे में पढ़ा। जो 14 वर्ष तक विज्ञान की सेवा में लगा रहा।

राजेश जी के लेख के माध्यम से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिली। माननीय प्रधानमंत्री का सार्क भाषण और जेटली जी का कानकुन भाषण रोचक लगा।

हमारी नजर में योजना एक संग्रहणीय पत्रिका है, इसका एक–एक शब्द अपनी महत्ता को प्रकट करता है।

राजीव रंजन कुमार
सलेमपुर, जहानाबाद (बिहार)

इंटरनेट से साक्षात्कार हुआ

अंक पढ़ा। कौशलेंद्र प्रपन्न का इंटरनेट; संदर्भ और प्रासंगिकता, आज के भूमंडलीकरण में इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन, लोगों द्वारा प्रयोग करने के तरीकों तथा इरादों से साक्षात्कार कराता है।

भारत जहां साफ्टवेयर निर्यात में विश्व में दूसरे स्थान पर है वहीं निरक्षर देशों में पहले स्थान पर, यह देश के लिए चिंता का विषय है। आज जहां समाज के कुछ वर्गों के लिए साइबर कैफे जाना प्रतिष्ठा का विषय है वहीं समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर और अपनी आधारभूत जरूरतों की पूर्ति करने में भी अक्षम है। कोई देश या समाज तभी विकसित हो सकता है जब देश का प्रत्येक व्यक्ति साक्षर और शिक्षित हो। आज सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पूंजीनिवेश हो रहा है। किंतु शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों को शायद नजरअंदाज किया जा रहा है। जिसके कारण हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीछे की ओर जा रहे हैं। अगर सरकार हर क्षेत्र की ओर ध्यान दे तो शायद हमारा देश साफ्टवेयर निर्यात ही नहीं हर क्षेत्र में विश्व पटल पर शिखर पर होगा और देश का प्रत्येक व्यक्ति गर्व महसूस करेगा।

अभय रंजन, जौनपुर (उ.प्र.)

सर्वश्रेष्ठ पत्र

परस्पर सहयोग व दृढ़संकल्प से आएगी खुशहाली

हमारा देश भारत और इसकी संस्कृति समन्वय, सहिष्णुता व परस्पर सहयोग की हिमायती रही है। इसीलिए हम बाहर व भीतर एकजुटता के साथ प्रयास से खुशहाली लाने के पक्षधर हैं। वस्तुतः भारत का यह संदेश पूरे विश्व व मानवता की खुशहाली हेतु उसकी कटिबद्धता व दृढ़–इच्छा का निर्देशन करता है। सर्वप्रथम हमें स्वयं अपनी विविधता का प्रयोग चतुर्दिक विकास हेतु दृढ़संकल्प के साथ करना होगा। कितना अच्छा होता कि विविध क्षेत्रों के वैज्ञानिक, कृषक, श्रमिक, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक, पत्रकार, शिक्षक व मनस्वी एक साथ मिलकर खुशहाली लाने के दृढ़संकल्प को क्रियान्वित करने हेतु परस्पर सहयोग के साथ उद्यत हो जाएं। सामाजिक रोगों, विकलांगता, गरीबी, बेरोजगारी, दहेज, कुपोषण, बाल श्रम, असमानता व अत्याचार के विरूद्ध धनी व विद्वत्समाज अपना बहुमूल्य योगदान करने हेतु समर्पित हो जाएं। इस हेतु हमें त्याग, समर्पण व भातृत्व–भाव की मानवीय संवेदना के साथ कार्य करना होगा। आइए, हम आप मिलकर परस्पर सहयोग व दृढ़ इच्छा से सच्ची खुशहाली की रोशनी फैलाएं, जिससे काली घटा छंट जाए व सुंदर प्रभात आए।

उमेश चंद्र राय, इलाहाबाद (उ.प्र.)

हमारे टॉपर्स

Amritendu Sekhar
BPSC 2nd Topper

"सर के G.S. पढ़ाने-समझाने एवं अभिभावक की तरह मार्गदर्शन का तरीका अद्भुत है"

"Best wishes to our student's appearing for IAS Interview"

हमारे टॉपर्स

Shashi Bhusan Singh
UPPCS Topper

"G.S. और इतिहास मेरे लिए सबसे अंकदायी रहा इसका सम्पूर्ण श्रेय सर को जाता है।"

G.S.

IAS/PCS (फाउंडेशन + मुख्य + प्रारम्भिक)

वैकल्पिक विषय के रूप में / इतिहास / का वैज्ञानिक तरीके से अध्यापन
जिससे प्री० में 90 से 100 प्रश्न सही, मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 350 अंक

क्लास रूम कोचिंग के साथ जीवंत पत्राचार के लिए एक श्रेष्ठ संस्था
आवासीय सुविधा उपलब्ध

By

R. Kumar & Team

अन्य विषय : लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य, **Zoology**

8 जून से प्रारम्भ होने वाली कक्षा के लिए नामांकन ज़ारी

IAS TUTORIALS

102-103, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: (O) 27651392, (R) 27252444
Cell.: 9810664003

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य : कुछ चिंतन

○ आई जी पटेल

(भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर तथा लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स के पूर्व निदेशक, श्री आई जी पटेल द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय के दीक्षांत भाषण के उद्धरण)

चलिए बात करते हैं, भारत में विकास की क्वालिटी की। प्रगति की वह क्वालिटी खराब है, जिससे प्रगति की निरंतरता बनी नहीं रहती। यह रुकावट सामाजिक प्रतिरोध के उत्पन्न होने से या विरोध या पर्यावरण या शिक्षा या पोषण की अनदेखी के रूप में होती है। प्रगति के फायदों को, विशेषकर रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि जैसे फायदों का ईमानदारी से वितरण भी जरूरी है। इससे ऐसी नीतियों के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया जा सकेगा, जो विकास को बढ़ावा दे। इस प्रकार गुणवत्ता और मात्रा एक–दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 20 या 25 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी आर्थिक मजबूती प्राप्त हुई है। पिछले तीन दशकों से हम जिस तथाकथित हिंदू विकास दर में उलझे हुए थे, 1980 के दशक में हम उससे उबर आए हैं। जैसा कि 1991 के संकट से सिद्ध होता है कि उस दशक की 5.5 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर, कुछ कमजोर–सी थी, तो पिछली दशक की इतनी ही विकास दर का आधार काफी मजबूत प्रतीत होता है। विदेशी मुद्रा का हमारा भंडार 100 अरब डालर को पार गया, खलिहान अटे पड़े हैं, मुद्रास्फीति कम है और बढ़ते आत्मविश्वास तथा बाहरी विश्व के भारत में बढ़ते विश्वास के स्पष्ट संकेत हैं। खुलेपन की नीति से हमारी अर्थव्यवस्था के बर्बाद हो जाने और भारत के हाशिए पर चले जाने की सारी आशंकाएं गलत सिद्ध हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में और विनिर्माण के कई क्षेत्रों में, अब बाहरी दुनिया को हमारे साथ प्रतिस्पर्द्धा करते डर लगता है। भारत को कम करके आंकने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन, संतुष्ट होकर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाने का भी कोई कारण नहीं है। हमें पूछना है : क्या विकास की यह दर अगले 10–20 सालों तक टिकी रह सकेगी? अगर टिकाऊ है, तो क्या हम इसमें तेजी ला सकते हैं? और क्या हम भारतीय आर्थिक प्रगति की क्वालिटी से संतुष्ट हैं? ये कुछ सवाल हैं, जिन पर मैं गौर करना चाहूंगा।

कम से कम अगले 5 या 10 साल तक तो, मेरे खयाल से 1991 की तरह के एक और विदेशी मुद्रा संकट की संभावना नहीं है। ऐसे मामलों में, कोई भी दावा नहीं कर सकता है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार और समायोजन की हमारे उत्पादकों की प्रदर्शित क्षमता तथा विभिन्न विचारधाराओं वाली सरकार के अधीन हमारी आर्थिक नीति के लचीलेपन को देखते हुए, मैं सोचता हूं कि निकट भविष्य में रुपये की खस्ता हालत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।

डचरोग

भुगतान संतुलन की मजबूत स्थिति के विकास या स्थिरता के आड़े आने को विपरीत खतरे के बारे क्या खयाल है? कई देशों में ऐसा हुआ है और अर्थशास्त्रियों ने इस खतरे को एक नाम भी दिया है। वे इसे 'डचरोग' कहते हैं। हम अब ऐसी ही एक स्थिति की दहलीज पर खड़े हैं और समस्या के लिए कोई पक्का समाधान खोजना मुश्किल है। उदारीकरण, विशेषकर पूंजी के प्रवाह को मुक्त ऋण देने के बाद से दुनिया भर में होने वाला बड़ा परिवर्तन

ADMISSION OPEN
FROM 31st MAY

लोक प्रशासन

By (हिन्दी माध्यम)

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

Course Offered:
* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session
* Mains Special for UPSC Mains-04.

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-**
MAINS + PRE. - 3500/-**
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

***UPSC* के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी**

NEW BATCH STARTS FROM 6th JUNE

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Director - Alok Lall

*** 1 April से प्रभावी*

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

FLAT No. 105, 1st FLOOR, VIRAT BHAWAN COMMERCIAL COMPLEX, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. CELL.: 9810651005

At Allahabad : "INSEARCH", Opp. D.J. Hostel, Near Anand Bhawan. Ph.: 0532-2467708

यह है कि अब विनिमय दरें, निर्यातों या आयातों या पर्यटन जैसे अदृश्य आयात–निर्यातों में बदलावों की बजाय पूंजी के आवागमन से अधिक तय होती हैं। इस बात से मामला और उलझ जाता है कि जब पूंजी का आवागमन मुक्त होता है, तब यह कहना मुश्किल होता है कि कौन–सा प्रवाह अनिश्चित है और कौन–सा नहीं, कौन–सा अल्पावधि है और कौन दीर्घावधि और स्वागतयोग्य अतिथि है। ब्याज दर या विनिमय दर का हुंडी कारोबार, सामान्यतयः एक वैध जाति विधि होती है। लेकिन जब यह खुद स्वयं पर पलने लगे और संचयी बन जाए तब कोई भी आसानी से नियंत्रण खो सकता है और स्थिति चरम तक पहुंच सकती है। देर–सवेर यह भाव बदलेगा और विपरीत समस्याएं उठ खड़ी होंगी। पूंजी के प्रवाह, मूड के प्रति संवेदनशील होते हैं और जिसे विश्वास घटक कहते हैं, वह बेतुका होता है और अक्सर अस्थिर होता है।

अगर भारत में अधिक विश्वास है, अगर हमारे रिजर्व प्रचुर मात्रा में हैं, और भुगतान संतुलन ठीक है, तो पूंजी भारत में आने लगेगी और रुपये की जबरन मूल्य वृद्धि होगी। अगर इसी के साथ–साथ, भारतीय ब्याज दरें, विदेशों की दरों से ऊंची हों, तो यह प्रवृत्ति तेज हो जाएगी और रुपये का मूल्य और बढ़ जाएगा। मानक अर्थशास्त्र सिद्धांत से पता चलता है कि अगर इन प्रवृत्तियों को बिना किसी हस्तक्षेप के मुक्त रूप से काम करने दिया जाए, तो देर सवेर एक नया संतुलन मिलेगा। मूल्य वृद्धि से निर्यातों में रुकावट आएगी और आयात बढ़ेगा; और पैसे के अंतःप्रवाह से भारतीय ब्याज दरों में कमी आने लगेगी, बशर्ते कि यह प्रवाह न रुके। लेकिन अपेक्षा घटक की वजह से यह प्रक्रिया संचयी बन जाती है, तो रुपये की मूल्य वृद्धि अनियंत्रित हो सकती है तथा विकास खतरे में पड़ सकता है। इसी डर के चलते, केंद्रीय बैंकों को रिजर्व प्राप्त करने के जरिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन इससे मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ने लगते हैं जो संचयी बन सकते हैं। अगर अंतःप्रवाह को रोक दिया जाए, तो इससे या तो ब्याज दरें बढ़ेंगी या उनकी गिरावट थमेगी। जिससे और अंतःप्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश रुकेगा और उससे विकास अवरुद्ध होगा। आप पूंजीगत नियंत्रणों से प्रवाह को नहीं रोक सकते, क्योंकि इनके कारगर होने की संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक ने इस संकट से निपटने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे मैं 'हर चीज़ थोड़ी–थोड़ी' ही कह सकता हूं। इससे कुछ मूल्य वृद्धि, कुछ रिजर्व संचित होने और उन्हें रोकने में मदद मिली है तथा पूंजी के अंतःप्रवाह एवं बाह्य प्रवाह पर कुछ नियंत्रण हो सका है। यह भी संभव है कि रिजर्व बैंक ने रिजर्व संचित होने के प्रभाव को आंशिक रूप से निष्क्रिय किया है। मुझे डर है कि ऐसे बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण ही संभव हैं – किसी भी एक दिशा में अतिरेक के खतरे को कम से कम करता है। लेकिन इससे पूरा जवाब या प्रतिरक्षा नहीं मिलती है। बस यही उम्मीद की जा सकती है कि धीरे–धीरे भावनाएं बदलेंगी और खुद ही अपने सुधार प्रस्तुत करेंगी। लेकिन मैं यह जता दूं कि भारत में हालात अभी बेकाबू नहीं हुए हैं। डालर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, लेकिन यूरो और पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में टूटा है। विदेशी मुद्रा के हमारे भंडार अभी इतने विशाल नहीं हैं कि हम चैन से बैठ जाएं।

निरंतर उच्च विकास दरों का एक और खतरा है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बहुत बड़े बजटीय घाटे से पैदा होता है। हाल के सालों में यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के आस–पास रहा है। हाल के इतिहास में यह सबसे ऊंचे बजटीय घाटों में गिना जा सकता है।

संकट कम करें

लेकिन आयात शुल्कों और पूंजी के बहिर्गमन को उदार बनाकर, हम इस संकट को कम कर सकते हैं। यह किया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। लेकिन आयात शुल्कों में कटौती खास तौर से रुपये को मजबूत होते जाने की स्थिति में, नियमित परंतु धीरे–धीरे होनी चाहिए। और, पूंजी निर्यातों को मुक्त बनाना भी उतना कारगर नहीं हो सकता। भारतीय रुपया बाहर क्यों ले जाएं, जबकि दूसरे सभी इसका उलट कर रहे हों? इसका यह मतलब नहीं है कि पूंजी खाते को उदार नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन अल्पावधि में, इससे डचरोग का कोई खास इलाज नहीं हो पाएगा। यह उन रोगों में से एक है, जिन्हें एक सीमा तक झेलना ही पड़ता है और उम्मीद यही कर सकते हैं कि वायरस आत्मनियंत्रित होगा।

निरंतर उच्च विकास दरों का एक और खतरा है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बहुत बड़े बजटीय घाटे से पैदा होता है। हाल के सालों में यह घाटा सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के आस–पास रहा है। हाल के इतिहास में यह सबसे ऊंचे बजटीय घाटों में गिना जा सकता है। कुछ दिनों से कुछ हलकों में यह दलील दिए जाने की प्रवृत्ति देखने में आई है कि बड़े बजटीय घाटे अच्छे नहीं होते। अधिक घाटे के साथ–साथ कम मुद्रास्फीति, कम ब्याज दरें, और सुविधाजनक भुगतान संतुलन की स्थिति आती है, इसलिए यह धारणा मजबूत होती गई है। इसी धारणा का दूसरा रूप यह है कि सरकारी राजस्व बढ़ाने या सरकारी खर्च घटाने के बहादुराना उपायों

की अपेक्षा सकल घरेलू उत्पाद में तेजी लाकर सकल घरेलू उत्पाद के संपर्क में घाटे को कम किया जाना चाहिए। जब चुनाव नजदीक हों और जब बुनियादी संरचनाओं में निवेश कम हो और उसे बढ़ाना जरूरी हो, तब यह धारणा बड़ी अच्छी लगती है। ऐसी ही कुछ सोच, बजटीय घाटे से अधिक घबराए बिना सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के वित्त मंत्री के हाल के प्रयासों में देखी जा सकती है। उनको ऐसे अर्थशास्त्रियों से कुछ राहत मिल सकती है, जो हमें कीन्स की याद दिलाते हैं और सीज़न में सीज़न से परे अतिरिक्त क्षमता या बेकार पड़े संसाधनों की याद दिलाते हैं।

ऊपर से देखने में ये तर्क बड़े अच्छे लग सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि इन्हें ज्यादा खींचा जा सकता है। सबसे पहले, पूंजीगत खर्चों के लिए धन जुटाने में घाटों के बारे में हम चाहे कुछ भी सोचे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि चालू खाते के घाटों से उत्पादक कार्यों के लिए उपलब्ध बचतें घट जाती हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक स्वच्छता पर अधिक खर्च होता है और सब्सिडियों, प्रशासन तथा रक्षा पर खर्च कम होता है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारी सरकारी घाटों की वजह से ब्याज दरें ऊंची बनी रहती है। और उनसे अपने ही ब्याज खर्च में इज़ाफा होता है। राष्ट्रीय आय के अनुपात में करों के तथा दूसरे राजस्वों की दरें भी काफी कम हैं और इन्हें बढ़ाना पड़ता है।

पूंजी खाते के संबंध में, सिंचाई और कृषि अनुसंधान तथा विस्तार में, ढांचागत निवेश पर बढ़ते सार्वजनिक खर्च के प्रति मेरी कुछ सहानुभूति है। 1990 के दशक में इन खर्चों में भारी कटौती की गई थी। लेकिन, इस वजह से यह और भी जरूरी हो जाता है कि घाटे को, कम से कम राजस्व खाते के संबंध में कम किया जाए। पूंजी खाते में भी, खर्च में कुछ पुनर्गठन और घाटे में समग्र कटौती की, विशेषकर निजीकरण के एक निरंतर कार्यक्रम के जरिए कटौती जरूरी है।

कुछ हद तक, बजट घाटे का अब तक प्रतिकूल असर नहीं हुआ है, जिसकी कि आम तौर से उम्मीद की जाती है, क्योंकि आयात और औद्योगिक लाइसेंसों को उदार बना दिया गया है, जिससे सामान्य रूप से उत्पादकता बढ़ी है। निजी निवेश भी मंदा पड़ गया है। जैसे–जैसे निजी निवेश बढ़ेगा, और बढ़ेगा याह आवश्यक, और उदारीकरण के तत्काल स्थायी उत्पादकता फायदे कम हो जाएंगे, तब हो सकता है निजी निवेश को स्थान पर बजट घाटे की या मुद्रस्फीति तथा उच्च ब्याज दरों में क्रमिक प्रतिक्रिया होने की पुरानी समस्या उभर आए। इसलिए उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए मैं सरकार की बजटीय नीतियों में सुधार को बहुत जरूरी समझता हूं। मैं, खर्च को मशीनी तौर पर घटाने की ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कराधान और सामान्य तौर पर खर्च नीतियों में सुधार पर भी जोर दे रहा हूं।

उच्च विकास दर को एक खतरा उपभोक्तावाद से भी है। हमारी बचत दर 25 प्रतिशत के आंकड़ें से कभी भी पार नहीं हुई है; और यदि अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों के उदाहरण से अगर हम सबक लें, अगर उपभोक्तावाद के फायदों ने अधिक जड़ें जमा लीं, तो यह दर नीचे जा सकती है। सस्ते और आसानी से मिलने वाले बैंक कर्ज से खपत तेजी से बढ़ती है और उससे विकास तेज होता है, और आजकल के 'फील गुड' फैक्टर के लिए यह एक प्रमुख कारण भी है। लेकिन खपत–आधारित विकास निरंतर नहीं बना रह सकता है। देर–सवेर, उपभोक्ता सामान उद्योगों में अधिक निवेश करना पड़ेगा। अगर अंधाधुंध उपभोक्तावाद के कारण बचत की दरें एकदम नीचे गिर जाती हैं, तो हमें विस्तार को बनाए रखने के लिए विदेशों से और अधिक मात्रा में उधार लेना पड़ेगा। यह विलासिता है, जिसे अमेरिका जैसे देश ही झेल सकते हैं। हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उच्च विकास दर को बचत की निम्न तथा गिरती दरों से बनाए रखा जा सकता है। यह एक खतरा है, जो किसी भी हाल में काल्पनिक नहीं है।

मुझे गलत न समझें। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि 5.5 या 6 प्रतिशत तक की सालाना विकास दर को अगले 10 या 20 सालों तक बनाए रखा नहीं जा सकता। मेरा तो यह कहना है कि यह अपने–आप नहीं होगा। और इसके लिए कई ऐसे उपाय करने होंगे, जिन्हें अब तक राजनीतिक दृष्टि से अस्वीकार्य माना जाता रहा है। चुनावों के बाद, वह सुबह जरूर आएगी, जब हमें जागना पड़ेगा।

क्या हम विकास की वर्तमान 5.5 प्रतिशत या 6 प्रतिशत की दर को बढ़ाकर 8 प्रतिशत सालाना कर सकते हैं? कई लोग हैं, जो तर्क देते हैं कि यह व्यावहारिक है। वे इस मामले में चीन का उदाहरण देते हैं। हमारी वर्तमान पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। मुझे माफ करें, मैं इस आशावादिता पर भरोसा नहीं करता हूं। चीन ने सकल घरेलू उत्पाद के 35 प्रतिशत से अधिक की बचत दर प्राप्त कर ली है और उसे बनाए रखा है। क्या कोई भी गंभीरता से सोचता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं? दूसरे, शायद हम इस पर विश्वास न करें, लेकिन काफी पहले, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले, चीन ने साक्षरता, शिक्षा पोषण और आश्रय के उच्च स्तर प्राप्त कर लिए थे। इतना उच्च स्तर तो हमारे यहां आज भी नहीं है। 1977 में, जब मैं पहली बार चीन गया और वहां घूमा–फिरा, तब यह मैंने

खुद अपनी आंखों से देखा था। इससे और बचत की उच्च दर से चीन की जबर्दस्त विकास दर समझ में आती है।

सामाजिक पिछड़ापन

एक तीसरा कारण भी है, जिसके बारे में हम अधिक बात करना नहीं चाहते हैं, वह है हमारा सामाजिक पिछड़ापन। विकास, केवल आर्थिक नीतियों पर निर्भर नहीं रहता। इसके लिए एक खास सामाजिक परिवेश की जरूरत होती है। अपने बहुलतावाद पर हमारा गर्व करना स्वाभाविक है। लेकिन बहुलतावाद विभाजित करता है और हमें प्रगति नहीं करने देता है। यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। हम इसे एकदम उतार कर नहीं फेंक सकते – किसी भी हालत में निकट भविष्य में नहीं। कम से कम 80 प्रतिशत भारत, सामंतवादी विचारधारा, अंधविश्वास, धर्मांधता और आर्थिक विकास के सभी दुश्मनों से ग्रस्त है। और बजाय इसके कि इनसे कड़ाई और सीधे निपटने के पिछड़ेपन की इन ताकतों को, राजनीति हवा देती है। हमें कम से कम अपनेआप में तो ईमानदार होना पड़ेगा।

अंत में, अब मैं भारत के विकास की क्वालिटी पर आता हूं। चाहे सामाजिक प्रतिरोध या विरोध पैदा करके या पर्यावरण या शिक्षा या पोषण की अनदेखी करके, जो विकास टिकाऊ नहीं होता, उसकी क्वालिटी खराब कही जाती है। स्वास्थ्य या स्वच्छता या शिक्षा केवल मूल्यों या व्यक्तिगत अधिकारों की बात नहीं है। ये विकास के साथ कार्यरूप से भी जुड़े होते हैं, जैसा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के मामले में होता है। विकास से, विशेषकर रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि से होने वाले फायदों का ईमानदारी से वितरण भी बहुत जरूरी है। इससे विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार क्वालिटी और मात्रा परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक–दूसरे की पूरक होती हैं।

मैं इन गुणात्मक पहलुओं में केवल दो की चर्चा करना चाहूंगा – रोजगार और शिक्षा। मैं नहीं समझता कि हमने जो विकास हासिल किया है, वह रोजगार विहीन है। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकों तक के लिए भी अब, मीडिया, मनोरंजन, विज्ञापन और जन सम्पर्क में रोजगार के अवसर मौजूद हैं। दीर्घावधि में, नई उदार नीतियों और विकास से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे तथा जब जनसंख्या वृद्धि तेजी से कम हो जाएगी तो बेरोजगारी भी कम होने लगेगी। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी और कृषि तथा लघु उद्योगों में भी वृद्धि हो जहां आमदनी कम है और रोजगार भी छितरा हुआ है। इसीलिए मैं सोचता हूं कि हमें सिंचाई, कृषि अनुसंधान, विस्तार और कृषि उद्योगों में अधिक निवेश की जरूरत है। इसके लिए अधिक सार्वजनिक निवेश के साथ–साथ अधिक कल्पनाशील साझेदारी, खासकर कृषि और उद्योग के बीच, जरूरी होगी, कृषि का सामान्य तौर पर, विनियमों से मुक्त कराना होगा और इसे अधिक प्रौद्योगिकी अनुकूल बनाना होगा। हमारे लघु उद्योग को किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे अधिक निवेश और प्रौद्योगिक उन्नयन की जरूरत है। आम तौर से यह माना जाता है कि चीन अपने श्रम–प्रधान निर्यात के उत्पादों को बढ़ाने में जबर्दस्त रूप से कामयाब हुआ है क्योंकि हरेक कम्यून में इसका एक विशाल नेटवर्क था, जो ताईवान और हांगकांग से आने वाले विदेशी पूंजी प्रवाह के कारण शीघ्र ही बदल गया। हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा, तभी हम अपने दस्तकारों और लघु उद्योगों में नई जान डाल पाएंगे। इस क्षेत्र में कौशल और उद्यमशीलता, एक बड़ी मात्रा में निष्क्रिय पड़ी हुई है और आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा विपणन कौशल को मुक्त रूप से उपलब्ध करवाकर सक्रिय किया जा सकता, भले ही प्रौद्योगिकी तथा निपटान कौशल देश से मिले या विदेशों से। कृषि और ग्रामोद्योग में रोजगार और उच्च आमदनी की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने का जवाब संरक्षण और आरक्षण में नहीं बल्कि खुलेपन में खोजा जाना चाहिए।

शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसमें मुझे विश्वास है, हरेक की गहरी दिलचस्पी है और उसकी इस बारे में अपनी सोच है। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। सबसे पहली, भूमंडलीकरण और ज्ञान आधारित प्रगति के इस आधुनिक युग में, मुक्त, अनिवार्य और सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा की बात करना ही पर्याप्त नहीं है। आज हमें लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए सर्वसुलभ माध्यमिक शिक्षा की जरूरत है। और माध्यमिक शिक्षा से मेरा तात्पर्य 12वीं कक्षा से है, दसवीं से नहीं अंग्रेजी सहित भाषाओं की उचित शिक्षा और गणित का बुनियादी ज्ञान दिया जाए। इससे कम में, हम प्रतिस्पर्धी नहीं बन पाएंगे और सब तक प्रगति के लाभ, हम नहीं पहुंचा पाएंगे। मलेशिया और मारीशस जैसे देशों ने यह किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन इसके लिए केवल जन समर्थन की ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक प्रयासों में मदद के लिए माता–पिताओं और धर्मार्थ संस्थानों में जागरूकता तथा रजामंदी पैदा करने की जरूरत होगी।

जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, इसे हर किसी के लिए उपलब्ध होने लायक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैं सोचता हूं कि कभी–कभी यह दलील देने की जरूरी भी है और खतरनाक भी कि हमने उच्च शिक्षा पर जरूरत से ज्यादा और प्राथमिक शिक्षा को कम प्राथमिकता दी है। हमें सभी स्तरों पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तरों पर अधिक और बेहतर शिक्षा पर जोर देना होगा। हम यह न भूलें कि सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और

भेषजीय अनुसंधान में हमारी प्रगति काफी अच्छी है, इसका श्रेय पंडित नेहरू को जाता है, जिन्होंने एक आधार स्थापित किया था। हमें न केवल टेक्नोलॉजी प्रबंधन, चिकित्सा और इंजीनियरी में, बल्कि सामाजिक विज्ञानों में भी स्थानीय रूप में उपलब्ध विश्व–स्तर शिक्षा का बनाने का प्रयास करना होगा। हमें शिक्षा उन सभी को उपलब्ध करानी होगी, जो प्रतिभावान हों और समर्पित हों। इसमें हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं बरतना होगा।

शायद, एक लोकतंत्र में हमें बड़ी संख्या में मौजूद उन विश्वविद्यालयों को भी स्वीकार करना होगा जो सामान्य कोटि की शिक्षा प्रदान करती हैं। इस बात में भी शायद कुछ दम है कि पता नहीं इतने विशाल देश में असली प्रतिभा कहां छुपी है। लेकिन, मैं तो यही चाहूंगा कि हम स्नातकोत्तर शिक्षा को असल प्रतिभा के धनी और गंभीर छात्रों तक ही सीमित रखें, क्योंकि समाज की असली रचनात्मकता को हमें यहीं पोषित करना होगा। शोध–आधारित उच्च शिक्षा, समाज विज्ञानों में भी काफी खर्चीली होती है और यह हर किसी को या हर जगह पर नहीं दी जा सकती है। और, यह एक सीमा तक अपनी व्यतित व्यवस्था खुद करने वाले कुछ संस्थानों को छोड़कर ऐसे सभी संस्थानों में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऐसे संस्थान शोध या छात्रवृत्तियों को बड़े पैमाने पर बहुत कम महत्व देते हैं। इसीलिए उच्च शिक्षा में दिलचस्पी रखने वाले हम सभी चाहते हैं कि पूरा–पूरा ध्यान रखा जाए कि जब सार्वजनिक संसाधनों या निगमित और धर्मार्थ वित्त के इस्तेमाल की बात आए, तब स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए धन की कमी पड़ जाए।

विश्वविद्यालयों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे स्नातकोत्तर शिक्षा को राजनीतिकरण से बचाएं। कुछ लोग यह भी दलील दे सकते हैं कि सामान्य तौर से स्नातकोत्तर शिक्षा को अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों में व्याप्त राजनीति से बचाने की भी जरूरत है। इसी तर्क के कारण हमारे संस्थापकों ने टेक्नोलाजी और प्रबंध जैसे नवीन विषयों में शोध और शिक्षण के लिए स्वतंत्र और काफी हद तक स्वायत्त संस्थानों की स्थापना की। और यह कहना पड़ेगा कि इन संस्थानों ने देश की उपयोगी सेवा की है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि समाज विज्ञान के संस्थानों सहित ऐसे स्वतंत्र तथा स्वायत्त संस्थानों की और अधिक संख्या में जरूरत है। हमारे यहां समाज विज्ञानों में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध के लिए दो या तीन विश्व–स्तरीय संस्थान क्यों न हों? क्यों हम अर्थशास्त्र और सम्बद्ध विषयों का एक भारतीय संस्थान या भारतीय समाज विज्ञान संस्थान हमारे यहां क्यों न हो? हम अमेरिकी या ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में ही प्रथम श्रेणी के अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक विज्ञानियों और समाज शास्त्रियों को जरूरी संख्या में ट्रेनिंग नहीं दे सकते।

साथ ही, हम भारी संख्या में अपने विश्वविद्यालयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही उन्हें स्नातकोत्तर शोध व प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं। समस्या यह है कि ऐसे शिक्षण और शोध को औसत दर्जे का नहीं, बल्कि उच्च श्रेणी का कैसे बनाया जाए। अगर हम ईमानदार हैं, तो हमें स्वीकार करना होगा कि वर्तमान स्थिति, चिंताजनक है। मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन मैं कुछ सुझाव दे सकता हूं। मेहरबानी करके स्नातकोत्तर दाखिलों को पूरी तरह प्रतिभा और उच्च स्तरीय समर्पण तक सीमित करें। अगर इसका मतलब कम संख्या हो, तो वही सही। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बड़ी संख्या की किफायतशासी का फायदा उठाने के लिए विशेषज्ञता के लिहाज से सन्निकट विश्वविद्यालयों में अधिक सहयोग होना चाहिए। बनारस के आस–पास कम से कम आधा दर्जन विश्वविद्यालय हैं। मुंबई और बड़ौदा की भी यही स्थिति है। यह उम्मीद करना क्या दिवास्वप्न ही नहीं होगा कि इनमें से एक अर्थशास्त्र में विश्व–स्तरीय बन जाएगी, दूसरी राजनीति विज्ञान में और कोई समाजशास्त्र में। यह कम से कम सोचा तो जा सकता है। मौजूदा शिक्षकों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह पदोन्नति के लिहाज से नहीं, बल्कि अधिक चयनात्मक और नियोजित ढंग से प्रशिक्षित करना होगा।

अब मैं सार रूप में अपनी बात कहता हूं। हमारे स्नातक छात्रों का भविष्य, पिछले कई सालों में इतना उज्ज्वल नहीं रहा है। लेकिन भावी पीढ़ियों में इस शुभ प्रवृत्तियों को बनाए रखना और समाज को और बड़े वर्गों तक इसे पहुंचाने के लिए, हमें काफी कुछ करना होगा। यहीं, हमारे स्नातक छात्रों को सर्वाधिक फायदेमंद व्यवसाय मिल सकता है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और चाहता हूं कि उनमें वह क्षमता पैदा हो जो मिले उसे उम्मीद और खुशी से वे स्वीकार कर सकें। ❑

भूल सुधार

'योजना' अप्रैल 2004 अंक में नए प्रकाशन में समीक्षक का नाम भूलवश छूट गया है। समीक्षक का नाम शैलेन्द्र मोहन कुमार पढ़ें। पाठकों को हुई असुविधा का हमें खेद है।

Integrated IAS Training Programme 2004-05

ALS

ADMISSION NOTICE

Having successfully propelled scores of aspirants into various coveted services **MIPS Education** *now seeks to make new strides.*

Subjects Offered

GENERAL STUDIES
HISTORY
SOCIOLOGY
PSYCHOLOGY
PHILOSOPHY
POLITICAL SCIENCE
PUBLIC ADMINISTRATION

Medium Offered

ENGLISH and हिन्दी

Association / Faculty

GS *in association with* **ISGS, Interactions & MIPS**

History *in association with* **Y D Misra's IAS**

Sociology *by* **Ranjana Subberwal**

Psychology *by* **A renowned faculty**

Philosophy *by* **Dr S P Jha and other experts**

Political Science *by* **eminent faculty**

Public Administration *by* **experts**

Programme Highlights

- Discussion and revision session
- Regular tests for developing your writing skills
- Interactive teaching
- Focussed study materials for the latest exam trends

CLASSES STARTING JUNE 15, 2004

For further details, write to **Manoj K Singh**

(Director-ALS, YD Misra's IAS, Interactions, MIPS Education, ISGS, Managing Director- Competition Wizard)

MiPS EDUCATION
A Division of ALS

Corporate Office: ALTERNATIVE LEARNING SYSTEMS (P) LTD
B-19, ALS House, Near UTI ATM, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph: 27652738, 27651700, 27651110, 9810345023

15 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर विशेष

उनकी कराह

○ क्षमा शर्मा

बुजुर्ग देश के वरिष्ठ नागरिक हैं, वे समाज के भी उतने ही बड़े हिस्से हैं। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सरकारी संस्थाओं के हवाले कर बाकी पूरा समाज क्योंकर लंबी तानकर सो जाए। वह समाज जो दिखावे में करोड़ों खर्च करता है, सड़क पर पड़े एक बीमार बूढ़े को देख आंख फेर लेता है, या बीमार मां और पिता की कराहें सुनने के लिए कान बहरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों?

चुनावों में सभी पार्टियां अपने–अपने मेनिफेस्टो में तरह–तरह के वायदे करती हैं। सबसे ज्यादा जोर युवाओं को लुभाने पर रहता है। हाल ही में वृद्धों की समस्याओं की ओर राजनीतिक दलों का ध्यान दिलाने के लिए 'एजवैल' नाम की संस्था ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को वृद्धों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि देश के बुजुर्ग भारी संख्या में वोट देते हैं। 'एजवैल' ने बताया कि देश में बुजुर्गों की संख्या आठ करोड़ से अधिक है। संख्या के अनुसार बुजुर्गों की सबसे बड़ी जरूरत उनकी सुरक्षा है।

बुजुर्गों के लिए पच्चीस वर्षों से लगातार काम करने वाली संस्था 'हेल्पएज' का कहना है कि बुजुर्गों की समस्याओं की तरफ मीडिया भी कोई ध्यान नहीं देता है।

हाल ही में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने कहा था कि बुजुर्ग देश की धरोहर हैं। उनकी उचित देखभाल करना

ओल्ड एज होम में रह रहीं कुछ महिलाएं

समाज की जिम्मेदारी है।

इन सभी बातों से पता चलता है कि हमारे समाज में बुजुर्गों पर क्या बीत रही है। हम लाख अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाएं या अपने बुजुर्गों की देखभाल करने की कसमें खाएं लेकिन हम जानते हैं कि इन बातों से बुजुर्गों की समस्याएं हल होने वाली नहीं हैं।

अपने बच्चे जिनके लिए माता–पिता ने अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना धन और उम्र – सब कुछ लगा दी, वे ही बूढ़े माता–पिता को घर से निकाल रहे हैं। दो साल पहले सरदार पूरनसिंह को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था, तब अदालत को दखल देना पड़ा था। एक समाचार–पत्र ने जब इस खबर को छापा था तो समाचार–पत्र के कार्यालय में टेलीफोन और पत्रों का अंबार लग गया था जिसमें बुजुर्गों ने अपने–अपने बच्चों द्वारा सताए जाने के किस्से बयान किए थे।

20 मार्च को फिर 95 वर्ष के एम.आर. गुप्ता और उनकी पत्नी की दिल दहला देने वाली कथा छपी। जहां श्री गुप्ता के बेटे ने सारी सम्पत्ति हड़प ली और बाद में अपने बूढ़े माता–पिता को घर से निकाल दिया। जब अखबार में संवाददाता ने श्री गुप्ता के बेटे से इस बारे में पूछा तो उसने बिना किसी दया और सहानुभूति के कहा कि उसके पिता को आठ हजार रुपये पेंशन मिलती है, वे बड़े आराम से किसी वृद्धाश्रम में रह सकते हैं।

ये तो मात्र दो उदाहरण हैं। हर रोज अखबारों में ऐसी घटनाएं छपती रहती हैं। कई साल पहले मुम्बई में एक वृद्धा को उसी के बहू–बेटे ने मार डाला था। सोचिए कि यदि माता–पिता अपने बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं, तो यह समाज उन्हें कभी माफ नहीं करता है। जबकि माता–पिता के साथ आततायियों जैसा व्यवहार करने वाले बच्चे सिर उठाकर जीते हैं, कोई उनसे कुछ नहीं कहता।

जिन हाथों ने पूरा जीवन परिश्रम में गुजार दिया, जब वे अशक्त हो जाते हैं तो कोई उन्हें थामने वाला नहीं मिलता। जब अपने ही उपेक्षा करें तो बाहर कौन सुने?

मशहूर कथाकार भीष्म साहनी ने बहुत पहले 'चीफ की दावत' कहानी में वृद्धों की इसी उपेक्षा का वर्णन किया था। अरसे तक हिंदी फिल्मों ने इस विषय पर रिकार्ड सफलता प्राप्त करने वाली फिल्में बनाई हैं। हाल ही में प्रदर्शित और सफल फिल्म 'बागवां' भी इसी विषय पर बनी। और तो और विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए घरों के नक्शों तक में घर के बुजुर्गों की कोई जगह नहीं है। संयुक्त परिवार के बिखराव ने सबको अकेला किया है, लेकिन युवा तो अपना समय निकाल ले जाते हैं, वृद्ध कहा जाएं। पश्चिमी देशों की तरह हमारे यहां बुजुर्गों के लिए ऐसे रिक्रिएशन सेंटर्स तक नहीं हैं जहां वे अपना समय बिता सकें। महानगरों में घर छोटे हैं, इसलिए बुजुर्गों के लिए जगह और कम है।

एक ओर मनुष्य की औसत आयु बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार 2020 तक बुजुर्गों की संख्या पंद्रह करोड़ के आसपास हो जाएगी। अकेले दिल्ली शहर में दस लाख के करीब वृद्ध रहते हैं। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की इसी संख्या को देखते हुए कहा था कि वह बुजुर्गों के लिए रिक्रिएशन सेंटर्स खोलेगी। मगर फिलहाल यह योजना खटाई में पड़ी दीखती है। सरकार की 'दादा–दादी बांड योजना' भी फिलहाल रुकी पड़ी है।

यदि हम दिल्ली पर गौर करें तो यहां बुजुर्गों की समस्या कई प्रकार से दिखाई देती है। गरीब बस्तियां, जहां घर बहुत छोटे हैं, लोग अधिक हैं और बुजुर्गों के लिए घर के अंदर या बाहर कहीं कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर वे अमीर बस्तियां, जहां बहुत बड़े–बड़े घर हैं, बच्चे कम हैं, और बच्चों को लगता है कि जल्दी माता–पिता रास्ते से हटें तो वे रातों–रात करोड़पति–अरबपति बनें। इन्हीं बस्तियों में बहुत से घर ऐसे हैं जहां सभी बच्चे विदेश में जा बसे हैं। बड़े घरों में सिर्फ माता–पिता अकेले रहते हैं और वे हत्यारों का सहज शिकार हो जाते हैं।

एक बार एक मशहूर टी.वी. न्यूज चैनल के मशहूर पत्रकार ने कहा था कि शाम के वक्त डिफेंस कालोनी या फ्रेंड्स कालोनी भूत घर नजर आती है। जहां सिर्फ थके–हारे बुजुर्ग अपने कुत्तों के साथ घूमते नजर आते हैं। वे सिर्फ स्थिर और थकी आंखों से अपने बच्चों के लौटने का इंतजार करते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते। उनका अकेलापन और अशक्तता हत्यारों को उन तक पहुंचने का सहज रास्ता उपलब्ध कराती है। इसीलिए पुलिस को खास निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने–अपने इलाके में ऐसे अकेले बुजुर्गों की शिनाख्त करें और उनका विशेष ध्यान रखें। ऐसे अकेले वृद्ध सुरक्षा कारणों से इन दिनों अपना घर छोड़कर ओल्ड एज होम्स की शरण भी लेने लगे हैं।

वैसे दिल्ली पुलिस और दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा चलाई जा रही 'गोधूलि' योजना भी है। जहां छात्र अपने–अपने इलाके के बुजुर्गों से मिलकर उनका अकेलापन दूर करते हैं। इस योजना को दूसरे स्कूलों में चलाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। एक ऐसी योजना पर भी काम चल रहा है जहां अनाथालय के बच्चे 'दादा–दादी' गोद ले सकेंगे।

1 अक्तूबर को 'इंटरनेशनल डे आफ ओल्ड पर्सन' पर 'हेल्पेज इंडिया' के समारोह में बोलते हुए राष्ट्रपति श्री ए.पी. जे. अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि हमें बूढ़ों की देखभाल करनी चाहिए।

एक तरफ वे बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों के विदेश चले जाने से अकेले हैं, दूसरी तरफ वे बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों के

रहते अकेले हैं, असहाय, लाचार और बीमार हैं। जिन वृद्धों के पास कुछ पैसे हैं वे तो वृद्धाश्रमों में जा सकते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, या जिन्होंने अपनी जमा पूंजी बच्चों पर लगा दी वे कहां जाएं? फिर वृद्धाश्रमों की दुर्दशा को देखते हुए वहां उन्हें उचित देखभाल मिलेगी, कौन कह सकता है? बुजुर्गों ने अपना सब कुछ बच्चों पर लगा दिया और बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया।

'एजवैल' ने सर्वेक्षण में पाया था कि 13 प्रतिशत बूढ़े अपने ही घर में बच्चों के सामने बंधकों की तरह रहते हैं। 12 प्रतिशत बूढ़ों को लगता है कि उनकी जरूरत किसी को नहीं है। वे तो बस जैसे–तैसे जिंदगी काट रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में 728 ओल्ड एज होम्स हैं, जिनमें अकेले दिल्ली में 24 हैं और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनमें उनकी संख्या बहुत अधिक होने की संभावना है। बहुत से बुजुर्ग खुद ही इन होम्स में जाने का विकल्प चुन रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों के हाथों हमेशा अपमानित होते रहने से बेहतर है कि उनके साथ न रहा जाए। शायद इन्हीं सब स्थितियों पर गौर करते हुए 'सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री' ने बूढ़ों के भले के लिए 18.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दिल्ली सरकार भी 'सीनियर सिटीजन काउंसिल' पर विचार कर रही है।

यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के 'पापुलेशन फंड' ने वृद्धों के लिए बहुत–सी योज़नाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के लिए पैसा जुटाया जा रहा है, जिससे कि बुजुर्गों की समस्याओं का हल किया जा सके।

लेकिन एक के बाद एक योजना बनने से समस्याएं नहीं सुलझ सकतीं जब तक कि उनका क्रियान्वयन न हो। आठ–दस करोड़ अनुभवी हाथ और दिमाग खाली क्यों हैं? वे लाचार और बेबस क्यों हैं? उन्हें क्यों ऐसे काम नहीं दिए जा सकते जहां उनका अकेलापन कम हो, उनका समय कटे, उनकी कुछ आय हो और वे अपने को खत्म हुई चीज न समझें। लेकिन हमेशा से सभी समाजों में जोर 'युवा वर्ग' पर ही रहा है। उसे ही समाज की धुरी माना जाता है। तभी तो पुराने जमाने में भी साठ पार करते ही 'वानप्रस्थी' होने की बात कही जाती थी।

बुजुर्ग देश के वरिष्ठ नागरिक हैं, वे समाज के भी उतने ही बड़े हिस्से हैं। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सरकारी संस्थाओं के हवाले कर बाकी पूरा समाज क्योंकर लंबी तान कर सो जाए। वह समाज जो दिखावे में करोड़ों खर्च करता है, सड़क पर पड़े एक बीमार बूढ़े को देख आंख फेर लेता है। या बीमार मां और पिता की कराहें सुनने के लिए कान बहरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब तो हममें से हर एक को देना होगा। ❑

(लेखिका 'नंदन' में सहयोगी संपादक हैं।)

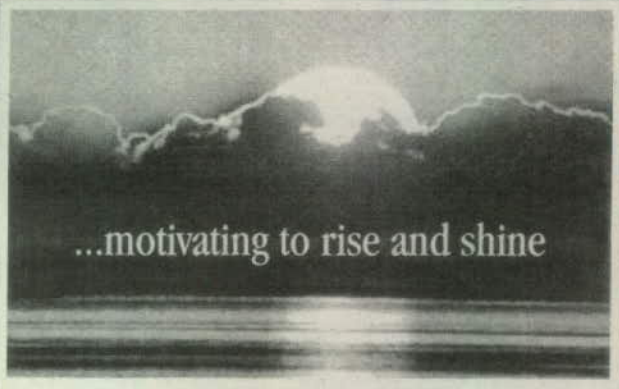

IAS 2004-05
ADMISSION NOTICE
हम समय द्वारा प्रमाणित और परिणाम लक्षित
भारत का सर्वोत्कृष्ट क्लासरूम कोर्स उपलब्ध करते हैं।
[Eng. & हिन्दी माध्यमों में]

GEOGRAPHY
by Prof. Majid Husain
"एक नाम जिसे परिचय की जरूरत नहीं"
* प्रथम बैच में ही 6th Topper (2002)
Mains Classes starting 8th June, 2004
COUNCELLING STARTS 20th May, 2004

GEN. STUDIES
by Dr. Ramesh Singh
"सामान्य अध्ययन को सहज करके पढ़ाने वाला भारत का अकेला नाम"
* केवल Class सुनें, GS तैयार 350 से अधिक पायें।
* निबंध में 130 से अधिक पायें।
* Module की व्यवस्था।
Main-cum-Prelim Classes starting 11th June, 2004
COUNCELLING STARTS 20th May, 2004

INDIAN ECONOMY
by Dr. Ramesh Singh (D. School of Eco.)
"Economy यहां clear नहीं तो भारत में कहीं संभव नहीं!" - Students
Mains Classes starting 11th June, 2004
a 10-days course-upto Sept. 2004, every month.

PUB. ADMINISTRATION
by Mukesh Maheshwari Bajaj
* Classroom coure starts 10th June.
* स्वयं 75% अंक प्राप्त कर चुके हैं।
* Personal Guidance Programme (PGP) की भी व्यवस्था।

CIVILS INDIA
An Institute For IAS
A/12-13, 202-203, ANSAL BUILDING, BEHIND BATRA CINEMA,
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Ph.: 27652921, 27651344, 9810553368, 9818244224

द हिस्टोरिका

IAS PCS

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित संस्थान

सिविल सेवा परीक्षाओं में इतिहास विषय को विज्ञान के विषयों के समान सर्वाधिक अंकदायी विषयों की सूची में अग्रणी बनाने के अपने संकल्प के साथ **'द हिस्टोरिका'** विकास की दिशा में अग्रसर है।

मुख्य परीक्षा में 350+ अंक प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि आप इतिहास के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में प्रचलित विभिन्न विचारों में से सर्वाधिक प्रामाणिक एवं नवीन विचारों/संकल्पनाओं को लिखें।

350+ अंकों की प्राप्ति प्रामाणिक एवं नवीन विचारों के प्रस्तुतीकरण पर ही नहीं अपितु प्रस्तुतीकरण के तरीकों अर्थात् आपके उत्तर लेखन की शैली एवं भाषा पर भी निर्भर करता है।

सफलता प्राप्ति के उपर्युक्त सोपानों के साथ, अपने विगत अनुभवों से सबक लेते हुए, अपने प्रयास में नये मौलिक तकनीकों को सम्मिलित करते हुए **'द हिस्टोरिका' नये सत्र की घोषणा करती है:**

नामांकन प्रारम्भ

इतिहास: रमेश चन्द्रा के दक्ष मार्गदर्शन में।
10 जून; निःशुल्क परिचर्चा के साथ।

सामान्य अध्ययन: रमेश चन्द्रा एवं अन्य अनुभवी विशेषज्ञ।
11 जून; निःशुल्क परिचर्चा के साथ।

फाउण्डेशन कोर्स-I.A.S.- 2005

इतिहास एवं सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक+मुख्य परीक्षा) के लिये

यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी अभी शुरु नहीं की है या तैयारी की प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

☞ विस्तृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें : **9818391120 (8 P.M. To 10 P.M.)**

पत्राचार कार्यक्रम: कार्यक्रम का संयोजन दूर स्थित विद्यार्थियों एवं क्लास-कोचिंग लेने में असमर्थ विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है।

फीस: प्रारम्भिक परीक्षा - 2000/- मात्र, **मुख्य परीक्षा** - 2500/- रुपये मात्र।

नोट: पत्राचार कार्यक्रम हेतु दिल्ली में भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट निम्न पते पर रमेश चन्द्रा के नाम भेजें।

2063(BASEMENT), OUTRAM LINES, KINGSWAY CAMP, DELHI- 9 TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र

○ हर्ष भाल

सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा सामाजिक उद्देश्य के लिए सामाजिक भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक गतिशील अवधारणा है, जो ऐसी आकस्मिक घटनाओं के समय व्यक्तियों की सुरक्षा के दायित्व के क्षेत्र और आयाम का विस्तार करती है, जिनकी परिणति भौतिक, वित्तीय और भावनात्मक विपत्ति के रूप में हो सकती है।

असंगठित श्रमिकों से अभिप्रायः उन मज़दूरों से है जो अपने समान या साझा हितों की रक्षा के लिए एकजुट नहीं हो सकते, क्योंकि उन पर कई तरह के दबाव होते हैं, जैसे रोजगार का अनियत स्वरूप, अज्ञानता, निरक्षरता, प्रतिष्ठानों का छोटा और बिखरे हुए रूप में होना, आदि। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999–2000 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार 39.7 करोड़ लोगों के लिए था, जिसमें से करीब 2.8 करोड़ व्यक्ति संगठित क्षेत्र में और 36.9 करोड़ (करीब 93 प्रतिशत) असंगठित क्षेत्र में था। अंसगठित क्षेत्र के 36.9 करोड़ श्रमिकों में से, 23.7 करोड़ श्रमिक कृषि–क्षेत्र में, करीब 1.7 करोड़ निर्माण क्षेत्र में, 4.1 करोड़ विनिर्माण क्षेत्र में, 3.7 करोड़ व्यापार में और 3.7 करोड़ परिवहन, संचार और सेवाओं में नियोजित हैं। इसे देखते हुए यह महसूस किया गया कि राज्य सरकारों से सलाह–मशविरा करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाए जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध हैं।

सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा सामाजिक उद्देश्य के लिए सामाजिक भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक गतिशील अवधारणा है, जो ऐसी आकस्मिक घटनाओं के समय व्यक्तियों की सुरक्षा के दायित्व के क्षेत्र और आयाम का विस्तार करती है, जिनकी परिणति भौतिक, वित्तीय और भावात्मक विपत्ति के रूप में हो सकती है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य है – एक सुनियोजित, सुविचारित और दीर्घकालिक सामाजिक प्रयास और भागीदारी के जरिए उत्पादक श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और वृद्ध एवं कमजोर लोगों की देखभाल करना। इन प्रयासों का लक्ष्य जीवन

को अभाव, कष्ट और शोषण से मुक्त बनाने का है। अतः किसी भी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अभाव और शोषण से मुक्ति दिलाने के साथ–साथ मृत्यु, बीमारी या अक्षमता (अपंगता) के दुष्प्रभावों को कितना कम कर सकती है। यह विश्वव्यापीकरण की चुनौती और उसके परिणामस्वरूप संरचनागत एवं प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तनों की चुनौती के प्रति अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद पहुंचाती है। सामाजिक सुरक्षा उपायों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और भारतीय संविधान की समवर्ती सूची से भी बल मिलता है।

बदलते समय के साथ अपेक्षित संरक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से श्रमिक वर्ग की आकांक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। सामाजिक संरक्षा को निरन्तर विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग समझा जा रहा है। लोगों की जरूरतों और उनके रोजगार एवं आय के स्तर के आधार पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी भिन्न–भिन्न प्रकार के हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रबंधों का मूल्यांकन करते समय, यह महत्वपूर्ण घटक ध्यान में रखना होगा कि श्रमिकों और उनके आश्रितों की बाहरी परिस्थितियों और जरूरतों में गहन विविधता है।

अनुमान है कि विश्व भर में 2 अरब से अधिक लोगों को किसी भी रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत संरक्षा प्रदान नहीं की गई है। पिछली सदी में बीमारी, क्षति, आय की हानि और कार्य करने में अक्षमता की स्थिति में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए संस्थागत सहायता के रूप में विकसित मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के समक्ष यह एक प्रमुख चुनौती है।

संगठित और अंसगठित क्षेत्र

संगठित क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से वे प्रतिष्ठान आते हैं, जो 1948 के फैक्टरी अधिनियम, राज्य सरकारों के दूकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से संबंद्ध अधिनियमों, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 आदि के अंतर्गत समाहित हैं। इस क्षेत्र का पहले से एक ढांचा है, जिसके माध्यम से इन अधिनियमों के तहत आने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाए जाते हैं। संस्थागत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का लाभ ईपीएफओ और ईएसआईसी योजनाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

अनुमान है कि विश्व भर में 2 अरब से अधिक लोगों को किसी भी रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत संरक्षा प्रदान नहीं की गई है। पिछली सदी में बीमारी, क्षति, आय की हानि और कार्य करने में अक्षमता की स्थिति में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए संस्थागत सहायता के रूप में विकसित मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के समक्ष यह एक प्रमुख चुनौती है।

दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र में श्रम कानून कवरेज का अभाव है, रोजगार का स्वरूप मौसमी और अस्थायी किस्म का है, श्रमिकों की गतिशीलता अधिक है, मनमाने ढंग से पारिश्रमिक तय किया जाता है, कार्य का स्वरूप बिखरा हुआ है, श्रम अनियत किस्म का है, संगठनात्मक सहायता का अभाव है, मोल–भाव करने की श्रमिकों की क्षमता बहुत कम है, आदि ऐसी समस्याएं हैं, जिनसे यह क्षेत्र सामाजिक–आर्थिक कठिनाइयों के प्रति कमजोर हो जाता है। असंगठित क्षेत्र में कार्य का स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच और ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के बीच भिन्न–भिन्न तरह का है, जिसमें दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर अत्यधिक भीड़–भाड़वाले शहरी क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, बटाईदार, पशुपालन में लगे लोग, मछली उद्योग, बागवानी, मधुमक्खी पालन और ताड़ी निकालना, वनों में काम करने वाले श्रमिक, ग्रामीण कारीगर आदि शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निर्माण, बढ़ईगिरी, ट्रान्सपोर्ट, संचार आदि में लगे शारीरिक श्रमिकों के साथ गलियों में घूमकर सामान बेचने वाले हॉकर, सिर पर सामान ढोने वाले वर्कर, मोची, टिन–कर्मी, वस्त्र निर्माता आदि शामिल है।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया ताकि संगठित क्षेत्र में मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक संरक्षण कानून बनाने के बारे में सुझाव प्राप्त किए जा सके। आयोग से कहा गया था कि वह सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, वेतन और उत्पादकता के बीच संबंध जैसे पहलुओं पर किए गए उपायों को अधिक कारगर बनाने के बारे में सिफारिशें दें। साथ ही महिलाओं और अपंग श्रमिकों के लिए अपेक्षित सुरक्षा के उपाय और सुविधाएं प्रदान करने के बारे में अनुशंसा करें। इस तरह उदारीकरण के युग में भी संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा निरंतर सरकार की प्राथमिकता रही है।

सामाजिक सुरक्षा नियम

संगठित क्षेत्र

भारत में अधिनियमित प्रमुख सामाजिक

सुरक्षा कानून इस प्रकार हैं: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1949 (ईएसआईऐक्ट); कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एंड एमपीऐक्ट); श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (डब्ल्यूसीऐक्ट); प्रसूतिलाभ अधिनियम, 1961 (एमबीऐक्ट) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (पीजीऐक्ट)।

कर्मचारी भविष्य निधि एक बेजोड़ संस्थान है जो वृद्धावस्था में घोर वित्तीय संकट के समय श्रमिक को संरक्षा प्रदान करता है। कुछ सीमाओं के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना और उसका विकास स्वतंत्र भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। आज 3.5 करोड़ श्रमिक ईपीएफ के सदस्य हैं, जिनके परिवारजनों को मिलाकर देखें तो करीब 12 करोड़ नागरिक इस निधि से जुड़े हुए हैं। ईपीएफ अपने प्रत्येक सदस्य को सेवा–निवृत्ति के लिए बचत करने में सक्षम बनाता है, जिससे कार्यस्थल से एकमुश्त भुगतान और पेंशन के रूप में एक नियमित आय सुनिश्चित हो जाती है, जो कर्मचारियों की पसंद के बैंक खाते में जमा होती रहती है। श्रमिक की अनुपस्थिति में उसके परिवार को भी पेंशन मिलती है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफ किसी श्रमिक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिवार को बीमा लाभ भी प्रदान करता है। ईपीएफ में करीब 1,40,000 करोड़ रुपये की राशि है, जिसमें करीब 15,000 करोड़ रुपये वार्षिक जमा होते हैं और करीब 10,000 करोड़ रुपये वार्षिक निकाले जाते हैं।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक दौर में 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की गई उस समय उद्योग अपनी उदीयमान अवस्था में था। औद्योगिक विकास और संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में निरन्तर वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखते हुए, पिछले 5 दशकों में यह योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र के पथ प्रदर्शक के रूप में उभरी है। यह गर्व की बात है कि करीब 3.1 करोड़ लोगों को इस योजना से सामाजिक संरक्षण मिल रहा है। इससे देश की आबादी के करीब 3 प्रतिशत उपेक्षित वर्गों को लाभ पहुंच रहा है। इस योजना को 5200 सेवा वितरण केंद्रों के जरिए संचालित किया जा रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में नियंत्रक कार्यालय हैं, जो चिकित्सा लाभ और नकद लाभ की व्यवस्था करते हैं। स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में इस योजना की वार्षिक उपलब्धियों से पता चलता है। कि यह सामाजिक दृष्टि से कितनी अधिक उपयोगी है। आंकड़ों से पता चलता है कि 8 करोड़ बहिरंग रोगियों का उपचार करके, 7 लाख लोगों को अस्पतालों में भर्ती करके और करीब 40 लाख लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपये वार्षिक का नकद लाभ पहुंचाते हुए यह योजना अपनी आश्रित बीमित आबादी के लिए भौतिक या आर्थिक विपत्ति के समय कितनी कारगर सिद्ध हुई है।

असंगठित क्षेत्र

असंगठित क्षेत्र में प्रचलित मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रबंधों को मोटे तौर पर चार समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

i) केंद्र द्वारा वित्तपोषित सामाजिक सहायता कार्यक्रम;
ii) सामाजिक बीमा योजनाएं;
iii) केंद्र और राज्य सरकारों के कल्याण कोषों के जरिए सामाजिक सहायता;
iv) स्वयं–सहायता समूहों के रूप में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए सार्वजनिक उपाय।

केंद्र द्वारा वित्त पोषित सहायता कार्यक्रम

केंद्र द्वारा वित्त पोषित सहायता कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के लिए योजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तीन अंग हैं – राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय प्रसूतिलाभ योजना। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शामिल हैं। ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के जरिए लागू किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र मंत्रालय हथकरघा और बिजलीकरघा (पावरलूम) क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करता है।

सामाजिक बीमा योजनाएं: अंसगठित क्षेत्र के लिए उपलब्ध सामाजिक बीमा योजनाएं एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) के माध्यम से लागू की जा रही है। इनमें अनेक समूह बीमा योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत आईआरडीपी (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम) लाभार्थियों, दूकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, आदि को शामिल किया जाता है। हाल ही में शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यापक योजना, जनश्री बीमा योजना है। जिसके अंतर्गत निम्नांकित लाभ उपलब्ध हैं:

- मृत्य होने पर रुपये 20,000 का नक़द भुगतान
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 50,000 का नक़द भुगतान
- पूर्ण विकलांग कर देने वाली दुर्घटना के मामले में रुपये 50,000 का नक़द भुगतान
- आंशिक विकलांगता के मामले में रुपये 25,000

उपर्युक्त लाभों के लिए प्रतिलाभार्थी प्रीमियम रुपये 200/– है और इसमें से 50 प्रतिशत, यानी रुपये 100/– लाभार्थी, का भुगतान सामाजिक सुरक्षा कोष से

किया जाता है। जनश्री बीमा योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के उन व्यक्तियों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे अथवा सीमांत से थोड़ा ऊपर जीवन बसर कर रहे हैं। योजना का लाभ 25 सदस्यों या उससे अधिक सदस्यों के समूहों को पहुंचाया जाता है।

अंसगठित श्रमिकों की कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 आरंभ की, जो 1 जुलाई, 2001 से चलायी जा रही है। इसे भारतीय बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से पहले चरण में 3 वर्ष के लिए देश के 50 चुने हुए जिलों में चलाया जा रहा है और प्रत्येक जिले में 10 लाख कृषि श्रमिकों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जीवन एवं दुर्घटना बीमा लाभ, धनवापसी, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की व्यवस्था है। 31 मार्च, 2003 तक करीब 2 लाख कृषि श्रमिकों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया जा चुका था।

कल्याण कोष

केंद्र सरकार श्रम मंत्रालय के माध्यम से वर्तमान में बीड़ी श्रमिकों, चूनापत्थर और डोलामाइट खनन श्रमिकों, लोहा, खनिजक्रोमा और मैंगनीज खनिज श्रमिकों के लिए पांच कल्याण कोष संचालित कर रही है। इन कोषों का इस्तेमाल स्वास्थ्य देखभाल, आवास, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, पेय जलापूर्ति आदि क्षेत्रों में श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की कल्याण सुविधाएं जुटाने के लिए किया जाता है। इनके अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या करीब 40 लाख है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारों ने भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित किए हैं।

प्रायोगिक योजना

भारत सरकार ने प्रयोग के तौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (यूएसडब्ल्यूएसएसएस) प्रारंभ की है। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लागू किया जा रहा है और इसके तीन घटक हैं: स्वास्थ्य, बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और वृद्धावस्था पेंशन। लाभों का विवरण नीचे दिया गया है:

चिकित्सा बीमा: इसके अंतर्गत सदस्य सहित पांच व्यक्तियों के परिवार को 'सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना' (यूएचआईएस) के तहत लाभ पहुंचाया जाता है। योजना में प्रतिवर्ष रुपये 30,000/– तक अस्पताल उपचार खर्च की अदायगी की जाती है और अगर परिवार के श्रमिक (सदस्य) को दुर्घटना/बीमारी के कारण अस्पताल में उपचार कराना पड़ता है तो उसे रुपये 50/– प्रतिदिन का मुआवजा अधिकतम 15 दिन तक, दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दुर्घटना के कारण श्रमिक (सदस्य) की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिवार को बीमा लाभ (रुपये 25,000) दिया जायेगा।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: मृत्यु की स्थिति में या स्थायी अपंगता की स्थिति में 1,00,000 रुपये का बीमा लाभ।

पेंशन योजना: 60 वर्ष की आयु पूरी करने या पूर्ण/स्थायी अपंग होने पर न्यूनतम पेंशन रुपये 500/– प्रतिमाह अदा की जायेगी और अगर श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में परिवार को पेंशन मिलेगी। जो अंशदान के आधार पर बढ़ी हुई या कम करके अदा की जायेगी।

कवरेज: सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 50 जिलों में इस योजना को लागू किया जायेगा। असंगठित क्षेत्र के 18 से 35 वर्ष और 36 से 50 वर्ष आयु समूह के दिहाड़ी/पारिश्रमिक कमाने वाले तथा 6500/– रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले स्वरोजगार श्रमिक इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। तत्संबंधी व्यवसायों में कृषि, रेहड़ी/पटरीवाले अगरबत्ती बनाने वाले, वस्त्र निर्माता, मोची, नाईं, गलियों में सामान विक्रेता, सिर पर बोझा ढोने वाले, वनकर्मी, मछुए, रिक्शाचालक, ड्राइवर आदि शामिल हैं।

योगदान: इन सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए 18 से 35 वर्ष के आयु समूह में श्रमिक को रुपये 50/– प्रतिमाह की दर से और 36 से 50 वर्ष के आयु–समूह में श्रमिक को रुपये 100/– प्रतिमाह की दर से अंशदान देना होगा; जहां कहीं लागू किया जा सकेगा, वहां नियोक्ता अंशदान, इन दोनों श्रेणियों में रुपये 100/– प्रतिमाह होगा; 36 से 50 वर्ष के आयु–समूह में आने वाले स्वरोजगार श्रमिकों को स्वयं के अंशदान के साथ–साथ नियोक्ता का अंशदान भी भरना होगा। सरकार का योगदान श्रमिकों के मासिक पारिश्रमिक का 1.16 प्रतिशत की दर (वर्तमान में रुपये 250 प्रतिवर्ष/प्रतिश्रमिक) से अदा किया जायेगा, जिसका आधार केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित राष्ट्रीय न्यूनतम दिहाड़ी को बनाया जायेगा।

श्रमिक सुविधा केंद्र: श्रम मंत्रालय की क्षेत्रीय इकाइयां श्रमिक सुविधा केंद्रों के रूप में काम करेंगी। इन केंद्रों का काम श्रमिकों, स्वरोजगारों में लगे व्यक्तियों, जैसे रिक्शा चलाने वाले, नाई, अगरबत्ती बनाने वाले, वस्त्र निर्माता, रेहड़ी/पटरीवाले, सिर पर समान ढोने वाले आदि और नियोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना हैं; ताकि श्रमिकों को इस योजना में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा सके; इसके लिए शिविरों, कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन किया जाता है ताकि योजना के लक्ष्यों, लाभों और उसे लागू करने के तौर–तरीकों को स्पष्ट किया जा सके; समर्पित गैर सरकारी संगठनों की पहचान की जा सके और उन्हें जागरूकता पैदा करने के काम में शामिल किया जा सके। और श्रमिकों को इस योजना में शामिल होने के लिए

एकजुट किया जा सके; कम से कम 25 सदस्यों के स्वयं सहायता समूहों के गठन में श्रमिकों को मार्गदर्शन किया जा सके और निर्दिष्ट बैंकों/डाकघरों या नियुक्ति स्थलों पर उनका अंशदान जमा कराने में उनकी सहायता की जा सके; पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय एजेंसियों से सम्पर्क किया जा सके; कोष में श्रमिकों के अंशदान के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके; योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में श्रमिकों की मदद की जा सके। निर्दिष्ट बैंकों/डाकघरों/पीसीपी/बीमा एजेंसी/निर्दिष्ट अस्पताल का ब्योरा तत्काल श्रमिक सुविधा केंद्रों पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। राज्य सरकारें भी श्रमिक सुविधा केंद्रों का गठन कर सकती हैं।

कार्यान्वयन एजेंसियां: योजना का कार्यान्वयन कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किया जाता है, जिसका करीब 260 शाखाओं के साथ देशभर में व्यापक नेटवर्क है। श्रमिक सुविधा केंद्र (डब्ल्यूएफसीज) योजना का कार्यान्वयन करने में हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगे। ये श्रमिक सुविधा केंद्र हैदराबाद, नेल्लोर, चित्तूर, इटानगर, गुवाहाटी, पटना, किशनगंज, रायपुर, गोवा, गांधीनगर, सूरत, फरीदाबाद, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, रांची और हजारीबाग में स्थित हैं।

कार्यान्वयन नीति का लक्ष्य एक स्वच्छ, सक्षम और कारगर प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करना और विभिन्न सेवा प्रदाताओं/एजेंसियों के साथ समन्वय करने में लचीलापन अपनाना है ताकि कम से कम संभावित लागत पर योजना को अधिकतम प्रभावकारी और सक्षम ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। 50 जिलों, जहां योजना लागू की जा रही है, को 7 अंचलों में विभाजित किया गया है। जिला स्तर पर गतिविधियां श्रमिक सुविधा केंद्रों (डब्ल्यूएफसी) में संचालित की जायेंगी। मुख्यालय का काम (डब्ल्यूएफसी) में नियत कार्य–घंटों में संचालित किया जायेगा। कार्यालय के परवर्ती कार्य सार्वजनिक समय के बाद के भीतर पूरे किए जायेंगे। श्रमिक सुविधा केंद्रों में कार्य–प्रक्रिया दैनिक निबटारा और दैनिक समन्वय के दो नियमों पर आधारित होगी। श्रमिक सुविधा केंद्रों पर तैनात कर्मचारी समुचित प्रशिक्षित होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विशेष जरूरतों और सदस्यों के परिज्ञान के अनुरूप उनसे संपर्क कर सकें।

व्यक्तिगत दुर्घटना और स्थायी पूर्ण अपंग बीमा पॉलिसी और 'सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना' के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। अभी तक इस बात पर व्यापक सहमति है कि बीमा व्यवस्था प्रमुख बीमा कंपनी, यानी उत्तर में ऑरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा, दक्षिण में यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी, पूर्व में न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी और पश्चिम में नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा की जायेगी।

प्रत्येक जिले में एक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा। समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा और उसमें आरपीएफसी तथा श्रम मंत्रालय की क्षेत्रीय इकाइयों, पंचायती राज संस्थानों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, श्रमिकों, नियोक्तओं, गैर सरकारी संगठनों, निर्दिष्ट बैंकों, निर्दिष्ट अस्पतालों, जिलों में बीमा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समन्वय समिति की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी ताकि योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा सके और श्रम मंत्रालय तथा सरकार को समय–समय पर रिपोर्ट भेजी जा सकें।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय की क्षेत्रीय इकाईयां और राज्य श्रम विभाग स्थानीय भाषाओं में सूचना–पुस्तिकाओं, पर्चों/पोस्टरों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार करेंगे। ये प्राधिकारी जिले के गांवों/ब्लाकों में योजना के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

भावी नीति

भविष्य के लिए निम्नांकित कार्यसूची तैयार की गई है:

1. देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना,
2. विभिन्न, सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए धन जुटाने की प्रणाली का विकास। भावी योजना के लिए धन सभी भागीदारों, यानी नियोक्ताओं, कर्मचारियों और केंद्र तथा राज्य, दोनों सरकारों द्वारा जुटाया जायेगा। योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था के बारे में समुचित तौर–तरीके विकसित किए जाएगें।
3. दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को लागू करना और इन सिफारिशों की समय–समय पर समीक्षा/भविष्य में आयोगों का गठन।
4. समाचारों के संप्रेषण, मीडिया नेटवर्किंग, बाहरी गतिविधियां और मीडिया निगरानी/40 करोड़ श्रमिकों का पहुंचने की चुनौती को पूरा करने की दिशा में काम करना।
5. स्वास्थ्य देखभाल प्रबंध और पेंशन योजनाओं का मूल्यांकन; भविष्य में बीमा उद्योग की भूमिका।
6. विभिन्न सामाजिक योजनाओं को लागू करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। सामाजिक सुरक्षा में इस भागीदारी के समुचित सहयोग की पहचान करना। ❑

(श्री हर्ष भाल
पत्र सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली में निदेशक,
जनसम्पर्क हैं)

Y D Misra's IAS

ADMISSION OPEN

for

IAS
Main-2004
Main-cum-Prelim-2005

HISTORY

(Hindi & English Medium)

by **Y D Misra**

"An experience of 38 yrs."

Special Features:

- ✓ PCS Syllabus of UP, MP, Uttaranchal, Bihar and Rajasthan also covered
- ✓ Discussion and revision sessions
- ✓ Regular Tests for developing your writing skills
- ✓ Focussed study material

Batches Begin : June 15, 2004

For further enquiry please contact : Manoj K Singh
(Director : MIPS Education)

Mukherjee Nagar Centre
MIPS Education, B-19, Satija House, Commercial Complex, Near UTI ATM, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph: 27651700, 27652738, 27651110 Cell: 9810345023

Y D Misra's IAS
30/27, Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road, East Patel Nagar, New Delhi-8
Ph: 55486331/32/34/35 Cell. 9810573354

IAS
Main-2004
Main-cum-Prelim-2005

General Studies
Public Administration
Sociology, Pol. Science

(Hindi & English Medium)

For those who are writing 2004 IAS Pre. Exam

▸▸ We Offer IAS GS Main

Most intensive 6 hrs. classroom guidance everyday

40 Days Course beginning on
June 1st, 2004

▸▸ Visit the Institute to see

Most Modern infrastructure unbelievable Library facility

Only at- Y D Misra's IAS
East Patel Nagar Centre
30/27, Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road, East Patel Nagar, New Delhi-8
Ph: 55486331/32/34/35 Cell. 9810573354

बाल श्रम और इसकी रोकथाम की रणनीति

○ नीति टंडन और स्नेह लता टंडन

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ आमदनी बढ़ाने, महिला सशक्तीकरण, बाल श्रम संबंधी कानूनों पर अमल, न्यूनतम मजदूरी कानून और मेहनत–मजदूरी से बच्चों को हटाने से प्रभावित परिवारों के लिए सामाजिक सेवाओं के प्रावधान को बाल श्रम की समस्या से निपटने का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसे मुद्दों पर भी विचार करना होगा।

बाल श्रम एक ऐसी जटिल समस्या है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। बाल श्रमिकों के बारे में नियम कानून बनाने और सपारिश्रमिक रोजगार वाले दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है तथा अब इस पर मानवाधिकार और विकास के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाने लगा है। बाल श्रम के बारे में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संधियां इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की न्यूनतम मजदूरी संधि संख्या 138 जिसके जरिए श्रमिकों की स्थिति और बाल श्रम को समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को विनियमित किया जाता है; बाल श्रम को समाप्त करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसका उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक आंदोलन और जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रमों के जरिए बाल श्रम को उत्तरोत्तर कम करना है; बच्चों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि जिसके माध्यम से नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित अनेक अधिकारों की ओर ध्यान दिया गया है; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम कार्रवाई सहयोग परियोजना लागू की है जिसका उद्देश्य बच्चों से मेहनत मजदूरी कराने संबंधी कुप्रथा को समाप्त करने की केंद्र सरकार की नियोजन और कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ाना है। इससे चालू परियोजनाओं के साथ–साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली भावी परियोजनाओं में भी मदद मिलेगी।

1990 के बाल शिखर सम्मेलन और इसके बाद बच्चों की उत्तरजीविका, संरक्षण और विकास के बारे में विश्व घोषणा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था जिसका संबंधी बाल श्रम से था। इस सम्मेलन के अंत में जारी घोषणा में दुनिया के देशों से आग्रह किया गया कि वे मेहनत–मजदूरी करने वाले बच्चों की विशेष रूप से रक्षा करने और अवैध बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कार्य करें। इसके साथ ही एक कार्य–योजना भी बनाई गई जिसमें देशों से अपेक्षा की गई थी कि वे जोखिम और शोषण वाली स्थितियों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाने और उनके स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य करें। सबको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी विश्व सम्मेलन बाल श्रम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मेहनत–मजदूरी करने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में लचीलापन बढ़ाने का आह्वान किया गया है। 1995 में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन और अन्य विकासशील देशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में बाल श्रम को एक नैतिक बुराई और मानवता का अपमान करार देते हुए बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एक कार्य योजना विकसित की गई। अगस्त 1996 में बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण के बारे में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बाल वेश्यावृत्ति को पहली बार औपचारिक रूप से विश्व कार्यसूची में शामिल किया गया। इस सम्मेलन में एक घोषणा और कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। इसी तरह अगस्त 1996 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में जोखिम वाले रोजगारों में बाल श्रम को समाप्त करने के कार्य को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया। अगस्त 1996 में दक्षिण एशिया के बच्चों के बारे में

सार्क के मंत्रि स्तरीय सम्मेलन में सन् 2000 तक बंधुआ बाल मजदूरी समाप्त करने के कार्य को प्राथमिकता देने और 2010 तक क्षेत्र से बाल श्रम पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के खतरनाक रूपों पर रोक लगाने के लिए एक नई संधि का प्रस्ताव किया है। इन रूपों से मानवता की अंतरात्मा वास्तव में आहत होती है और कोई भी सम्मानित समाज, चाहे उसके आर्थिक विकास का स्तर कुछ भी क्यों न हो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दासता में बच्चों से कराई जाने वाली मेहनत–मजदूरी, जबरन मजदूरी और बाल मजदूरी, वेश्यावृत्ति या अन्य गैर कानूनी यौन व्यवहार के जरिए बच्चों के शोषण तथा मादक पदार्थों की तस्करी और अश्लील चित्रों आदि के लिए बच्चों के इस्तेमाल को रोकने का भी संकल्प लिया है। पाबंदी के अंतर्गत ऐसे कार्य भी शामिल हैं जिनसे बच्चों को खास तौर पर गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं या उनके स्कूल पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है।

भौगोलिक वितरण की दृष्टि से एशिया प्रशांत क्षेत्र में मेहनत–मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों की कुल संख्या बहुत अधिक है। दुनिया में बाल श्रमिकों की कुल आबादी में से करीब 12.7 करोड़ यानी लगभग 60 प्रतिशत इसी क्षेत्र में हैं। सहारा के अफ्रीका से लगा इलाका दूसरे नंबर पर है जहां 4.8 करोड़ यानी बाल श्रमिकों की कुल संख्या का करीब 23 प्रतिशत रहते हैं। इसके बाद लातीनी अमेरिकी देशों और कैरीबियन देशों का स्थान है 1.74 करोड़ या लगभग 8 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका का स्थान इसके बाद है जहां इनकी संख्या विश्व में बाल श्रमिकों की कुल आबादी का करीब 6 प्रतिशत या 1.34 करोड़ है। विश्व में बाल श्रमिकों का एक प्रतिशत यानी 25 लाख बच्चे औद्योगीकृत देशों में बताए गए हैं जबकि 24 लाख संक्रमणशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में रहते हैं।

विकासशील देशों में कराए गए सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि मेहनत–मजदूरी करने वाले बच्चों में से अधिकतर प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, मछली पकड़ने, शिकार करने और वानिकी जैसे कार्यो में लगे हैं। 8 प्रतिशत लोग विनिर्माण उद्योगों, थोक और खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटलों में काम करते हैं। 7 प्रतिशत बाल श्रमिक घरेलू काम और सेवा में, 4 प्रतिशत परिवहन, भंडारण और संचार में तथा 3 प्रतिशत बाल मजदूर निर्माण, खनन और खादानों में कार्य करते हैं। तंबाकू, काफी, कपास, रबड़, सिसल, चाय जैसे वाणिज्यिक खेती से जुड़े क्षेत्रों में अक्सर बाल श्रम की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेता है।

12 जून, 2002 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रायोजित प्रथम विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के आयोजन में भारत भी गरीबी और अशिक्षा से जुड़ी इस समस्या के समाधान के संकल्प लेकर अन्य देशों के साथ शामिल हुआ।

सामाजिक–आर्थिक पहलू

जहां गरीबी बाल श्रम का एक महत्वपूर्ण कारण है वहीं इसके कई कारण भी हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, भेदभाव, लोगों का एक स्थान से दूसरे को संक्रमण, आपराधिक शोषण, परंपराएं, रीति–रिवाज, व्यस्कों के लिए अच्छे रोजगार की कमी और भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि बाल श्रम के महत्वपूर्ण कारण हैं। खेती की जमीन की कमी की वजह से लोग मजदूरी और ठेके पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं जिसमें न तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम होता है और न श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था होती है क्योंकि यह क्षेत्र श्रम कानूनों और नियमों के दायरे के तहत नहीं आता। अपर्याप्त सामाजिक संरक्षण के कारण बच्चे घर के सुरक्षित माहौल में काम करने के बजाय घर से बाहर कठोर शोषण वाले माहौल में कार्य करने को मजबूर होते हैं। निरक्षरता, स्कूलों की कमी और फटाफट पैसा कमाने तथा उपभोक्ता वस्तुएं जुटाने की होड़ भी इसका कारण है। लेकिन कुछ समीक्षकों का विचार है कि बच्चों के आर्थिक योगदान को बढ़ा–चढ़ा कर पेश किया जाता है। उनका तर्क है कि श्रम बाजार में बच्चों के प्रवेश से वयस्कों की मजदूरी के स्तर में कमी आ जाती है और उनके रोजगार के अवसर भी घट जाते हैं। लेकिन इससे पारिवारिक आमदनी का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए उनका विचार है कि श्रमिकों की बहुतायत वाली अर्थव्यवस्था में बाल श्रम को समाप्त किया जा सकता है। इस तरह का समष्टिगत तर्क उन परिवारों को बहुत कम राहत दे पाता है जो अपने अस्तित्व की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने बच्चों की आमदनी का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा बाल श्रमिकों के माता–पिता कम उम्र से ही अपने बच्चों के श्रम शक्ति में शामिल हो जाने को कोई असामान्य बात नहीं मानते क्योंकि बचपन में खुद उनका श्रम शक्ति में प्रवेश इसी तरह से हुआ होता है और वह स्कूली शिक्षा से वंचित होते है। इसके अलावा जहां माता–पिता बच्चों से मजदूरी के बदले नियोक्ता से पैसा अग्रिम रूप से स्वीकार कर लेते हैं वहां वे कभी यह देखने नहीं जाते कि उनका बच्चा किन स्थितियों में काम कर रहा है और बच्चे नियोक्ता की दया पर निर्भर होते हैं। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां माता–पिता ने नियोक्ता द्वारा बच्चे में काम के प्रति दिलचस्पी की कमी और सुस्ती से काम करने की शिकायत करने पर बच्चे को सजा दी

है। इस तरह बाल श्रम को बनाए रखने में माता–पिता की भी भूमिका होती है।

जहां तक मांग पक्ष का सवाल है बाल श्रम में बढ़ोत्तरी के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। बाल श्रम सस्ता और लचीला होता है। बाल मजदूर कम मजदूरी पर काम करते हैं, वे हर कहना मानने को तैयार होते हैं, उनकी यूनियन नहीं होती, उन्हें अनुशासन में रखना आसान है, उन्हें काम करने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, वे वयस्कों समान ही उत्पादन देते हैं। उन्हें काम पर रखने पर झंझटें कम होती हैं और उन्हें आसानी से नौकरी से निकाला जा सकता है। कुछ नियोक्ताओं का कहना है कि बाल श्रमिक कुछ खास परिस्थितियों में वयस्कों से अच्छा काम करते हैं, जैसे माचिस बनाना, कालीन बुनना, साड़ी बुनना आदि कार्यों में। लेकिन नियोक्ताओं का विचार है कि वे बच्चों को रोजगार देकर भारी आर्थिक संकट में पड़े परिवार को मदद देते हैं। उनका यह भी दावा है कि बच्चों को रोजगार देकर वे उन्हें अनुशासित कामगार बनाते हैं जो अन्यथा आवारगर्दी कर रहा होता या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो सकता था। इसलिए वे बच्चों को मेहनत–मजदूरी के काम पर रखना उन्हें नैतिक दृष्टि से किसी तरह अनुचित नहीं लगता।

लेकिन बाल श्रम के कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले आंदोलनकारी, नियोक्ताओं के इस दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं है क्योंकि इन इकाईयों में सारा काम आम तौर पर श्रम प्रधान गैर–यांत्रिक गतिविधियों से होता है। इसके अलावा वे पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, कम पूंजी लगाते हैं, उनके काम करने के हालात घटिया होते हैं और शुरुआती कार्य के लिए अकुशल या अर्द्ध कुशल श्रम शक्ति का उपयोग करते हैं। इस तरह बच्चों को काम पर रखने से पैसे और श्रम दोनों की बचत होती है। ऐसा करके वे नई टेक्नोलॉजी या नई उत्पादन प्रणाली की शुरुआत को भी टाल जाते हैं। ऐसी स्थिति में न तो औद्योगिक विकास ठीक से हो पाता है और न श्रमिकों के हितों का ही संरक्षण होता है। बाल श्रमिकों की मांग में बढ़ोत्तरी के अन्य कारण हैं : कुटीर उद्योगों की उत्पादकता और लाभप्रदता का कम होना जिस कारण ये उद्योग किसी वयस्क मजदूर को काम पर नहीं रख सकते। इसके अलावा बाल श्रमिकों संबंधी कानूनों पर कड़ाई से अमल न होना और सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाई ठीक से न होना भी बच्चों से मेहनत मजदूरी कराने की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी के कारण हैं। इस तरह बाल श्रम आर्थिक, सामाजिक और स्कूलों से संबंधित कारणों का नतीजा है।

रोजगार की स्थिति और इसका बाल श्रमिकों के विकास पर प्रभाव : बच्चों को जिस तरह के रोजगारों में लगाया जाता है उनमें परिवार आधारित आर्थिक गतिविधियों से लेकर उत्पादन इकाईयों या शोषण करने वाली वाणिज्यिक इकाईयों, जोखिम वाले कार्यों आदि में मजदूरी का काम शामिल है। उत्पादन इकाईयों में मजदूरी कमाने वाले श्रमिकों के रूप में बच्चों को वयस्कों के साथ ही काम पर रखा जाता है लेकिन उन्हें ऐसे कार्य सौंप दिए जाते हैं जिन्हें वह अपने बलबूते ठीक से कर लेते हैं। उदाहरण के लिए शिवकाशी में माचिस बनाने वाली इकाइयों में बच्चे, खास तौर से लड़कियों को तीलियों की भराई, डिब्बियां बनाने, गिनती करने, चिपकियां लगाने जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में रखा जाता है जबकि पटाखा उद्योग में उन्हें कागज की रंगाई, छोटे–मोटे पटाखे बनाने, बारूद को पटाखें में भरने और लपेटने और पटाखे को अंतिम रूप देने के काम में लगाया जाता है। कांच उद्योग में उन्हें पिघले कांच को फुलाकर बल्ब बनाने, कांच के उपकरणों की सफाई, तैयार माल को चमकाने, खराब माल को छांटने और पिघले कांच को लाने–ले–जाने के काम में लगाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार इस उद्योग में 35–50 प्रतिशत तक श्रमिक बाल मजदूर हैं। बाल श्रमिकों के कष्टों का अंत यहीं नहीं हो जाता। कई बार एजेंट मंड़ियों (रोजगार के बाजार) केवल कुछ ही दिन के लिए मजदूरी पर बाल श्रमिकों को नौकरी के लिए भर्ती करते हैं। इन मंड़ियों का दौरा करने पर पता चला है कि एक–दो दिन के रोजगार के लिए ही 7–14 साल के बच्चे सुबह–सुबह सर्दी की परवाह किए बिना वयस्क लोगों के साथ दूर–दराज के गांवों से वहां इस आशा के साथ पहुंचते हैं कि ठेकेदार उन्हें काम के लिए चुन लेगा।

इस तरह बाजार शक्तियों के कारण उत्पादन की कुटीर उद्योग प्रणाली के स्थान पर लघु उद्योग प्रणाली के आने से हस्तशिल्पियों के बच्चे जो पहले अपने ही घर के कुटीर उद्योग में काम करते थे मजदूरी पर रखे गए बाल मजदूर एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों को ढाबों और टी स्टॉल में भी काम पर रखा जाता है जहां उनके काम के घंटे बड़े लंबे होते हैं। उन्हें खाने को भोजन और सोने की जगह तो मिल जाती है मगर पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती। काम ठीक से पूरा न करने पर उन्हें मार भी खानी पड़ती है। मजदूरी करने वाले बच्चों की सबसे बुरी हालत तो तब होती है जब माता–पिता पैसा अग्रिम लेकर बच्चे को एक तरह से गिरवी रख लेते हैं। यह पैसा या तो नियोक्ता से सीधे लिया जाता है या फिर किसी के जरिए लिया जाता है और इसे बच्चे की मेहनत के रूप में चुकाया जाता है। इससे नियोक्ता को एक पक्का मजदूर मिल जाता है और वह उसका भरपूर फायदा उठाता है। बच्चों से बड़ी खराब स्थितियों में अधिक समय के लिए काम लिया जाता है।

लेकिन बरबादी करने और काम पूरा न करने का बहाना बनाकर उनकी मजदूरी काट दी जाती है। अगर सोने को जगह उपलब्ध कराई जाती है तो उसके लिए भी मजदूरी में से किराया काट लिया जाता है, जबकि उन्हें ढाबे में ही या किसी अस्थायी शेड में सोना पड़ता है। घरेलू नौकरों के मामले में भी अग्रिम पैसे के बदले में बच्चों को नौकर बना दिया जाता है। मध्यम और उच्च वर्ग के परिवारों को घरेलू नौकर की आवश्यकता होती है ओर इसके लिए वे गरीब माता–पिता को कुछ पैसा अग्रिम देकर अपने बच्चे को बंधक बना देते हैं। इस तरह गांव का बच्चा घरेलू काम करने के लिए शहर के किसी परिवार में जाता है। उसे भोजन और परिवार के साथ रहने की सुविधा प्रदान की जाती है और मजदूरी को अग्रिम राशि में से घटा दिया जाता है। इस तरह के घरेलू नौकर पूरी तरह असुरक्षित होते हैं। वे नियोक्ता के घर की चहारदिवारी में चौबीसों घंटे उसकी निगरानी में होते हैं इसलिए उनके साथ मारपीट होना आम बात होती है।

बाल मजदूरों के अंतर्गत अर्द्ध रोजगार श्रेणी में आने वाले बाल मजदूर भी शामिल हैं जैसे कूड़ा बीनने वाले, जूता पॉलिश करने वाले, दैनिक उपयोग का सामान बेचने वाले, बाजार और रेलवे स्टेशनों में बोझा ढोने वाले आदि शामिल हैं। इस श्रेणी में सबसे नाजुक लोगों में वे कूड़ा बीनने वाले भी शामिल हैं जो गलियों, बाजारों, कूड़े दानों से नंगे हाथों और नंगे पैरों कूड़ा इकट्ठा करते हैं। उन्हें हमेशा दुर्घटना होने, घायल होने वाले और बीमारियों का खतरा बना रहता है। कूड़ा बीनते समय धारदार चीज से कटने और जहरीले पदार्थ के संपर्क में आने का खतरा बना रहता है।

बच्चे उत्पादन प्रक्रिया में प्रशिक्षु के रूप में भी काम करते हैं जिसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है। जैसे हाथ से कालीन बुनने, रेशमी साड़ी बुनने, कशीदाकारी, रत्नों की पालिश, मरम्मत करने वाली वर्कशाप आदि में बच्चों को काम पर रखा जाता है। ये कौशल वे सिद्धहस्त हस्तशिल्पियों के साथ काम करते हुए सीखते हैं। प्रशिक्षुता अवधि के दौरान बच्चों को आम तौर पर जेबखर्च ही दिया जाता है। उन्हें नियमित वेतन तभी दिया जाता है जब उन्होंने हुनर सीख लिया हो और वह बिना किसी के बताए खुद काम कर सकता है और उत्पादक क्षमता में बढ़ोत्तरी कर सकता है। नियोक्ता अक्सर प्रशिक्षुता अवधि को बढ़ाकर उनका शोषण करते हैं क्योंकि जब तक प्रशिक्षुता की अवधि होती है उसके पास एक सस्ता कुशल मजदूर उपलब्ध होता है जो थोड़ी–सी मजदूरी पर सारा काम कर लेता है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाल मजदूरों को तमाम तरह के शोषण और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, भले ही वे जोखिम वाली स्थितियों में काम करते हों या बिना जोखिम वाली। ऐसे में स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कारगर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

हस्तक्षेप की रणनीति : बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है और इसका बहुत फायदा होने की संभावना है। इस तरह गरीबी उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने को इस सहस्राब्दि का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। 2015 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों से इस समस्या की गंभीरता को सीमित करने में मदद मिलेगी। बाल श्रम की समस्या के समाधान के लिए बाल श्रम (निवारण और विनियमन) अधिनियम, 1986 एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके अनुसार जोखिम वाले कुछ खास उद्योगों और प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम पर रखने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही दिसंबर 1996 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में जोखिम वाले व्यवसायों से बच्चों को हटाने और जो व्यवसाय जोखिम वाले नहीं हैं उनमें भी बाल श्रमिकों के काम करने की स्थितियों के विनियमन का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा एक कल्याण कोष गठित करने का भी व्यवस्था की गई है। बाल श्रम के क्षेत्र में सरकार भी 1980 के दशक के मध्य से सक्रिय हो गई है और एसने बाल श्रम के बारे में 1987 में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बाल श्रम की अधिकता वाले इलाकों में कार्यान्वयन, पुनर्वास और सेवाओं के बीच अधिक समन्वित प्रावधान करके बच्चों से मेहनत–मजदूरी कराने पर रोक लगाना है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं 1988 में प्रारंभ हुई। इन्हें खास–खास इलाकों में लागू किया गया और समयबद्ध तरीके से इन्हें पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कांच, गलीचे, स्लेट, टाइल, दियासलाई, पटाखे, कांसे का सामान, जवाहरात और बीड़ी बनाने जैसे व्यवसायों और उद्योगों में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक सहयोग से समन्वित तरीके से इन परियोजनाओं को लागू किया गया।

अनिवार्य और सबको प्राथमिक शिक्षा के साथ आमदनी बढ़ाने, महिला सशक्तीकरण, बाल श्रम संबंधी कानूनों पर अमल, न्यूनतम मजदूरी कानून और मेहनत मजदूरी से बच्चों को हटाने से प्रभावित परिवारों के लिए सामाजिक सेवाओं के प्रावधान को बाल श्रम की समस्या से निपटने का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसे मुद्दों पर भी विचार करना होगा। चूंकि बाल श्रम एक जटिल समस्या

है और इसमें शिक्षा के अलावा कई सामाजिक क्षेत्रों और मुद्दों को कारगर संयुक्त रणनीति के तहत शामिल करना होगा। सामाजिक हस्तक्षेप की इन अतिरिक्त रणनीतियों को अपनाने का उद्देश्य न केवल बाल श्रमिकों के लिए बल्कि परिवार, समुदाय और समग्र सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण के लिए भी सेवाओं के समन्वय को आसान बनाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र की रणनीतियों का उद्देश्य मजदूरी करने वाले बच्चों को स्वास्थ्य की देखभाल और इससे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल श्रमिकों और समाज को बाल मजदूरों के लिए जोखिम के बारे में जागरूक बनाना और चिकित्सा और परामर्श सेवाएं सुलभ कराना है। गरीबी उन्मूलन की रणनीति के तहत ऐसे उपाय शामिल हैं जिनमें बाल श्रमिकों के परिवारों को पर्याप्त रोजगार और आमदनी बढ़ाने के अवसर के साथ–साथ ऋण सुविधा, सहकारी योजनाओं और सुधरा हुआ आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं के सशक्तीकरण की नीति के तहत समाज तथा परिवार में उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामुदायिक स्तर में सुधार का लक्ष्य रखा जाएगा। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि इलाज कराने से बीमारी की रोकथाम करना हमेशा बेहतर होता है। इसलिए बाल श्रमिक और उसके परिवार की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और इसके लिए कार्यक्रमों का उद्देश्य परिवार के कौशल और संभावित क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। कई विकासशील देशों ने शिक्षा के महत्व को महसूस किया है और शिक्षा के लिए अपना बजट आवंटन बढ़ा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश में निर्देश दिया गया है कि जो लोग बच्चों को काम पर रखते हैं उन्हें 20 हजार रुपया एक निधि में जमा कराना होगा जिससे इन बच्चों की शिक्षा में मदद मिलेगी। इसके अलावा नियोक्ता को या तो बाल श्रमिक के परिवार के कम से कम एक वयस्क व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना होगा या फिर परिवार के कमाऊ सदस्य के कम होने से होंने वाली क्षति की भरपाई के लिए 5000 रुपये का मुआवजा देना होगा। इस तरह उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में रास्ता दिखा दिया है। अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह इसके लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करके इन कानूनों को लागू करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल श्रमिकों की मदद के लिए आवंटित धनराशि वास्तव में उन तक पहुंच सके। ❑

(सुश्री नीति टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हंस राज कॉलेज और सुश्री स्नेह लता टंडन इसी विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग में कार्यरत हैं।)

STANDARD IX is where your child's future begins.

Do you see a budding engineer – or perhaps a doctor – in your ninth grader? Do you worry about his or her future? Public exams, college admissions, graduation, a career... the very thought of what lies ahead can be overwhelming.

No one understands that better than Brilliant. that is why our Professors have created two very special courses for Students of Stds. IX and X.

TARGET IIT ▲ MBBS

Target-IIT and Target-MBBS.
Firm beginnings for happy endings.

Brilliant's unique Target Courses are – as their names suggest – especially created for students whose long term aim is to try for Engineering or Medicine. They build, in each child, the foundation, the logical, problem-solving approach, the confidence and the attitude so essential to succeed in difficult competitive exams. They pave a solid pathway for those who are serious about preparing for IIT-JEE or Medical Entrance, after Std. XII. And more importantly, they bring alive science and maths in a way that awakens and inspires the latent scientist – or doctor – in each child. This results, quite naturally, in better performance in the Std. X public exams.

To know more about Brilliant's Courses – Call, write, fax or e-mail

BRILLIANT® TUTORIALS

Your Gateway to Success

Box:4996 YOH 12, Masilamani Street,
T. Nagar, Chennai 600 017.
Phone: 044-24342099, Fax: 044-24343829
e-mail:enquiries@brilliant-tutorials.com

BRILLIANT'S POSTAL COURSES OPEN FOR:
• IIT-JEE (2 Yr. Elite & 1 Yr. course)
• MBBS Ent. (2 Yr. CBSE & 1 Yr. course) • AIEEE/SEAT
• AMIE (I) (Sec. A & B) • MBA Ent. • MCA Ent. • GATE
• IAS • IES • CSIR-UGC (NET) EXAM
• UGC (NET) EXAM (Humanities)
• GEOLOGISTS' EXAMINATION 2004 • GRE • TOEFL • BPOE

बालश्रम : बहुतेरे हैं आयाम

○ कौशलेन्द्र प्रपन्न

तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद यदि बाल मजदूरी बतौर जारी है तो इसके लिए जिम्मेदार वे सभी लोग हैं जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बालश्रमिकों (गुलाम, शोषित) के अस्तित्व को यथावत् बरकरार रखने में शामिल हैं। सरकार के सामने लक्ष्य हैं, परियोजनाएं हैं और सपने भी। बच्चों के सपने साकार हों इसके लिए प्रतिबद्धता अपेक्षित है।

'बच्चों की बात सुनें और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें : बच्चे और किशोर ऐसे साधन सम्पन्न नागरिक हैं जो सबके लिए बेहतर भविष्य की रचना करने में मदद दे सकते हैं। हमें उनकी आयु और परिपक्वता के अनुरूप, उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अपनी राय देने और भागीदारी करने के उनके अधिकार का सम्मान करना चाहिए।' (बच्चों के लायक दुनिया घोषणा 2002) ये पंक्तियां, चिंताएं मांग करती हैं कि हम बड़ों की दुनिया बच्चों के अस्तित्व को स्वीकारें और उनकी सहभागिता तय करें। मालूम हो कि किसी भी देश की भविष्य निधि वहां की नन्ही निर्दोष आंखों वाली बच्चों में निहित होती हैं। बच्चे कल के कर्णधार होते हैं इस वास्तविकता से कोई मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आज की तारीख में जब हम देश क्यों, विश्व के बाल शक्ति पर एक सिंहावलोकन करते हैं तो मन अनेकानेक चिंताओं, निराशाओं से भर उठता है। क्योंकि आज भी (जब हम विकास के पैमाने, पुराने मानदण्डों को तोड़ चुकने का दावा करते हैं) विश्व में बाल मजदूरी का सिलसिला बतौर जारी है। अपने आसपास नजर उठाकर देखें तो 'छोटू' नाक पोंछता, पैंट चढ़ाता, सर्दी में ठिठुरता किसी चाय दुकान में, मोटर गैराज में या सेठ की दुकान में विकास को धत्ता बताते हुए खड़ा मिलेगा। 'छोटू' व्यक्तिवाचक संज्ञा से निकल कर सामाजिक पटल पर फैल जाने वाली 'जाति' के रूप में उभरा है। सड़कों पर काम करते, पेट पालते बच्चे वे 'लोग' हैं जिन्हें फैक्ट्रियों, बुनकरों, जूते पॉलिश जैसे व्यवसायों में सम्मिलित नहीं किया गया। ऐसे श्रम में लिप्त करोड़ों बच्चे हैं जिन्होंने अपना बचपन, सपने, दादी–नानी की कहानियों को दफनाकर जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन समाज अब जागरूक हो रहा है। देश के सामने इस चुनौती से निपटने का बड़ा मुद्दा उभरा है। अब सरकार इस विषय

बालश्रम का सबसे बड़ा कारण परिवार का गरीब होना ही है

पर गंभीरतापूर्वक सोच रही है। बल्कि कहना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सन् 2002 में हुए विशेष अधिवेशन बच्चों की दुनिया को सुधारने के प्रति प्रतिबद्ध है। तभी तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री कोफी ए. अन्नान के शब्दों में 'वे अपने विचार, आशाएं और सपने लेकर हमारे पास आए।' यहां एक आशंका स्वाभाविक है कि हम बड़े उनके सपनों का क्या करें? कैसे पूरा करेंगे? हमारे निर्णयों, पहलों में कितनी संबद्धता होगी, ईमानदार कोशिशें होंगी? क्योंकि अच्छे–अच्छे स्लोगन, वाक्य रचना गाना सहज है परंतु उसे साकार रूप देना उतना ही जोखिम भरा। उन्हीं जोखिमों को चुनौती देते हुए विश्व मंच पर विराजमान विभिन्न देशों के बच्चों ने कहा – 'हम आपसे कुछ अधिक नहीं मांग रहे हैं। आपका कहना है कि यह शिखर सम्मेलन कदम उठाने यानी ऐक्शन लेने के लिए हो रहा है। हमें सिर्फ आपकी शाबाशी या अच्छे भाषण की तारीफ और तालियां नहीं चाहिए। हम 'ऐक्शन' चाहते हैं।' (दुनिया के बच्चों की स्थिति 2003)

गौरतलब है कि बालश्रम से निजात दिलाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भी उनमें शामिल है। यहां सरकार ने भी कुछ परियोजनाएं, योजनाएं व्यवहार में लाना शुरू कर दिया है।

सामाजिक छवि

बाल मजदूरी के पीछे सबसे बड़ा कारण परिवार का गरीब होना ही है। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति बच्चों को घर में, स्कूल में, गांव और शहर से दूर काम की तलाश में भटकने के लिए प्रेरित करता है। इस मामले में पहाड़ से काफी संख्या में बच्चे विभिन्न शहरों में आकर चाय दुकानों, साहुकारों, लघु–उद्योगों में कम से कम पैसे में काम पर लग जाते हैं। पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद वो स्कूल का चेहरा नहीं देख पाते। जो कुछ समय के लिए जाते भी हैं तो उन्हें आर्थिक–मार स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देती है। इसलिए उन बच्चों को दासता, बंधुआ, गुलामी की संस्कृति को स्वीकारने में भलाई दिखाई देती है न कि व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने में। क्योंकि विरोध, नारेबाजी से रोटी मिलने की बजाय छिन जाने का भय सताता रहता है। उनकी यही मनोवृत्ति दासत्व को मजबूती प्रदान करती है। बच्चों की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, तो बड़ों के दासत्व भाव को भी तोड़ना आसान नहीं होता। हालांकि पालो फ्रेरे इस दासत्व, 'चुप्पी की संस्कृति' के खिलाफ लगातार प्रयासरत रहें। वहीं दूसरी ओर अपने देश में भी विभिनन स्थानों पर छिटपुट ही सही किंतु तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों में दासता को छिन्न–भिन्न करने का प्रयास जारी रहा। लेकिन अनुभवियों का मानना है कि उन कामगर लोगों को समझाना बहुत कठिन है, जो पूरी तरह से अपनी गुलामी को नियति का एक हिस्सा मान चुके हैं। वे लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि मालिक उनका शोषण कर रहा है। इसे वे लोग मालिकों का अधिकार मानते हैं। दासत्व की यही दमित भावना बच्चों को उत्पीड़ितों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। नियतिवाद के शिकार ये अबोध बच्चे पूर्णतर मनुष्य बनने से वंचित रह जाते हैं। सच पूछा जाए तो बच्चे समाज के जिन कामों में लगे हैं, वह एक तरीके से ऐसे तंत्र को सृजित कर रहा है जो प्रकारांतर से उत्पीड़ितों के हितों को साधने वाला बन जाता है। इसके लिए भले ही उन्हें आधुनिक से आधुनिक तंत्रों, हथकंडों का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। आज बच्चे जिन कामों में अपनी पूरी क्षमता, कौशलों को झोंक रहे हैं वह उत्पीड़नकारी ही है, क्योंकि उनके द्वारा संपादित काम उन्हें पूर्ण मनुष्य बनने में मदद नहीं करते। कुछ प्रमुख काम के स्वरूपों, स्थानों, प्रकृति पर भी नजर डालें, जहां बच्चे लगे हुए हैं। मसलन; कालीन उद्योग, बीड़ी उद्योग, पीतल और कांच उद्योग, आतिशबाजी उद्योग, जरी की कढ़ाई आदि के साथ ही साथ लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की खुदाई, जवाहरात पर पॉलिश आदि कुछ ऐसे कार्यक्षेत्र हैं जिन्हें पतली–पतली अंगुलियों से दक्षतापूर्वक काम किया जा सकता है। इसीलिए इन कामों में बाल मजदूरों की अच्छी तादाद है। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षाविदों, शोध–छात्रों की एक टीम फिरोजाबाद जाकर यही अध्ययन करके लौटी कि वहां घर–घर में सीसे, चूड़ी के काम हो रहे हैं इसका असर बच्चों पर क्या और किस रूप में पड़ता है? क्योंकि वहां के आबोहवा में काफी मात्रा में सीसा घुला हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के शिवकाशी स्थित माचिस–पटाखा उद्योग मामले में अहम् निर्णय सुनाते हुए 1996 में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 24 में देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता

बाल मजदूरी के पीछे सबसे बड़ा कारण परिवार का गरीब होना ही है। घर की कमजोर आर्थिक स्थिति बच्चों को घर में, स्कूल में, गांव और शहर से दूर काम की तलाश में भटकने के लिए प्रेरित करता है। इस मामले में पहाड़ से काफी संख्या में बच्चे विभिन्न शहरों में आकर चाय दुकानों, साहुकारों, लघु–उद्योगों में कम से कम पैसे में काम पर लग जाते हैं।

है कि अभी भी जोखिम भरे कामों में हमारे नौनिहाल रोज खट रहे हैं। क्या इसका एक कारण यह नहीं है कि पेट की आग, नैतिक जिम्मेदारी और हमारी स्वार्थपरता उन मासूमों से बेगारी, बाल मजदूरी करा रही हैं। या कि कोई और भी कारण है? एक कारण यह हो सकता है, बल्कि दक्षिण भारत के गांवों में पाया भी जाता है, जहां बंधुआ मजदूर के रूप में बच्चे अपने मां–बाप के द्वारा लिए कर्ज चुकाने में लगे हैं। उन्हें लंबे समय तक अक्सर जोखिम भरे हालात सहने पर विवश किया जाता है। गौरतलब है कि विकासशील देशों में 15 करोड़ बच्चे आज भी कुपोषित हैं। 12 करोड़ बच्चे स्कूल, नहीं जाते इतना ही नहीं साथ में हानिकारक परिस्थितियों में काम भी करते हैं।

स्कूल–प्रांगण : मुक्ति के बाद

फैक्ट्रियों, घरों व अन्य कामों में लिप्त बाल मजदूरों को बाल मजदूरी के चक्रव्यूह से निकालने का काम भारत सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं बड़ी ही मुस्तैदी से कर रही हैं। उन बच्चों, परिवार वालों को निस्संदेह आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ता है जब उन्हें बालश्रम से निजात दिला दिया जाता है। घर की आर्थिक स्थिति अचानक डावांडोल हो जाती है, क्योंकि बाल–मजदूर अपने घरों में आय के स्रोत स्वरूप मुख्य घटक बन चुके होते हैं। कोई भी मां–बाप सहजता से तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे को काम से हटाकर स्कूल, शिक्षा की मैराथन दौड़ में हांक दिया जाए। उनके जीवन मूल्य, मान्यताएं पैसा कमाना हो चुका होता है। उनके अपने तर्क होते हैं जिसके आगे एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति हार जाता है। लाख समझाएं कि पढ़ने से बच्चे का जीवन सुधरेगा। मगर वो इसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि उनके सामने जीवन की अन्य चुनौतियां अहम होती हैं। भारत सरकार उन बालश्रमिकों को काम से मुक्ति दिलाकर स्कूल यानी शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अपने सामने मार्च 2007 तक का लक्ष्य निर्धारित की है। इस मुहिम के अंतर्गत 'बालश्रम उन्मूलन पर राष्ट्रीय–प्राधिकरण' गठित किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 10 हजार विद्यालयों की स्थापना देश के विभिन्न राज्यों में किए जाएंगे। 250 जिलों में 5–14 आयु वर्ग के बालश्रम से मुक्त हुए बच्चों को (6 लाख) शिक्षा प्रदान करने की योजना है (शिक्षा की खास शाखा व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण) उन बच्चों के लिए होगा जो 3 वर्ष की पारंपरिक शिक्षा पा चुके हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण उन बच्चों को स्वावलंबी बनने में मददगार साबित होंगे। वो कोरी किताबी ज्ञान अर्जन करके बाजार में भटकने के लिए अभिशप्त नहीं होंगे। बल्कि एक हुनर (कौशल) लेकर बाजार में उतरेंगे। इतना ही नहीं बल्कि 5–9 वर्ष के आयु समूह वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाएगी जिसकी व्यवस्था 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इस परियोजना को प्रारम्भ में 10 चुनिंदा क्षेत्रों में 5 राज्यों के 20 जिलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत बालश्रमिकों के अभिभावकों को वैकल्पिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे वे अपने बच्चों को श्रम हेतु न भेजें।

कोई भी मां–बाप सहजता से तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे को काम से हटाकर स्कूल, शिक्षा की मैराथन दौड़ में हांक दिया जाए। उनके जीवन मूल्य, मान्यताएं पैसा कमाना हो चुका होता है। उनके अपने तर्क होते हैं जिसके आगे एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति हार जाता है। लाख समझाएं कि पढ़ने से बच्चे का जीवन सुधरेगा। मगर वो इसे स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि उनके सामने जीवन की अन्य चुनौतियां अहम होती हैं।

एक प्रश्न यहां बच्चों के सामंजस्य से संबंधित उठता है। जब वे उन स्कूलों में जाएंगे तब आम बच्चों के साथ क्या समायोजन बैठा पाने में समर्थ होंगे? अगर नहीं तो इसके लिए स्कूल प्रशासन क्या कदम उठाएगी? क्योंकि यह मुद्दा तब भी उठाया गया था जब कॉमन स्कूल सिस्टम व पड़ोसी स्कूल अवधारणा के तहत गरीब बच्चों को पब्लिक स्कूलों में नामांकन सुरक्षित करने की बात दिल्ली सरकार ने उठायी थी। कई आशंकाएं जायज भी थीं, कि उन बच्चों को एक खास नजर, व्यवहारों का सामना करना पड़ेगा। अन्य बच्चे उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया बरतेंगे तब उन बच्चों (बालश्रम से मुक्त हुए) को क्या कोई संस्था, नीतियां मदद करेंगी।

इसी के साथ और कई और भी अनुत्तरित सवाल हैं जिसका सामना बाल श्रमिकों को पग–पग पर करना होगा।

बाल श्रमिकों की मानसिक संरचना

बाल श्रमिक जिस प्रकार के पारिवारिक माहौल, मनोवैज्ञानिक दबावों से गुजर रहे होते हैं या गुजरते हैं उनकी मानसिकता, सोच, समाजीकरण उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़तीं। जब बालश्रम से मुक्त बच्चे आम बच्चों के साथ 'स्कूल–प्रांगण' एवं आम जीवन में उतरेंगे तब मानसिक द्वंद्व का उभरना स्वाभाविक प्रतीत होता है। रोज दिन के 'जीवन बचाव अभियान' उनके दृष्टिकोणों को भी खासे प्रभावित करते हैं। स्कूल बीच में छोड़ देने की घटना ऐसे ही द्वंद्वों, टकरावों का परिणाम होता है। वे बच्चे

स्वयं को नए माहौल में समायोजित नहीं कर पाते। अंततः स्कूल की पढ़ाई, बस्ते का बोझ बीच में ही पटककर भाग खड़े होते हैं। इन बच्चों की मानसिक संरचना एक दिन में निर्मित नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक यह 'सीखने' की प्रक्रिया चलती है। ऐसी स्थिति में वे बच्चे उम्र से पहले युवा और फिर वृद्ध हो जाते हैं। उनकी भाषा, शब्दावली, सोच भी परिपक्व हो जाती है। बस में हेल्पर के काम में लगे बच्चों की भाषा, व्यवहार, आवाज इसके जीते–जागते उदाहरण हैं। उन बच्चों की 'समझ' खास परिस्थितियों में ढलती रहती है इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो वे 'क्लासिकल कंडिशनिंग' में पल–बढ़ रहे होते हैं। हमें इस बात की भी जरूरत पड़ेगी जब हम उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तब उनकी इस परिवेशगत समझ, समाजीकरण को भी बदलने का प्रयास करना होगा। अन्यथा हमारी कोशिश असफल हो सकती है।

संविधान और बच्चे

यूनिसेफ अपने रिपोर्ट 2003 के पैनल 8 में 'हम हैं दुनिया के बच्चे' के अंतर्गत कुछ कदम बल्कि प्रयासों का जिक्र करता है जैसे,

हमारा सपना – शोषण, दुरूपयोग और हिंसा से मुक्ति :

- बच्चों को शोषण और दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों का पालन और सबके द्वारा उनका सम्मान।
- इन सबके शिकार बच्चों के जीवन के पुनर्निर्माण में सहायक केंद्र और कार्यक्रम।

उच्चतम न्यायालय इन बालश्रमिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रति भी सजग प्रतीत होती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा 'खतरनाक धंधों में काम कर रहे बच्चों को उस काम से किस तरह हटाकर उनका पुनर्वास किया जाए। किस तरह गैर खतरनाक

भारत में बालश्रमिकों की संख्या
तालिका–1

1971	1981	1991
1 करोड़ 7 लाख	1 करोड़ 11 लाख	1 करोड़ 42 लाख 18 हजार 588

काम करने वाले बच्चों की कामकाज की दशाओं को नियंत्रित किया जाए...।' भारतीय संविधान की कुछ खास अनुच्छेदों पर नजर डालें तो वहां बाल श्रमिकों के संरक्षण को लेकर सकारात्मक पहलू सामने आते हैं जैसे – अनुच्छेद (23)(1) 'मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा' (भारत का संविधान)। अनुच्छेद (24) "कारखानों आदि में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय परियोजना में नहीं लगाया जाएगा।" (भारत का संविधान)। अनुच्छेद 39(च) "बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।" (भारत का संविधान)। इन अनुच्छेदों से साफ जाहिर होता है कि संविधान निर्माता भी बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए गंभीर थे।

कुछ अधिनियम बालहित में : एक अवलोकन

- बागान श्रमिक अधिनियम – 1951
- व्यापारिक जहाज रानी अधिनियम – 1958
- मोटर परिवहन अधिनियम – 1961
- बीड़ी सिगरेट सेवा शर्त नियोजन आदि

कुछ प्रमुख समितियां – बालश्रम केंद्रित

- हरबंस सिंह समिति
- सनद मेहता समिति
- सिंधवी समिति
- बालश्रम निषेध एवं नियमन, अधिनियम 1986

एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 1 करोड़ 26 लाख बच्चे पूर्णतः श्रमिक का जीवन बसर कर रहे हैं। आंकड़ों के पहाड़ को न देखा जाए कि यह कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि आंकड़ों के खेल तो चलते रहेंगे मूल बात यहां सिर्फ इतनी है कि बालश्रम से बच्चों को कैसे निजात दिलाया जाए, इस पर गंभीरतापूर्वक विमर्श किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि उन विमर्शों के मंथन से निकले समाधानों, सुझावों को अमलीजामा भी पहनाने की हर संभव कोशिश की जाए।

सारतः 'छोटू' न केवल भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी शोषण, श्रम की चक्की में पिस रहे हैं। इस पूरे चर्चा व बालश्रम के संदर्भ में हमने, एक खास बात देखी कि बच्चियों (लड़कियों) की संख्या और उनकी स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। हालांकि यूनिसेफ की रिपोर्ट 2003 को देखने पर यह भ्रम जाता रहता है कि लड़कियां बालश्रमिक शोषित नहीं हैं। लेकिन आंकड़ों में लड़कियों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी यदि बाल मजदूरी बतौर जारी है तो इसके लिए जिम्मेदार वे सभी लोग हैं जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बालश्रमिकों (गुलाम, शोषित) के अस्तित्व को यथावत् बरकरार रखने में शामिल हैं। सरकार के सामने लक्ष्य हैं, परियोजनाएं हैं और सपने भी। बच्चों के सपने साकार हों इसके लिए प्रतिबद्धता अपेक्षित है, क्योंकि '...सपने सभी को/ आश्वासन देते हैं भंवर में झकोरें/खाती नाव को/जैसे–तैसे/उबार लेती है। ❑

(स्वतंत्र पत्रकार)

उत्कर्ष I.A.S.

हिन्दी माध्यम का सर्वोत्तम संस्थान

हिन्दी साहित्य :- भारत का सर्वोत्तम संस्थान।
पिछले 10 वर्षो में I.A.S. परीक्षा में 90% सफलता ।
प्रथम बैच I.A.S. 95 के सफल प्रत्यार्शी

राजेन्द्र कुमार कटारिया
8th Rank (S.C.)

तुषार धवलसिंह
100th Rank

संजीव कुमार
261 Rank

1996 से 2000 तक I.A.S. में 70 से अधिक व P.C.S. में सैकड़ों सफलताएं। I.A.S. 2001-2002 में उच्च स्थान पर चयनित कुछ अभ्यार्थी।

मनीष गोतम (376)

रवि कुमार अरोड़ा (351)

विवके कुमार दक्ष (325)

धनजंय सिंह भदौरिया (356)

निमेष कुमार (340)

अशोक कुमार (337)

अलोक कुमार (337)

आनंद कुमार सोमानी (378)

1998 **I.A.S.** परीक्षा में उच्च स्थान पर चयनित

संस्कृत साहित्य :- दि. वि. के प्राध्यापक के द्वारा, संस्कृत लेखन पर विशेष बल।
राजनीति विज्ञान :- दि. वि. के अनुभवी एवं विश्व विख्यात प्राध्यापक के द्वारा जिन्होने राजनीति विज्ञान पर कई पुस्तके लिखी है। हिन्दी माध्यम में हमारा कोई विकल्प नहीं है।
इतिहास :- डा. रघुवंशी, विश्वविद्यालय प्रोफेसर के द्वारा।
दर्शनशास्त्र :- दि. वि. के प्राध्यापकों के द्वारा।
भूगोल :- एस. कृष्णा के द्वारा।
सामान्य अध्ययन :- आर. कृष्णा, एस. कृष्णा एवं डां० अली (दि० वि०) के द्वारा।
निबन्धः- दस दिवसीय सत्र

कक्षाएं 1 जून 2004 से शुरू हो रही है।

श्री उत्कर्ष क्लासेज रजि०

1245, औट्म लाईन, किंग्सवें कैम्प, दिल्ली-9 फोन :- 27659400, 27129550, 9868448606

भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता

○ नरेन्द्रपाल सिंह और गौरव

किसी घटना के घटने या न घटने के परिणामस्वरूप होने वाली हानि को जोखिम कहते हैं। जोखिम केवल व्यवसाय में ही नहीं अपितु जीवन के हर क्षेत्र में पाई जाती है। व्यावसायिक परिणाम में अनिश्चितता एवं अपेक्षित परिणाम में अस्थिरता को जोखिम कहते हैं साथ ही व्यापार में नुकसान, घाटा, आर्थिक संकट से उत्पन्न स्थिति को भी जोखिम के अंतर्गत शामिल करते हैं। बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने संगठन एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करें अन्यथा उनका अस्तित्व ही खतरे में चला जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र में आपसी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होते ही बैंकों द्वारा यह महसूस किया जाने लगा है कि उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बैंकिंग–व्यवसाय में निहित जोखिमों को ध्यान में रखना होगा। भारत में बैंकों को स्वायत्ता प्रदान किए हुए एक दशक से अधिक समय बीत चुका है तथा रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न समितियां गठित कर उनके सुझावों के आधार पर अनेक नई अवधारणओं को लागू किया गया है। बैकों को आपसी प्रतियोगिता को कम करने एवं अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन बैंकों को बैंकिंग के मूल जोखिम, तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन की अवधारणा को सपष्ट करता है जबकि जोखिम आधारित पयवेक्षण बैंकों को उनकी समस्त क्रियाओं में निहित जोखिमों को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। बैंकिंग में 'जोखिम' के अन्तर्गत बहुत–सी चुनौतियां सामने उभरी हैं। इन चुनौतियों ने बैंकों को सोचने के लिए मजबूर किया है कि वर्तमान में इनका मुकाबला किया जाए और आने वाले समय में विश्व में बैंकिंग प्रतिस्पर्धा को झेलने के लिए अपना वित्तीय क्षेत्र तैयार किया जाए।

किसी घटना के घटने या न घटने के परिणामस्वरूप होने वाली हानि को जोखिम कहते हैं। जोखिम केवल व्यवसाय में ही नहीं अपितु जीवन के हर क्षेत्र में पाई जाती है। व्यावसायिक परिणाम में अनिश्चियता एवं अपेक्षित परिणाम में अस्थिरता को जोखिम कहते हैं साथ ही व्यापार में नुकसान, घाटा, आर्थिक संकट से उत्पन्न स्थिति को भी जोखिम के अंतर्गत शामिल करते हैं जोखिम एक अंतर्निहित और अपरिहार्य तत्व होता है। बैंक में जमा राशियां, धन का हस्तांतरण, नकदी, ब्याज दर, ऋण प्रदान करना आदि जोखिम भी इस अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। बैंक को दिन–प्रतिदिन स्वयं अथवा ग्राहकों की ओर से कार्य करते हुए उक्त लेन–देनों से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय सुधारों से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण बैंकों पर था। ऋण एवं जमा ब्याज की दरें भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती थीं किंतु वर्ष 1991 के बाद से बैंकों को अधिक स्वायत्ता दिए जाने से उनके समक्ष जोखिम एक चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ गई है और अब बैंकिंग का कार्य और अधिक जोखिम पूर्ण हो गया है।

बैंक जोखिमों के प्रकार

बैंको में जोखिम अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं के साथ जुड़े होते हैं इसमें सकल घरेलू उत्पाद, ब्याज दर, मुद्रा प्रसार की दर, विनिमय दर आदि महत्वपूर्ण हैं। इनमें परिवर्तन के परिणामस्वरूप जो जोखिम उत्पन्न होती है वह बैंकों या किसी भी वित्तीय संस्थान के नियन्त्रण से बाहर होती है। बैकों में कुछ वित्तीय जोखिम होते हैं जैसे– ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनियम जोखिम, आकस्मिक जोखिम, बाजार जोखिम, व्यापार परिवेश जोखिम आदि को शामिल कर सकते हैं जबकि अपरिहार्य जोखिमों से नहीं बचा जा सकता उनको किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संगठन को नहीं उठाना चाहिये। बैकों में जोखिमों के प्रमुख प्रकार निम्न हैं।

ऋण जोखिम

बैंक जिन लोगों के पास अतिरिक्त धन है और जिन लोगों की धन की आवश्यकता है उन दोनों के बीच मध्यस्थतता का कार्य करते हैं। जिन लोगों के पास अतिरिक्त धन है वे स्वयं जोखिम न लेकर अपना रुपया कम ब्याज दर पर बैंक में जमा करते हैं और बैंक

जोखिम लेकर अधिक ब्याज दर पर उस रुपये को लोगों में उधार के रूप में बांटते हैं और दोनों के अन्तर से बैंक ब्याज मार्जिन अर्जित करते हैं किन्तु ऋण जोखिम अर्जन की स्थिरता से जुड़ा है जो बैंक अपनी आस्तियों को अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित न होने दे और जो हो गई है उनमें वसूली हेतु कोशिश करें।

तरलता जोखिम

बैंकों में आने वाली नकदी और जाने वाली नकदी से जो धनात्मक या ऋणात्मक असन्तुलन उत्पन्न होता है इसी को तरलता जोखिम के अंतर्गत शामिल करते हैं। बैंकों की अस्थियों और देयताओं के रोकड़ प्रवाह से जो अस्थिरता उत्पन्न होती है वह भी तरलता जोखिम का एक रूप है। अस्तियों के मूल्य में होने वाले उतार–चढ़ाव के कारण बाजार में अस्तियों का परिसमापन करते समय उठायी जाने वाली संभावित हानि तरलता जोखिम के अंतर्गत आती हैं और बैंको में यदि देयता आस्तियों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती है तो बैंक जनता का धन समय से चुकाने में असमर्थ रहता है। बैंक के पास जो निधियां उपलब्ध होती हैं उनको सही समय पर यदि निवेश नहीं किया जाता है तो भी तरलता जोखिम की स्थिति पैदा होते देर नहीं लगती।

ब्याज दर जोखिम

उदारीकरण के इस युग में जिस प्रकार से रिजर्व बैंक द्वारा बैकों को स्वायतत्ता प्रदान की गई है और दिन–प्रतिदिन बैकों में प्रतियोगिता के कारण ब्याज दर में लगातार गिरावट जारी है बैंकों के सामने ब्याज दर की जोखिम बनी रहती है। जिस ब्याज दर पर रुपया जमा किया जाता है अगर भविष्य में उस ब्याज दर में उच्चावचन होता है तो ब्याज हमें आज की दर से ही देना होगा। जबकि प्राप्तियां बाजार दर से होगी अतः ब्याज दर में उच्चावचन तरलता संकट पैदा कर सकता है।

कीमत जोखिम

बैंकों के सामने मूल्य जोखिम महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें आस्तियों और देयताओं के मूल्य में उतार–चढ़ाव होने के कारण हानियों की जोखिम शामिल होती है। इसमें स्फीति के कारण होने वाले परिवर्तन भी शामिल किए जाते हैं।

परिचालन जोखिम

बैंक की क्रियाविधि, प्रक्रिया की कमी, श्रमशक्ति, प्रबन्धन आदि से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से होने वाली हानि को परिचालनात्मक जोखिम कहते हैं। यदि बैंक में प्रक्रिया ठीक ढंग से काम न करे तो कोष एवं मूल्य का नुकसान होता है इसमें मानव, प्रक्रिया, प्रबंध, व्यवसाय, प्रणाली व बाह्य जोखिमों को शामिल करते हैं।

शोधक्षम्य जोखिम

जब कोई बैंक अपने ऊपर देयताओं का समय पर भुगतान करने की स्थिति में नहीं रहता तो ऐसी स्थिति को शोधक्षम्य जोखिम कहते हैं और धीरे–धीरे वह दिवालिया होने की ओर अग्रसर हो जाता है।

विनिमय दर जोखिम

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिन–प्रतिदिन विभिन्न देशों की मुद्राओं की विनिमय दर में परिवर्तन होता रहता है। जो बैंक विदेशी विनिमय व्यवसाय में लगे होते हैं उनको विनिमय दर के उतार–चढ़ाव के कारण यह जोखिम बनी रहती है।

लिखित जोखिम

बैंकों द्वारा लिखतों के आधार पर बाजार में बहुत से लेन–देन किए जाते हैं और बाजार की स्थितियों में उच्चावचन होने के कारण विभिन्न लिखतों के मूल्य भिन्न–भिन्न मूल्य व्यक्त करते हैं जोकि लिखत जोखिम का एक रूप है।

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

इस जोखिम के अंतर्गत बैंकों में किए जाने वाले कंप्यूटर, दूरसंचार प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के कारण उत्पन्न होने वाली जोखिम शामिल की जाती है। बैंकों में कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन और उसके कार्यकलाप उपयुक्त होने चाहिये अन्यथा परिचालगत व्यय बढ़ जायेंगे और बैंक की प्रतिष्ठा की भी हानि होगी। बैंक को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उचित प्रकार की तकनीक को भी ध्यान रखना होगा कि बैंक के आंकडों का संचालन किसी प्राकृतिक विपदा से जैसे – बाढ़, भूकम्प, तूफान, तोड़–फोड़ की कार्यवाही से भी प्रभावित न हो। सूचना एवं प्रौद्योगिकी परिचालन में सदैव जोखिम बनी रहती है कि मामूली–सी भूल होने पर लेन–देन की संपूर्णता एवं यर्थाथता प्रभावित हो सकती है। धोखेबाज लोगों की गलत कार्यवाही से बैंक की यांत्रिक प्रणाली में धोखाधड़ी करने की जोखिम भी बनी रहती है। बैंक में बहुत से संवेदनशील आंकड़े भी होते हैं जोकि ग्राहकों एवं प्रबंधकों से संबंधित हो सकते है किंतु संचार नेटवर्क से गुजरने के कारण इनकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है जो कि बैंक की प्रतिष्ठा एवं ग्राहकों के लिए जोखिम पूर्ण हो सकता है। यदि अकस्मात कंप्यूटरों एवं इलेक्ट्रानिक मशीनों के परिचालन में व्यवधान हो जाए तो उससे बैंकिंग व्यवसाय को हानि हो सकती है और ग्राहकों में भी असंतोष पनप सकता है।

विलयन जोखिम

बैंकों में जहां छोटी–छोटी शाखाओं के माध्यम से से कारोबार किया जाता है वहीं आज वैश्वीकरण के इस युग में निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों द्वारा बड़ी–बड़ी शाखाओं के माध्यम से कारोबार किया जाने लगा है। जो भी बैंक धाटे में अथवा परिचालनगत व्ययों की अधिकता के कारण अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं उनका विलयन अथवा अधिग्रहण बड़े बैंकों के साथ कर दिया जाता है। छोटे बैंकों के समक्ष प्रतिस्पर्धा के रूप में जोखिम बनी रहती है। सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के

सुधारों हेतु गठित विभिन्न समितियों ने भी बैकों के विलयन की संस्तुति की है।

मानव–संसाधन जोखिम

बैंकों द्वारा समय–समय पर भरती एवं चयन प्रक्रिया अपनाकर विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को सेवा प्रदान की जाती है और इसके पश्चात उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है परन्तु बैंक के सामने सदैव यह जोखिम बनी रहती है कि विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति बैंक छोड़कर किसी अन्य संस्था में सेवारत हो जाते हैं। मानव संसाधन जोखिम के अंतर्गत हड़ताल, तालाबंदी, श्रमिक असंतोष, आपसी विवाद, अभिप्रेरणा की कमी, कार्य के अनुकूल अयोग्यता, सामूहिक त्यागपत्र, कार्य की दशाओं का अनुकूल न होना शामिल किये जाते हैं।

कानूनी जोखिम

वैसे तो बैंक अधिनियम में दिये गए प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करते हैं किंतु समय एवं जनता की मांग के अनुरूप सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, अथवा अन्य किसी शीर्ष संस्थान द्वारा प्रावधानों अथवा कानूनों में परिवर्तन समय–समय पर किए जाते हैं अतः बैंकों से सामने इस तरह के कानूनी परिवर्तन की जोखिम हर समय बनी रहती है। जैसे ऋणों के वसूली संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन, विभिन्न समस्याओं से संबंधित न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णय आदि।

आपदा जोखिम

कुछ जोखिम इस प्रकार की होती हैं जो बैंकों के नियंत्रण से बाहर होती है और जिनका पहले से भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। किसी देश के साथ युद्ध होना, कोई प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न समुदायों में आपसी संघर्ष होना।

विनियमन जोखिम

सरकार द्वारा समय–समय पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, विलयीकरण, अविलयीकरण, निजीकरण किया जाता है अतः यह जोखिम बैंकों तथा संस्थानों के सामने बनी रहती है और अब तो जो भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक खोले जा रहे है उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियम अथवा कानून नियमित रूप से लागू होते हैं।

अन्य जोखिम

उपर्युक्त जोखिमों के अतिरिकत बैंकों के सामने कुछ अन्य जोखिम भी बने रहते हैं जिनमें कर जोखिम, राजनैतिक जोखिम, अपराध जोखिम, बाजार जोखिम, तकनीकी जोखिम, भौतिक जोखिम, व्यवस्थापक जोखिम, अनुपालक जोखिम, सार्वभौमिकता का जोखिम आदि हो सकते हैं। आज के इस बदलते परिवेश में बैकों के सामने निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण ऐसी चुनौतियां है जिनके लिए बैंकों को तैयार रहना होगा और स्वयं को समय के अनुरूप ढालना होगा।

जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता

हमारी बैंकिंग व्यवस्था में जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो बैंकों को मूल उद्देश्य लाभप्रदता से दूसरी ओर मोड़ा गया था किंतु वर्ष 1991 से जब से वित्तीय सुधार की प्रक्रिया लागू की गई तो भारतीय बैंकिंग अपने पुराने उद्देश्य एवं व्यापारिक स्वरूप को लेकर लौटी है। इसमें बैंकों का मूल्यांकन, पूंजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्तियों की दर, पूंजी पर प्रतिफल, प्रति कर्मचारी लाभ आदि मानदंडों के आधार पर होने लगा है। यह बात स्वाभाविक भी है कि आज कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, लाभप्रदता में उच्चावचन, आकस्मिकताओं आदि का बैंकों को डटकर मुकाबला करना पड़ रह है जिसको अन्य व्यापारों की तरह जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन बनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है इसके लिये यह आवश्यक है कि बैंक अपने व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों को तलाश कर उनके प्रभावशाली प्रबंधन हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें जोकि आज के युग में बैंकों को निश्चित मानदंडों को प्राप्त करने के लिऐ आवश्यक है।

बैंकों को अपने प्रभावशाली एवं कुशल संचालन के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह भविष्य में होने वाली जोखिमों का पता लगाये और समय रहते आवश्यक कार्यवाही करें तभी वह किसी विशिष्ट जोखिम पूर्ण घटना के कारण होने वाली हानि पर प्रतिबंध लगा सकता है। कोई भी बैंक किसी जोखिम को एक बार टालकर निश्चित नहीं हो सकता जबकि उसे जोखिमों के प्रति तो हमेशा सचेत रहना होगा और बार–बार आने वाली जोखिमों के प्रति पूर्वानुमान लगाने होंगे तथा समय–समय पर जोखिमों के प्रबंध के प्रति नई–नई जोखिम प्रबंध पद्धतियां अपनानी होंगी। जैसे– नकदी का निर्धारण करते समय चुकौतियों एवं जमा राशियों का पूर्वानुमान, मौसमी आवश्यकताओं का निर्धारण एवं भविष्य में कमी अथवा वृद्धि की आवश्यकता का निर्धारण। अतः बैंक को अपनी लाभप्रदता को बनाए रखने हेतु जो भी जोखिमें उसके सामने आए उसके प्रबंधन की आवश्यकता है अन्यथा बैंक बदलते आर्थिक वातावरण में स्वयं को नहीं टिका पायेंगे।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम बैंक को अपनी जोखिमों की पहचान करनी होगी। बैंक जोखिमों की पहचान विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं जैसे विगत बाजारों की प्रवृत्तियों एवं रूझानों द्वारा, साक्षात्कारों द्वारा, अधिकारियों एवं कार्यचारियों के व्यक्तिगत अनुभव द्वारा, विश्लेषकों द्वारा, भविष्य के लिये बनाई गई विभिन्न योजनाओं के द्वारा आदि। यदि बैंकों का आकार बहुत छोटा है तो जोखिमों का आकलन करना उतना ही मुश्किल होगा तथा बड़े बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन पहचान समिति गठित करके भी भविष्य में उत्पन्न होने वाली जोखिमों को तलाशा जा सकता है। बैंकों में जोखिम की पहचान का कार्य आजकल बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य में

भी शामिल किया गया है कि वह सम्भाव्य जोखिम को भांपकर हानि से बचने का प्रयास करें।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत जब जोखिमों की पहचान कर ली जाए तो जोखिमों का मापना अथवा उसका निर्धारण करना बैंक के लिये अति आवश्यक है। जोखिम मापन के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में होने वाली संभाव्य हानि का अनुमान, प्राथमिकता और उसके समय का निर्धारण करना है। बैंक को विभिन्न स्तरों पर अपनी जोखिमों की गणना करनी चाहिये जैसे बैंक ऋण देयता, तरलता का निर्धारण, ब्याज दर, पूंजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन, साख का विकेंद्रीकरण एवं अंशधारियों को प्रदान की जाने वाली आय का स्तर आदि। सभी बैंक इनके निर्धारण हेतु अलग–अलग विधियों का सहारा लेते हैं इस हेतु बैंक को अतिरिक्त सतर्कता की भी आवश्यकता है।

जोखिम प्रबंधन

भारत में उदारीकरण की व्यवस्था लागू होने के बाद सम्पूर्ण बैंकिंग परिवेश में आमूलचूल परिवर्तनों की शुरुआत की गई है। बैंकिंग प्रणाली में नए–नए उत्पादों के आने से तीव्र प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास और वित्तीय निरीक्षण तथा उसकी पद्धति में भी बदलाव किया है ताकि बैंकिंग कारोबार में विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखकर प्रचलित प्रणालियों के विश्लेषण पर बल दिया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऋण जोखिम प्रबंधन के बारे में निर्देश निर्गत किए हैं जिससे बैंक आस्ति देयता प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रबंधन का कार्य सफलतापूर्वक कर सकें। इस संदर्भ में कई बैंकों ने जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन भी किया है जो बैंक निदेशक मंडल को अपनी आख्या प्रेषित करते हैं। बैंकों द्वारा इन समितियों का गठन भी किया है जो बैंक द्वारा इन समितियों को निम्न कार्य सौपें गए हैं –

- बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन।
- दिन प्रतिदिन बैंकों में होने वाले कार्यों से संबंधित सभी प्रकार के जोखिमों का मूल्यांकन।
- बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों द्वारा विवेकपूर्ण मात्रात्मक निवेश एवं ऋणों की देखरेख करना।
- बैंक के शीर्ष स्तर पर विभिन्न जोखिमों के लिये नीतियों एवं कार्य प्रणालियों को विकसित करना।

जोखिम प्रबंध एवं भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

भारतीय रिजर्व बैंक ने समय–समय पर बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन के लिये दिशा निर्देश जारी किए है जिसमें कहा है कि उच्च प्रबंध तंत्र को ऋण जोखिम प्रबंध की ओर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिये तथा सभी बैंकों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति निर्धारित कर, ऋण जोखिमों के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण को सम्मिलित करना चाहिए। बैंकों में व्यापक जोखिम रेटिंग व्यवस्था भी तैयार करनी चाहिये जो ऋण और निवेश संबधी निर्णयों के संबंध में प्रतिपक्षों के विविध जोखिम कारकों के एकल संकेत निर्देशक के रूप में कार्य करे। रिजर्व बैंक में ऋण और बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिये आस्ति देयता प्रबंध समिति और ऋण नीति समिति के क्रियाकलापों को समन्वित करने की आवश्यकता भी जतायी है और अपेक्षा की है कि निवेश सूची की गुणवत्ता का मूल्यांकन तुलन–पत्र तैयार करने की तारीख के आस–पास करने की बजाय उसका मूल्यांकन लगातार करते रहना चाहिये। जोखिम मूल्यांकन में निवेश सहित प्रदत्त सभी वित्त शामिल किये जाने चाहिये। तुलन–पत्र में न आने वाले वित्त के संबंध में चालू और सामान्य ऋण वित्त का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये। बैंकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे अन्य बैंकों को प्रदत्त वित्त का केन्द्रीकृत विहंगावलोकन उपलब्ध करने के लिए उपयुक्त ढांचा तैयार करें, आंतरिक आधार विकसित करने का प्रयास किया जाये जो प्रतिपक्षी देश विशेष को ऋण देने की जोखिम का ध्यान रखे। तरलता जोखिम पर नियंत्रण रखने के लिए सभी बैंकों को अंतर बैंक उधारों, विशेष रूप से मांग निधियों, क्रय निधियों, स्थायी आस्थियों के लिये स्थायी जमाराशियों, तुलनपत्र में न आने वाले वायदों, स्वैप निधियों आदि की सीमाएं निर्धारित करने के बारे में भी कार्य योजना तैयार करनी चाहिये। किसी बैंक विशेष तथा बाजार संबंधी संकट के परिप्रेक्ष्य में अपनी चलनिधि स्थिति का मूल्यांकन करें और चलनिधि संबंधी स्थितियों में अचानक प्रतिकूल बदलाव आने पर उससे निपटने के लिए बैंक की योग्यता के बारे में आपातकालीन योजना बनाएं तथा ब्याज दर जोखिम के मूल्यांकन के लिए आवधिक दृष्टिकोण को अपनाएं। बैंकों के समक्ष आने वाले बाजार जोखिम से निबटने के लिए स्पष्ट अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिचालन करने वाले बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे आर्थिक पूंजी का अनुमान लगाकर और उसे बनाये रखने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया विकसित करें और इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वे मध्यावधि ऋण नीति का भी सहारा लें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम प्रबंध संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश, जोखिम मानदण्डों को निर्धारित करने और जोखिम प्रबंध और नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने का शुरुआती उत्तरदायित्व निदेशक मंडल पर डालने की बात कही गई है जबकि समन्वित जोखिम प्रबंध को लागू करने का दायित्व जोखिम प्रबंध समिति को अथवा बैंक के उन सर्वोच्च कार्यपालकों की समिति को जो कि बोर्ड को सूचित करते हैं सौंपा जा सकता है। ऋण की स्वीकृति से वितरण तथा अनुवर्ती प्रतिक्रियाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने

के लिए एक उच्चस्तरीय ऋण नीति समिति गठित करने की सलाह भी रिजर्व बैंक द्वारा दी गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि एक स्वतंत्र ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की स्थापना करें जो बोर्ड/ऋण नीति समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों तथा विवेक सम्मत सीमाओं का लागू करने तथा उनके अनुपालन पर निगरानी करने का कार्य करेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा यह भी सलाह दी गई है कि बैंकों के बीच तुलनपत्रों की मदों का आकार अलग–अलग और विविध प्रकार का है। अतः न तो यह संभव है और न ही यह आवश्यक होगा कि वे एक समान जोखिम प्रबंध प्रणाली अपनाएं। जोखिम प्रबंध ढांचे का स्वरूप ऐसा होना चाहिये कि जो बैंक के कारोबार के आकार तथा जटिलताओं के जोखिम संबंधी दर्शन, बाजार की अवधारणा तथा पूंजी के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखकर बैंक की अपनी आवश्यकता के अनुरूप हो अतः बैंक अपने परिचालनों के प्रकार और आकार के अनुरूप अपने जोखिम की अवधारणाओं के अनुसार अपनी स्वयं की प्रणालियां विकसित कर सकते हैं किंतु उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि रिजर्व बैंक द्वारा इस दिशा में जारी दिशानिर्देश को ध्यान में रखें।

समय की मांग को देखते हुए आज समेकित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता सभी विभागों द्वारा महसूस की जाने लगी है। बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को सुदृढ़ करने और पूरे संगठन के दृष्टिकोण से विकसित किए जाने की आवश्यकता है तो कि किसी संगठन की तैयारी, प्राथमिकताओं और विभिन्न घटकों को लागू करने के लिये आवश्यक प्रयासों के स्तर पर निर्भर करता है। अतः एक सुविकसित जोखिम प्रबंधन परिवेश के लिए सतत् प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी जिससे समय के साथ–साथ सुधार करने होंगे और प्रबंधकीय निर्णय एवं संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए समेकित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को तैयार करना होगा। अधिक जोखिम जहां आधारभूत आर्थिक सूचकों के प्रतिकूल जाने पर बैंक के अस्तित्व पर प्रश्न लगा सकता है। वहीं कम जोखिम उठाने का अर्थ होगा कि प्रबंधन नीतियों के कारण पूंजी संभाव्य लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं है। किसी भी संगठन में जोखिम को तभी नियंत्रित कर सकता है जब उसके सदस्य उसे नियंत्रित करना चाहें। इस प्रक्रिया में नियंत्रण की भूमिका अहम् होती है अतः बैंकों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अपने संगठन, अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित कर प्रभावी रूप से लागू करे अन्यथा उनका अस्तित्व ही खतरे में चला जायेगा। ❑

(लेखकद्वय वाणिज्य विभाग साहू जैन कालेज, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश में क्रमशः वरिष्ठ प्रवक्ता एवं शोध छात्र हैं।)

Aspiring for M.E. or M.Tech from a prestigious institution?

BRILLIANT'S POSTAL COURSES FOR

GATE 2005

SUBJECTS OFFERED • Computer Science & Engg. • Information Technology • Electronics & Comm. Engg. • Electrical Engg. • Instrumentation Engg. • Mechanical Engg. • Production and Industrial Engg. • Civil Engg. • Geology & Geophysics • Mathematics • Physics • Chemistry • Engg. Sc. (Engg. Maths, Electrical Sc., Materials Sc., Solid Mechanics, Fluid Mechanics, Thermodynamics) • Life Sc. (Chem., Biochem., Microbiology)

Two of Brilliant's students have secured the No.1 rank in GATE 2003.

With 70 ranks above the 99th Percentile and 471 ranks above the 90th Percentile, a whopping 674 of our students were successful in GATE 2003.

Aspiring for
Junior Research Fellowship?
Want to be a
University / College Lecturer?

Be guided by Brilliant Tutorials

CSIR-UGC NET
JRF/L EXAM
June & Dec '04

UGC NET
JRF/L EXAM
June & Dec '04

SUBJECTS OFFERED
• Chemical Sciences
• Mathematical Sciences
• Physical Sciences
• Life Sciences
The course is a comprehensive, extensively researched package covering your subject of specialisation. 8 sets of study material cover the syllabus thoroughly while a Doubt Letter Scheme allows you to clarify doubts with our professors.

SUBJECTS OFFERED
• Economics • Commerce
• History • English
The course covers all the requirements of Papers I, II, III(A) and III(B) of the subject of your specialisation. 8 sets of study material cover the syllabus thoroughly while a Doubt Letter Scheme allows you to clarify doubts with our professors.

AIEEE 2005

Your gateway to the National Institutes of Technology

All the Regional Engineering Colleges have been upgraded to National Institutes of Technology and accorded the status of Deemed Universities. And, admission to all of them, as well as to many other institutions of specialized engineering education, will be on the basis of the AIEEE [All India Engineering Entrance Examination].

Now, who can equip you for success in this highly competitive exam, better than Brilliant Tutorials – a 30-year veteran who has helped produce thousands of winners and hundreds of top-rankers in competitive entrance exams all over India.

Course Highlights:

• 8 sets of lesson material and assignments • 3 Postal Tests in each subject • A ready-reference compendium of important formulae, equations and data in Maths, Physics and Chemistry • 4 National Sit-down Tests at 25 centres across the country • 4 Home-based Mock Test Papers • Doubt Letter Scheme

Admission open, Write, call or fax for free prospectus.

BRILLIANT® TUTORIALS

Box: 4996-YOH 12, Masilamani Street, T. Nagar, Chennai-600 017.
Ph: 24342099 (4 lines) Fax: 24343829 e-mail: enquiries@brilliant-tutorials.com

ADMISSION ALSO OPEN FOR THE FOLLOWING POSTAL COURSES FROM BRILLIANT
• IIT-JEE 2005, 2006 & beyond • MBBS Ent. 2005, 2006 & beyond
• MBA Ent. 2005 • MCA Ent. 2005 • IAS 2004 • IES 2005
• AMIE Section A, B Exams. June '04, & Dec. '04 • GRE • TOEFL • BANKING
• GEOLOGISTS' Exam. 2004

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रगति पथ पर

○ जी. माधवन नायर

चालीस साल पहले, नवम्बर, 1963 की एक दोपहर को पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए तिरुअनंतपुरम के पास थुम्बा से अमेरिका में बना दो चरणों वाला, नाइक–अपाचे राकेट जोर की गड़गड़ाहट करता हुआ अनंत आकाश की ओर बढ़ा था। राकेट 9 मीटर लंबा और 700 किलो वजन का था। यह 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था।

8 मई, 2003 को भारत का भू–समतुल्य कालिक उपग्रह प्रक्षेपणयान जीएसएलवी ने उड़ान भरी, जो 414 टन वजनी और 40 मीटर लंबा था। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से छोड़ा गया था। यह जीएसएलवी की दूसरी सफल उड़ान थी। जब इसने 1820 किलोग्राम भार के प्रयोगात्मक संचार उपग्रह, जीएसएटी–2 को निर्धारित कक्ष में एकदम सही तरीके से स्थापित किया, तब भारत सगर्व कह सकता था कि उसने भू–समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता हासिल कर ली है। इससे पहले केवल 5 देश ही यह कारनामा कर पाए थे।

अगर हम अतीत की ओर निगाह डालें, तो निश्चय ही यह जानकर संतोष होता है कि पिछले चार दशकों में जटिल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर महारत हासिल करने की दिशा में भारत काफी आगे बढ़ आया है। जीएसएलवी में अभी भी रूसी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन का उपयोग किया जाता है, लेकिन स्वदेशी इंजन का भी सफल परीक्षण कर लिया गया है। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के तैयार हो जाने के बाद, हमारा जीएसएलवी भू–समकालिक अंतरण कक्षा में 2500 किलोग्राम के उपग्रह स्थापित करने वाले जीएसएलवी के एक नए स्वरूप को विकसित करने का काम शुरू किया जा चुका है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत काफी आगे बढ़ आया है।

इस बीच भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, वीएसएलवी ने अक्टूबर, 2003 में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से सातवीं बार सफल उड़ान भेज कर अपनी विश्वसनीयता को एक बार फिर सिद्ध कर दिया। इसने 1360 किलोग्राम वज़न की भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, 'रिसोर्स सेट–1' को 821 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय सौर–समकालिक कक्षा में स्थापित किया।

रिसोर्स सेट–1, इसरो द्वारा प्रक्षेपित अब तक का सबसे उन्नत और भार वाला दूरसंवेदी उपग्रह है। यह भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह शृंखला का 10वां उपग्रह है। इसमें तीन कैमरे लगे हैं। पहला कैमरा उच्च रिज़ोल्यूशन कैमरा है, 5.8 मीटर जितनी छोटी वस्तुओं के चित्र खींच सकता है। दूसरा मध्यम रिज़ोल्यूशन वाला कैमरा है, जो 23.5 मीटर जितनी छोटी वस्तुओं की तस्वीरें ले सकता है। तीसरा कैमरा 50 मीटर या अधिक की वस्तुओं की तस्वीरें खींच सकता है। विभिन्न स्पैटियल रिज़ोल्यूशन वाले कैमरों तथा कई विद्युत–चुम्बकीय स्वैक्ट्रल बैंडों में चित्र उपलब्ध कराने वाले 'रिसोर्स सेट–1' से दूरसंवेदी अनुप्रयोगों, विशेषकर फसलों, वनों, सूखा आकलन, बाढ़ मानचित्रण और शहरी नियोजन पर निगरानी रखने के प्रयोगों में काफी वृद्धि होगी।

पूर्णतया मानचित्रण अनुप्रयोगों के

सचिव, अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर

लिए, एक अन्य दूरसंवेदी उपग्रह, कार्टोस्टैट–1 को 2004–05 में प्रक्षेपित करने की योजना है। सरकार ने एक राडार इमेजिंग उपग्रह, रिसैट के डिजाइन और विकास की भी मंजूरी दे दी है। यह उपग्रह रात में भी और दिन में भी तस्वीरें लेने के अलावा बादल घिरे आसमान से भी तस्वीरें उतार सकेगा। इस तरह इससे खराब मौसम के बावजूद फसलों और बाढ़ की स्थितियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

पिछले साल इन्सैट प्रणाली में तीन और उपग्रह जुड़ गए। अत्यंत उन्नत बहु–उद्देश्यीय उपग्रह, इन्सैट–3ए अप्रैल, 2003 में छोड़ा गया। उड़ान भरते समय 2950 किलोग्राम भार वाला, इन्सैट–ए इसरो द्वारा बनाए गए उपग्रहों में सबसे भारी है। यह उपग्रह दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम विज्ञान सम्बन्धी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इससे जहाजों, विमानों और यहां तक कि व्यक्तियों का पता लगाने में मदद मिलती है, बशर्ते कि उनके पास आवश्यक रेडियो बीकन हों। सितम्बर, 2003 में, इन्सैट–3ई का प्रक्षेपण किया गया जिसका उद्देश्य दूरसंचार और प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराना था। एक और प्रायोगिक संचार उपग्रह, जीसैट–2 मई 2003 में छोड़ा गया। विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों में लगभग 130 ट्रांसपोंडरों की क्षमता वाली यह इन्सैट प्रणाली पर मौसम विज्ञान संबंधी यंत्र भी हैं और यह एशिया–प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है।

इन्सैट अनुप्रयोगों का कई नई क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है। दूरदराज के और ग्रामीण अस्पतालों को कई सुपर विशेषज्ञता वाले अस्पतालों से जोड़ने वाला दूर–चिकित्सा नेटवर्क, ऐसी ही एक पहल है। दूर–चिकित्सा से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों को विशेषज्ञ डाक्टरी सलाह लेने में मदद मिलती है। यह सलाह, आमतौर से शहरों तक ही सीमित होती है। शैक्षणिक उद्देश्यों से, एक विशेष उपग्रह, एडुसेट को 2004 में छोड़ने की योजना है।

2003 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधान मंत्री ने चंद्रमा पर जाने के लिए एक वैज्ञानिक मिशन, चंद्रयान–1 की घोषणा की थी। वर्ष 2007 में शुरू किए जाने वाले इस मिशन में अपने ही प्रक्षेपणयान, पीएसएलवी से अंतरिक्ष यान छोड़ने की योजना है। यह अंतरिक्ष यान दो साल तक 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा के चक्कर लगाएगा और चंद्रमा की सतह का वास्तविक और रासायनिक मानचित्रण करेगा। चंद्रयान–1 से भारतीय वैज्ञानिक बिरादरी को चंद्रमा के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे हमारी प्रौद्योगिक क्षमताओं को उन्नत करने में मदद भी मिलेगी और नई पीढ़ी के लिए नक्षत्रीय अनुसंधान में चुनौतीपूर्ण अवसर भी उत्पन्न होंगे।

भारत, न केवल अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी क्षमताएं प्राप्त करने में आगे बढ़ रहा है, बल्कि राष्ट्रीय विकास से जुड़े विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उसके उपयोग की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। साथ ही, चंद्रयान–1 की घोषणा से ब्रह्मांड की खोज के हमारे प्रयासों को एक नया बल मिला है। ❑

(पत्र सूचना कार्यालय से साभार)

अमर शहीद

राजगुरु भगत सिंह सुखदेव

इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया
ताकि हम स्वाधीन रह सकें।
इनकी याद हमारे दिलों में हमेशा अमिट रहेगी।

कृतज्ञ राष्ट्र इन वीर सपूतों को उनके बलिदान दिवस पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

डीएवीपी 2003/861

ज्ञान-सागर

→ कीट वर्ग के सभी जीवों में सबसे तेज आवाज सिकेडिडी (cicadidae) कुल के नर कीट की होती है। इसके कंपन करने वाले अंगों से 7,400 कंपन प्रति मिनट की आवाज निकलती है, जो आधा किमी. दूरी से भी सुनी जा सकती है।

→ न्यूट्रॉन बम के द्वारा केवल जीव–जन्तुओं का विनाश होता है इससे मकानों आदि को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।

→ मंगल (Mars) ग्रह रात्रि में लाल रंग का दिखाई देता है।

→ संसार की सबसे ऊंची झील तिब्बत की ठिसी सिकरू है जो तिब्बत के पठार पर 18.284 फीट ऊंची है।

→ तुर्की की लेक बॉन (लवणता 338 प्रतिशत) विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है।

→ समस्त पृथ्वी पर वर्षा का वार्षिक औसत 97 सेमी. है।

→ रोमन कैथोलिक, धर्म के अनुयायियों की संख्या 1,06,18,96,000 है जो विश्व में किसी और धर्म के अनुयायियों से अधिक है।

→ मिस्र के पिरामिड, राजपरिवार के मकबरे जिसमें मिस्र के मृत फराह के शव सुरक्षित हैं की संख्या 70 है, यह पिरामिड मिस्र के 1200 वर्षों के इतिहास के साक्षी हैं।

→ कल्पना चावला को भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त है।

→ मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। कोशिका की खोज रावर्ट हुक ने 1665 में की थी सामान्य कोशिका की माप 3 से 30 माइक्रोन तक होती है। (माइक्रोन = 1/1000 मिलीमीटर)

→ देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह में है। इसका नाम हिमिस है और यह 3,550 वर्ग किमी. में फैला हुआ है।

→ देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अण्डमान निकोबार के अण्डमान जिले में है। इसका नाम साउथ वटन है और यह 0.03 वर्ग किमी. में फैला हुआ है।

→ संघ गाय (थामिन हिरण) पूरे विश्व का सबसे दुर्लभ हिरण है जो बहुत कम संख्या में मणिपुर में पाया जाता है। इसे डांसिंग डीयर भी कहते हैं।

→ फाल्को पेरेग्रिनस (Falco Peregrinus) नामक बाग पक्षी सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है जो लगभग 370–380 किमी. प्रति घण्टे की गति से उड़ता है।

→ क्यूबा में पाई जाने वाली ईस्काइनोमिनी हिस्पिडा नामक लकड़ी सबसे हल्की लकड़ी होती है। इसका अपेक्षित घनत्व 0.044 और द्रव्यमान केवल 44 किग्रा. प्रति घन मीटर होता है।

→ विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अल्वटी कनाड़ा का वफेलो नेशनल पार्क है जो सन् 1922 में निर्मित हुआ था और जिसका क्षेत्रफल 45480 वर्ग किमी. है।

→ ड्रैको (Draco) भारत मलेशिया, वर्मा आदि देशों में उड़ने वाली छिपकली है। इसे उड़ने वाला ड्रैगन भी कहते हैं।

→ लिली की एक विशिष्ट किस्म रैफ्लेसिया ऑरनॉल्डी (Refflesia Arnoldi) के फूल दुनिया में सबसे बड़े फूल माने जाते हैं। इनका व्यास लगभग 91 सेमी. और द्रव्यमान 7 किग्रा. होता है।

→ यूनेस्को/लओरियल पुरस्कारों से सम्मानित होने वाली पांच महिला वैज्ञानिकों में भारत की इंदिरा नाथ भी है।

→ विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन तथा जापान के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान पर भारत बरकरार है।

→ वृहस्पति सौरमण्डल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है, सूर्य से इसकी औसत दूरी 77,82,98,400 किलोमीटर व व्यास 1,40,000 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान 1.8×10^{27} किग्रा. व घनत्व 1.3 ग्राम प्रति घन सेमी. है।

→ प्रकाश का वेग निर्वात में 3×10^{3} मीटर/सेकण्ड होता है जो 1,86,000 मील/सेकण्ड के तुल्य है।

→ एक चन्द्र दिवस (Lunar day) पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है।

→ वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है।

→ चन्द्रमा पर वायु मंडल व चुम्बकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता है।

→ नॉट समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक है।
1 नॉट = 1,852 मीटर/घण्टा।

→ 2650 ई.पू. मिस्र में प्रथम पिरामिड (आरोही पिरामिड) का निर्माण हुआ।

→ 2500 ई.पू. सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ।

→ 214 ई.पू. चीन की महान दीवार का निर्माण हुआ।

→ आस्ट्रेलिया एक मात्र ऐसा देश है जिसने तीन बार विश्व कप क्रिकेट (1987, 1999 और 2003) पर कब्जा किया है।

→ क्रिकेट पिच की लंबाई 20.11 मीटर (22 गज), गेंद की परिधि 20.79 से 20.8 सेमी., गेंद का भार 155 से 168 ग्राम, बल्ले की लम्बाई 96.5 सेमी., बल्ले की चौड़ाई 22.9 सेमी. तथा भार लगभग 2 पौण्ड होता है।

→ विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित तेल डिपो (समुद्रतल से 11,500 फुट से अधिक ऊंचाई पर) लेह में स्थापित है।

→ 1 मार्च, 2002 को अर्चना सुंदर लिंगम, केंद्रीय जांच ब्यूरो की पहली महिला सह–निदेशक नियुक्त की गई।

→ कैलिफोर्निया का जनरल थरमैन नामक वृक्ष विश्व का सबसे विशाल वृक्ष है। 85 मी. ऊंचा यह वृक्ष कैलिफोर्निया के सिकुआ नेशनल पार्क में है।

(संकलन – प्रबीर कुमार)

धर्म – एक तात्विक विवेचन

❍ आभा श्रीवास्तव

धर्म हमारी चेतना का वह स्वरूप है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में मानव समाज से यदि धर्म को निकाल लें तो क्या बचा रहेगा? पशुओं के एक वृहत दल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। शास्त्रों में कहा गया है –

आहार निद्रा भय मैथुनं च समानमेतत्
पशुभिः नराणाम्
धर्मो हि तेषांमधिको विशेषः धर्मेणहीनः
पशुभिः समाना।।

धर्म शब्द की व्युत्पत्ति धृत्र धारणे धातु से हुई है अतः धर्म वही है जिसमें धारणा शक्ति हो। वास्तव में धर्म जीवन का दर्शन है, जीवन के शाश्वत मूल्यों का संवरण करने वाला तत्व है। वैशेषिक सूत्र में कहा गया है "यतोभ्युदयनिश्रेयसांसिद्धिः स धर्मः" अर्थात् धर्म मानव मात्र में अभ्युदय निश्रेयस् का साधन है। वस्तुतः धर्म सिद्धान्तों, रूढ़ियों एवं कर्मकांड का विषय नहीं है न तो हम परम्परागत विश्वासों को ही धर्म कह सकते हैं क्योंकि ये तो प्रेम और मैत्री की भावना को दूषित करते हैं जबकि 'धर्म' प्रेम, सौहार्द, मैत्री, करुणा का अनुभव करता है। धर्म सार्वभौमिक होता है वह किसी देश या काल की सीमा में बद्ध नहीं होता है। वह न हिंदू होता है न मुसलमान न सिख न इसाई। उसकी नीति में उत्पीड़न या असहिष्णुता का स्थान नहीं होता वह तो सूर्य और चन्द्र की भांति बिना किसी भेदभाव के मानवता का साक्षात्कार करने के लिये सहायता देने में ही केन्द्रित होता है।

शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकान्तिक सम्पत्ति नहीं है। प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ और अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री–पुरुष को जन्म दिया है। मानवमात्र का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म भाव से तद्रूप हो जाना। समस्त धर्मों का समस्त संप्रदायों का आदर्श एक ही है। जिस प्रकार गंगा विशिष्ट गुणों एवं देश काल के आधार पर विष्णुपदी, जाह्नवी, भागीरथी आदि नामों से अभिहित होती है किन्तु शैत्य पावनत्व में उसकी यथार्थता में कोई अंतर नहीं आता। नाम भेद से स्वरूप भेद नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार सारे प्रतिरोधों के उपरांत भी

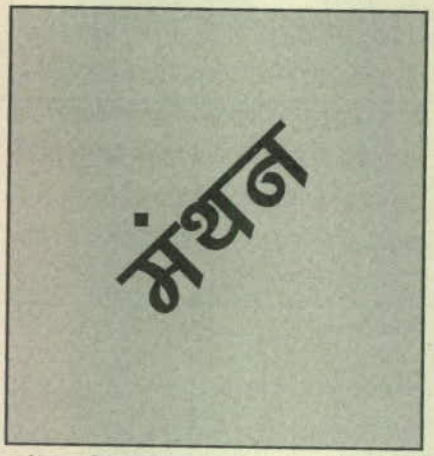

प्रत्येक धर्म की पताका उन्हीं ऋतों को दोहराती है – सहायता करो, दया और प्रेम करो, समन्वय और शांति का प्रयास करो क्योंकि धर्म ऋतु है, वह अपरिवर्तनशील है।

एक बार की बात है एक ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे अचानक उनकी दृष्टि एक डूबते हुए बिच्छू पर पड़ी। ऋषि के हृदय की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने उसे बचाने के लिये अपनी अंजली में उठा लिया और तट की तरफ बढ़े पर यह क्या बिच्छू ने डंक मार दिया और वह ऋषि के हाथों से छूट पुनः जल में गिर पड़ा। दयालु ऋषि पुनः उसकी जीवन रक्षा के लिये तत्पर हुए लेकिन बिच्छू तट पर आने के पहले ही डंक मार देता और पुनः जल में जा गिरता। यह क्रियाकलाप जब निरंतर चलता ही रहा तो तट पर बैठे एक मूक दर्शक से नहीं रहा गया वह हाथ जोड़कर ऋषि से बोला बड़ी देर से आपका यह प्रयास देख रहा हूं। आप उसे छोड़ दीजिये डूबने दीजिये। तब ऋषि ने मुस्कुराकर कहा भाई मेरे जब यह जन्तु अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो क्या मनुष्य होकर मुझे अपना धर्म छोड़ देना चाहिये?

दुख का विषय तो यह है कि आज धर्म अपने मूल अर्थ को खो चुका है। धर्म के नाम पर हम जिसे जानते हैं वह है हमारा अंधविश्वास, हमारी रूढ़ियां, हमारे कर्मकांड, हमारे वहम। कालचक्र ने राजनीति, समाजनीति के साथ दुरभिसंधि की और धर्म ने अपनी मूल चेतना का त्याग कर दिया। प्राणविहीन उसकी काया भिन्न–भिन्न आश्रय पाकर अपने आश्रय दाताओं के अनुरूप परिपुष्ट होती रही। हर धर्म की अपनी पुस्तकें अपने मंदिर और अपने धर्माचार्य होते हैं। वे पाप और पुण्य की शृंखला में जकड़कर व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। धार्मिक शिक्षा के नाम पर हमारे मस्तिष्क इन्हीं विचारों से पोषित किए जाते हैं। धर्म के नाम पर पोषित ये कुविचार ही मनुष्य को मनुष्य के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। यही कारण है कि आज हम अपने को हिन्दू मुसलमान पहले मानते हैं भारतीय बाद में। विघटन की यह स्थिति शताब्दियों से चली आ रही सामाजिक, राजनैतिक वर्चस्वताओं से प्रेरित है। वर्चस्व स्थापना की लालसा ने ही विघटन की यह स्थिति उत्पन्न कर दी है। धर्म के नाम पर मिलने वाली आज की शिक्षा हिन्दू बनाती है, मुसलमान बनाती है सिक्ख और इसाई बनाती है मानव नहीं बनाती। आज का धर्म सम्प्रदाय विशेष की बात करता है मानव कल्याण की नहीं।

आज हम जिस धर्म की बात करते हैं वह हमारे भय और विश्वास का सृजन है। हमारी आंतरिक असुरक्षा की भावना ही हमें इस तथाकथित धर्म के प्रति समर्पण, स्वीकरण और अनुकरण को प्रोत्साहित करती है। सत्य तो यह है कि इस प्रकार का धर्म केवल दुख और वैमनस्य ही उत्पन्न करता है। वास्तविक धर्म तो वह है जो हमें मानवता का पाठ पढ़ाए। धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मन्दिर तथा अन्य सहयोगी क्रिया–कलाप धर्म नहीं है वे तो धर्म के गौण अंग–प्रत्यंग मात्र हैं। जिस प्रकार समस्त नदियां नाना मार्गों से होती हुई अंततः सागर में ही विलीन होती हैं उसी प्रकार नाना धर्म भी लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। यदि हम धर्म की मूल चेतना को ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं तो "आत्मवत् सर्व भूतेषु" और "वसुधैव कुटुम्बकम्" की अवधारणाएं हृदय में स्वयं पल्लवित होने लग जाती हैं क्योंकि धर्म शाश्वत है, ऋतु है सर्जनात्मक है आवश्यकता है उसको उसके वास्तविक रूप में पहचानने की।

धर्म का जो भयावह स्वरूप आज हमारे समक्ष है वह हमारी वैचारिक संकीर्णता की प्रतिकृति है इसका निराकरण तभी संभव है जब हम हिन्दू मुसलमान न बनकर 'मानव' बनने का प्रयास करें। दक्ष स्मृति के अनुसार सभी प्राणी सुख की इच्छा रखते हैं सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है। धर्म के दस लक्षण हैं – धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इन्द्रियानिग्रह, धी, विद्या, सत्य एवं अक्रोध। वस्तुतः धर्म को जीवन में उतारने की आवश्यकता है परिचर्चा की नहीं। ❑

अब कोई बेटी बोझ नहीं – झारखण्ड में

○ बबीता रानी जायसवाल

मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 797 कन्यादान कर 18 फरवरी, 2004 को रांची के बिरसा स्टेडियम में 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' की शुरुआत की। शीघ्र ही अन्य जिलों में इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया जाएगा।

विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला है। हमारी जिन्दगी का एक अहम हिस्सा भी है। हमारे देश में जब दो लोग विवाह बंधन में बंधते हैं तो जीवन के अंतिम क्षणों तक एक–दूसरे के हर सुख–दुख में साथ देने का संकल्प लेते हैं।

विवाह बंधन है – दो दिलों का; दो परिवारों का। पर आज विवाह एक अटूट बंधन के रूप में नहीं किया जाता बल्कि एक सौदा बन चुका है और यही कारण है कि आज एक गरीब अभिभावक अपनी बेटी की शादी करने में अपने–आपको बेबस, लाचार और असमर्थ पाते हैं। क्योंकि वे (अभिभावक) अपने आपको इस सौदेबाजी में फिट नहीं कर पाते या यों कह लें – वे इस विवाह मंडी की कीमत नहीं अदा कर पाते।

ऐसे ही गरीब अभिभावकों के लिये झारखण्ड सरकार ने एक योजना बनाई – 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना'। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली कन्याओं का प्रशासन ने चयन किया, लेकिन वर का चयन लड़की वालों ने किया। लड़की पक्ष ने ही विवाह तय किया। दर्जनों जोड़े ऐसे थे – लड़की किसी प्रखण्ड की तो लड़का किसी और प्रखण्ड का। कन्या की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा गया।

देश के किसी भी राज्य में अभी तक इस तरह की योजना देखने को नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 797 कन्यादान कर 18 फरवरी, 2004 को राजधानी रांची के बिरसा स्टेडियम में इस योजना की शुरुआत की। शीघ्र ही अन्य जिलों में इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया जायेगा।

इस तरह की योजना की शुरुआत होने से किसी गरीब की बेटी बोझ नहीं बनेगी।

18 फरवरी, 2004 एक सुखद आतिथ्य का दिन था, रांची के लिये। राजधानी में यह दिन इतिहास बन गया। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की बेटियां भव्य पंडालों में अपने वर के साथ विवाह की रस्में पूरी कीं और सिसकियों के बीच उनकी विदाई हुई। मुख्यमंत्री ने पिता की हैसियत से और उनकी धर्मपत्नी मीरा मुंडा ने मां का फर्ज निभाते हुए इन बेटियों को आशीष दिया। अपनी तरह के इस अलहदा आयोजन से जोड़े गए रिश्ते और मजबूत हुए। वे किसी आम या खास की

'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' के तहत विवाह की रस्में पूरी करते वर–वधु

नहीं, पूरे समाज की बेटियां थीं।

इस कार्यक्रम में सब कुछ चकित करने वाला था एवं अविश्वसनीय था। इस कन्यादान कार्यक्रम में कहीं पइका नृत्य हो रहा था तो कहीं दमकच्छ, कहीं नगाडें बज रहे थे तो कहीं ढ़ाक। 30 सांस्कृतिक मंडलियां विवाह गीत गाने में मग्न थीं। सब अपने में रमे हुए थे। कहीं दुल्हा दुल्हन से बातें कर रहा था तो कहीं विवाह के रस्मों–रिवाजों में घर वाले व्यस्त थे। सभी बड़े उत्साही थे। किसी भी गरीब पिता को अपनी बेटी की शादी के लिये न तो जमीन गिरवी रखनी पड़ी, न घर बेचना पड़ा। न कर्ज लेना पड़ा और न ही गहने गिरवी रखने पड़े। सरकार गरीब लड़कियों के सपने को हकीकत में बदलने के लिये हाजिर थी। इसलिये घरवाले आनन्द मना रहे थे। इस समारोह में सब कुछ सच था, कोई दिखावा नहीं था, कोई छलावा नहीं था और न ही कोई अभिनय था।

रांची के बिरसा स्टेडियम में आयोजित कन्यादान समारोह के पंडाल का दृश्य

वे जिले जहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही हैं।

1. धनबाद
2. बोकारो
3. लोहरदगा
4. पलामू
5. लातेहार
6. पश्चिमी सिंहभूम
7. कोडरमा
8. देवघर
9. हजारीबाग
10. पांकुड़
11. रांची

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिन प्रखण्डों की कन्याओं का चयन किया गया, वह इस प्रकार है :

1.	कांके	–	32	11.	रनिया	–	27
2.	रातू	–	29	12.	मुरहू	–	35
3.	चान्हों	–	26	13.	तोरपा	–	31
4.	मांडर	–	108	14.	कर्रा	–	98
5.	लापुंग	–	40	15.	अड़की	–	10
6.	बुडमू	–	100	16.	खूंटी	–	75
7.	बेड़ो	–	37	17.	बुंडू	–	12
8.	नामकुम	–	46	18.	सोनाहातु	–	09
9.	ओरमांझी	–	18	19.	तमाड़	–	21
10.	अनगड़ा	–	36	20.	शहरी क्षेत्र	–	07

इस शादी में हर जोड़े को पांच हजार रुपये नगद एवं पांच हजार रुपये मूल्य के घरेलू सामान दिए गए। बिरसा स्टेडियम में आयोजित कन्यादान समारोह में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने नवदम्पतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि "इस पंडाल के नीचे आज भारत एक दिखाई दे रहा है। देश में ऐसी अनूठी मिसाल और ऐसा अनूठा उदाहरण आज तक देखने को नहीं मिला।"

झारखण्ड की ऐतिहासिक कन्यादान योजना के तहत विवाह करने वाले जोड़ों में एक दर्जन से अधिक स्नातक थे।

मुस्लिम समाज में सम्भवतः यह पहला अवसर था, जब एक साथ 80 जोड़ों को एक ही छत के नीचे निकाह कराया गया।

सरकार ने अपनी नेकनियति दिखा कर उन गरीबों के हक में एक नेक काम किया जो अपनी बेटियों की शादी करने में अपने–आपको असमर्थ महसूस कर रहे थे।

इस शादी में सूर्य और धरती को पंच–परमेश्वर मानते हुए सभी नेगचार के कार्य पाहनों, पुजारियों, मौलवियों एवं पादरियों की मौजूदगी में सम्पन्न हुए।

राज्य सरकार द्वारा शाही अंदाज में हुई मुख्यमंत्री कन्यादान कार्यक्रम में सभी आने वालों को भोजन भी कराया गया।

शादी के बाद शहनाई वादन के साथ दुल्हनों को अपने ससुराल विदा किया गया। ❑

गर्मी के प्रकोप से कैसे बचें

○ अभय कुमार जैन

गर्मी से लड़ने के लिये शरीर ही नहीं दिमाग भी ठंडा चाहिये, ठंडे दिमाग से आधी लड़ाई वैसे ही जीत ली जाती है। मौसम परिवर्तन के साथ अगर आहार में भी थोड़ा परिवर्तन कर लिया जाए तो कुछेक मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। सर्दी के दिनों में घी, तेल के बने हुए मिर्च मसाले वाले तथा गर्म पदार्थ आसानी से हजम हो जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में नहीं। अतः सर्दी में सेवन की जाने वाली चाय, काफी, वगैरह का स्थान गर्मी में शर्बत, ठंडा, दूध, दही, फ्रूट जूस और आइसक्रीम जैसी वस्तुएं ले सकती हैं। गर्मी के मौसम में शरीर और पेट की गर्मी को शांत करने का सबसे सस्ता और आसान उपाय है – दही का उपयोग। यदि हम दही को अपने भोजन का आवश्यक अंग बना लें तो शरीर को ठण्डक मिलने के साथ–साथ कई और परेशानियों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। मौसमी फलों का उपयोग भी गुणकारी सिद्ध होगा। मसालों की मात्रा मौसम के अनुसार घटती–बढ़ती रहनी चाहिये। जैसे जाड़े में लौंग, इलायची, दाल चीनी, सौंठ वगैरह का उपयोग अधिक किया जाता है लेकिन गर्मी में इनका उपयोग कम करना चाहिए। गर्मी में निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए :

- सुबह उठते ही बिना कुछ खाये–पीये कुल्ला करके या ब्रुश करके एक गिलास ठण्डा पानी मटके का पीना अच्छा रहता है, इससे पाचन शक्ति ठीक रहती है और पेट की गर्मी भी दूर होती है।
- अपने मुंह को पानी से भर लें फिर खुली आंखों पर ठण्डे पानी के चार–पांच छींटे लगाएं। ऐसा दो–तीन बार करें, फिर मुंह के पानी को बाहर निकालें इससे आंखों को ठंडक मिलती है।
- नित्य प्रति नहाने के पश्चात दही की छाछ में भुना हुआ जीरा और नमक मिला कर पीयें। शक्करयुक्त दही या दूध की लस्सी भी ठीक रहती है।

कार्यालय या अपने दिनभर के कार्य के पश्चात् शाम को भी स्नान कर लेना चाहिये। इससे दिन की गर्मी से राहत मिलती है एवं सुस्ती भी दूर होती है।

- सब्जियों को पकाने से पूर्व तथा फलों को खाने से पूर्व अच्छी तरह धो लेना चाहिये। फलों को तो एक दो घंटे पानी में ही भिगोकर रखना चाहिये ताकि उनकी गर्मी कम हो जाए।
- आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिये। न ही भूखे पेट रहना चाहिये, क्योंकि खाली पेट रहने से भी लू लगने का अंदेशा रहता है। बचे हुए बासी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

भोजन के साथ मट्ठा लेने से भोजन शीघ्र पच जाता है। अजीर्ण नहीं होगा और पेट के विकार नष्ट होंगे।

- भोजन में इमली, आंवले की चटनी, कालीमिर्च, जीरा, सेंधा नमक, पुदीना और मिश्री मिलाकर खाना चाहिये। पुदीना, प्याज और इमली का सेवन इस मौसम में अवश्य करना चाहिये। आयुर्वेद के अनुसार प्याज वातविनाशक पित्तशामक और कफनिसारक है। प्याज का सेवन करने से गर्मी में लू लगने का डर नहीं रहता है, हैजा होने से भी बचाव होता है।
- इस मौसम में उपलब्ध ककड़ी, खीरा, पपीता, शहतूत, बेल, मौसमी, नारंगी, तरबूज, आम आदि पित्तनाशक और गर्मीनाशक फलों का सेवन करना लाभप्रद रहता है।
- शाम को भोजन हल्का व सुपाच्य लें एवं भोजन बहुत देर से न करें। 9 या इससे पूर्व कर लेना चाहिये ताकि खाना खाने के बाद कुछ टहलने के लिये भी समय निकाल सकें।
- इन दिनों चाय का सेवन बहुत ही कम अथवा बंद कर देना चाहिये। इसके स्थान पर नींबू, दही, छाछ का प्रयोग अधिक करना चाहिये।
- साधारणतया दिन में सोने के लिए आयुर्वेद में मनाही है किन्तु गर्मी के दिनों में दोपहर में नींद लेने का उल्लेख है। इससे लाभ ही होगा।
- धूप में निकलने से पूर्व पानी अवश्य पीयें, इससे लू लगने का डर नहीं रहता है। तेज धूप में जब भी जाएं तो सिर पर टोपी अवश्य ही लगाएं या तौलिया, मोटा कपड़ा लपेटकर निकलें।
- पसीने के साथ शरीर से नमक निकल जाता है, इस कमी को पूरा करने के लिए नींबू, दही आदि में नमक भी मिला लेना चाहिये।
- दिन भर में एक–एक गिलास करके 15–20 गिलास पानी पीना चाहिये। हमेशा पसीना सूखाकर ही पानी पीना चाहिये। यदि कार्य विशेष में रात को जागना पड़े तो थोड़े–थोड़े समय के अंतराल में ठंडा पानी पीते रहना चाहिये।
- इन दिनों ऐसे कपड़े पहनने चाहिये जो हवा को अन्दर बाहर आने–जाने में सरलता प्रदान करें अर्थात ढीले कपड़े पहनना चाहिये, तंग कपड़े भीतरी गर्मी को बाहर निकलने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। सूती कपड़े पहनें जो कि पसीने को सोंख सकें। नायलोन एवं गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिये।
- बाल छोटे एवं साफ रखने चाहिये। गर्मियों में प्लास्टिक के जूते व चप्पल नहीं पहनना चाहिये। हथेलियों एवं पंजों में गर्मी की शिकायत हो तो मेंहदी लगानी चाहिये।
- रात में ठंडा दूध पीने से लाभ होता है। ❑

RAO IAS

THE MOST POPULAR INSTITUTE FOR IAS AND PCS

14/1, स्टैनली रोड, (लोक सेवा आयोग के सामने), इलाहाबाद फोनः 2601624

हिन्दी माध्यम पत्राचार कोर्स एवं क्लास कोचिंग, छात्रावास उपलब्ध

नक्कालों से सावधान

WE HAVE NO BRANCH AT DEHRADOON

IAS/PCS (Pre & Main) बैच 8 जून से प्रारम्भ

भूगोल विजय कुमार मिश्र

वैकल्पिक विषय (Pre & Main) द्वारा

- नवीनतम परीक्षा प्रणाली के अनुसार विषय की तैयारी
- 500 से अधिक मानचित्रों का अभ्यास
- प्रतिदिन होमवर्क तथा उनका सूक्ष्मता से परीक्षण
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर भरपूर अध्ययन सामग्री
- पांच महीने का गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण
- अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नावलियाँ, नियमित टेस्ट
- सर्वोत्तम शिक्षण परिवेश
- नवीनतम आँकड़ों से सुसज्जित अध्ययन सामग्री

विषय उपलब्ध :- सामान्य अध्ययन और निबन्ध, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र,

विवरण पुस्तिका हेतु रू० 50/- M.O. से भेजें

SATYA

नए प्रकाशन

हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती हैं भाव–भंगिमाएं

○ अखिलेश आर्येन्दु

पुस्तकः **हाव–भाव द्वारा व्यक्तित्व जानिए;** लेखकः प्रकाशकः **भगवती पॉकेट बुक्स, 11/7, डॉ. रागेय राघव मार्ग, आगरा–2;** पृष्ठ संख्याः **132;** मूल्यः **40 रुपये**

हमारे हाव–भाव व्यक्तित्व के आइने सरीखे माने गए हैं। हाव–भाव के जरिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की परख कैसे की जा सकती है, इसे विस्तार से बताती है डॉ. बी.एल.वत्स की (लिखित) पुस्तकः हाव भाव द्वारा व्यक्तित्व जानिए। पुस्तक में लेखक ने हाव–भाव या भाव–भंगिमाओं के जिन मापदण्डों को व्यक्तित्व की परख करने के लिए निर्धारित किया है, वह अमूमन आम जिन्दगी में पाए जाते हैं। पुस्तक में विषय की प्रस्तुति और सामग्री यथेष्ठ है।

व्यक्ति के हाव–भाव और भाव–भंगिमा का मनोविशलेषण एवं अध्ययन सदियों से प्राच्य (पूर्वी) और पाश्चात्य (पश्चिमी) विद्वानों द्वारा किया जाता रहा है। लेखक ने इस बात को भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक 'नाट्य शास्त्र' तक ले जाने की कोशिश की है। पुस्तक के प्राक्कथन में हाव–भाव के विवेचनात्मक इतिहास और 215 भाव मुद्राओं का जिक्र करके विषय को महत्वपूर्ण होने का संकेत दे दिया है। संपूर्ण पुस्तक में छह अध्यायों को रेखाचित्रों के जरिए विस्तार से वर्णित किया गया है।

साधारण तौर पर आम आदमी व्यक्ति का चेहरा और माथे की लकीर (सिलवटों) देखकर व्यक्ति के बारे में मोटा–मोटा अनुमान लगा लेता है। पुस्तक में चेहरा होठ, आंख के भाव और खड़े होने की स्थिति को व्यक्ति के व्यक्तित्व से जोड़ा गया है। इन्हें रेखाचित्र के जरिए समझाकर जनसाधारण की समझ की परिधि (दायरे) में ला दिया गया है। पुस्तक के शुरुआत में लेखक ने अनुभूतिपरक संवाहक. भाव–भंगिमाओं की स्थितियों की गहराई से पड़ताल की है। व्यक्ति के चलने के ढंग, खड़े होने की स्थिति, दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाते वक्त हाथ, पैर, चेहरा और आंखों की दशा (भंगिमाओं) को रेखाचित्र के जरिए पूरी तरह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है।

पुस्तक के दूसरे अध्याय में प्रतिरक्षा, अविश्वास, संदेह, एवं मूल्यांकन के भाव–भंगिमाओं के मापदण्डों की विस्तार से चर्चा एवं सूत्र बताए गए हैं। कुर्सी पर बैठने के ढंग से व्यक्ति की मनोदशा के कितने रूप हो सकते हैं को आकर्षक रेखाचित्र के जरिए समझाया गया है। अध्यापकों, व्यापारियों, नर्सों, वकीलों एवं प्रतिनिधियों के व्यवहार एवं क्रियारूपों से किस तरह का मूल्यांकन हो सकता है, इसे वैज्ञानिक ढंग से बताया गया है। व्यक्ति की भाव–भंगिमा, स्थितियों, कार्यों, घटनाओं और प्रवृत्तियों के मुताबिक बदल जाती हैं। इन्हें पढ़ना सबके बूते की बात नहीं होती, परन्तु असम्भव नहीं होती। यदि हाव–भाव को पढ़ने की आदत दैनिक जीवन में डाल लें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक मूल्यांकन तो सरसरी तौर पर किया ही जा सकता है।

व्यक्ति के आत्मविश्वास, उसकी कमजोरियों एवं आत्मसंयम के बारे में हाव–भाव के जरिए जाना जा सकता हैं। पुस्तक में अध्याय तीन के अन्तर्गत इसे रेखाचित्रों के साथ वर्णित किया गया है। हर प्रकरण का रेखाचित्रों के साथ जिस तरह बेहतरीन संयोजन किया गया है, यह पुस्तक को आकर्षक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। एक आकर्षक रेखाचित्र पुस्तक के पृष्ठ 59 पर कुर्सी, डेस्क या मेज पर बैठने की विभिन्न मुद्राओं के साथ दिया गया है। भारतीय स्त्री–पुरुषों की भाव–भंगिमाओं के अलावा अमेरिका, इटली व ब्रिट्रेन जैसे विकसित देशों की स्त्रियों व पुरुषों के हाव–भाव व भाव भंगिमाओं को भी रेखाचित्रों के जरिए दर्शाया गया है।

व्यक्ति के हाव–भाव एवं शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न भंगिमाएं हमारी विपरीत मनोदशा के अलावा स्वीकृति, प्रेम–याचना, उपेक्षा, निराशा एवं आशा को बखूबी प्रकट करती है। इसके अलावा दूसरों को परेशान करने, डांटने, पीटने और सांत्वना देने के लिए किन भाव–भंगिमाओं की अहम भूमिका होती है, इसे विवेचनात्मक शैली में लिखा गया है। रुचि–अरुचि, आशा–निराशा को शरीर के विभिन्न अंगों से संकेतों के जरिए प्रकट करने की पुरानी परम्परा की चर्चा भी पुस्तक में की गई है।

पारिवारिक संबन्धों, प्रेमी–प्रेमिकाओं और अपरिचित के साथ बनने वाली भंगिमाओं को रेखाचित्रों से दर्शाकर लेखक ने विषयवस्तु को रोचक बना दिया है।

पुस्तक के अन्तिम व छठे अध्याय में व्यक्ति के आस–पास के माहौल, टेलीफोन, करने एवं सुनने, धूम्रपान, बाल संवारने, दरवाजा–खिड़कियां खोलते समय हाव–भाव एवं भावदशाओं की मार्मिकता दर्शाई गई है।

विषय सामग्री और ऊपरी साज–सज्जा और पृष्ठ संख्या की दृष्टि से पुस्तक की कीमत 50 रुपया ज्यादा नहीं है। पुस्तक को विद्वान, शिक्षित–अशिक्षित सभी के लिए जनोपयोगी बनाने का लेखक का प्रयास सराहनीय है। ❑

समीक्षक – अखिलेश आर्येन्दु

वर्ष 2003 में प्रकाशित लेखों की सूची

उद्योग और औद्योगिक विकास

1. ग्रामोद्योग से होगी रोजगार क्रांति की शुरुआत (जनवरी, 2003)
2. भारतीय उद्योग नई छलांग लगाने की तैयारी में (फरवरी, 2003)
3. व्यापारिक बैंकों का उद्योगों एवं कृति में योगदान (सितम्बर, 2003)
4. केबल टी.बी. उद्योग को संगठित करने का प्रयास – कैस (सितम्बर, 2003)
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रासंगिकता (अक्टूबर, 2003)
6. झारखंड में तसर रेशम उद्योग की दशा एवं दिशा (नवम्बर, 2003)
7. अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और भारत का सूती वस्त्र उद्योग (दिसम्बर, 2003)

वन और पर्यावरण

1. पर्यावरण संरक्षण और दसवीं पंचवर्षीय योजना (जनवरी, 2003)
2. वर्मीकल्चर से पर्यावरण – मित्र खाद (फरवरी, 2003)
3. वृक्षारोपण समारोहों में कौन से वृक्ष लगाएं? (अप्रैल, 2003)
4. कुशल गोबर प्रबंधन पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी (जून, 2003)

मुद्रा, बैंकिंग और व्यापार

1. बैकिंग : ग्राहक की संतुष्टि, कारोबार की सफलता (जुलाई, 2003)
2. व्यापारिक बैंकों का उद्योगों एवं कृषि में योगदान (सितम्बर, 2003)
3. भारत में खुदरा बैंकिंग (सितम्बर, 2003)

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

1. आर्थिक सर्वेक्षण : चिंतन और गतिविधियां (अप्रैल, 2003)
2. कॉल सेंटरों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व (सितम्बर, 2003)
3. भारत के आर्थिक विकास में अवरोधक जनसंख्या वृद्धि (जुलाई, 2003)
4. 21वीं सदी की जनसंख्या नीति एवं भारतीय समाज व्यवस्था (जुलाई, 2003)
5. नई धारा के आर्थिक विकास में वित्त क्षेत्र के सुधार (अगस्त, 2003)
6. चेतन समाज के रूप में भारत (अगस्त, 2003)
7. आर्थिक विकास का नया दौर (1999–2003) (अगस्त, 2003)
8. पंचगव्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (दिसम्बर, 2003)

महिला, बालिका और शिशु कल्याण

1. बालिकाओं का बढ़ता यौन–शोषण (मार्च, 2003)
2. नारी अस्मिता और पत्र–पत्रिकाएं (मई, 2003)
3. आर्थिक विकास के नए परिवेश में महिला उद्यमियों का योगदान (अगस्त, 2003)
4. स्त्री सशक्तिकरण : अतीत से आज तक (सितम्बर, 2003)
5. बच्चों के प्यारे–गुलाब वाले चाचा नेहरू (नवम्बर, 2003)
6. बच्चों की भाषा में लिखा गया विज्ञान साहित्य (नवम्बर, 2003)
7. बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति और समाज (नवम्बर, 2003)
8. जहां चाह–वहां राह :
   ग्रामीण बालिकाओं के लिए बेमिसाल उदाहरण–स्व उत्थान (नवम्बर, 2003)

शिक्षा एवं व्यक्तित्व

1. शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की भूमिका (फरवरी, 2003)
2. गरीबी उन्मूलन की दिशा में शैक्षिक रूपांतरण (जुलाई, 2003)
3. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा राष्ट्रीय परिदृश्य (सितम्बर, 2003)
4. मंथन–शिक्षा और साक्षरता (नवम्बर, 2003)

कृषि, जल संसाधन और ग्रामोद्योग

1. ग्रामोद्योग से होगी रोजगार क्रांति की शुरूआत (जनवरी, 2003)
2. भारतीय उद्योग नई छलांग लगाने की तैयारी में (फरवरी, 2003)
3. राष्ट्रीय जल–ग्रिड कितना आवश्यक (फरवरी, 2003)
4. बोल मेरी धरती कितना पानी (अप्रैल, 2003)
5. सिंचाई जल का विवेकपूर्ण उपयोग (अप्रैल, 2003)
6. जहां चाह–वहां राह : संपूर्ण जल प्रबंधन की श्रेष्ठतम मिसाल (अप्रैल, 2003)
7. जल – संसाधन प्रबंध (जून, 2003)
8. जल संकट : कारण और निवारण (जून, 2003)
9. जीवन–जनक जल की उपेक्षा क्यों (जून, 2003)
10. स्वजलधारा : जनता को स्वयं अपनाने होंगे भू–जल समृधि कार्यक्रम (जून, 2003)
11. बंगाल के भू–जल में आर्सेनिक–मानव इतिहास की गंभीरता त्रासदी (जून, 2003)
12. व्यापारिक बैंकों का उद्योगों एवं कृषि में योगदान (सितम्बर, 2003)
13. कृषि पर आयकर – कितना न्यायोचित (सितम्बर, 2003)
14. विस्तार सेवाएं – कृषि विकास की कुंजी (दिसम्बर, 2003)
15. भारतीय कृषि की ज्वलंत समस्या : भूमिक्षरण (दिसम्बर, 2003)

श्रम और रोजेगार

1. उदारीकरण और श्रम सुधार (मई, 2003)

जनसंख्या एवं पंचायतीराज प्रणाली

1. जनसंख्या नियंत्रण का पंचायतीराज माडल (मार्च, 2003)
2. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (अप्रैल, 2003)
3. भारत के आर्थिक विकास में अवरोधक जनसंख्या वृद्धि (जुलाई, 2003)
4. 21वीं सदी की जनसंख्या नीति एवं भारतीय समाज व्यवस्था (जुलाई, 2003)
5. नगरीय जनसंख्या वृद्धि बदलती प्रवृत्तियां एवं समस्याएं (जुलाई, 2003)

अन्य

1. हर गांव को सड़क (फरवरी, 2003)
2. जहां चाह वहां–कहानी रालेगण सिद्धी की (फरवरी, 2003)
3. ज्ञानवान समाज के रूप में भारत (मार्च, 2003)
4. बदलाव की बीहड़ पगडंडियों में भटकता ट्रेड यूनियन आंदोलन (मई, 2003)
5. नारी अस्मिता और पत्र–पत्रिकाएं (मई, 2003)
6. और कुल्हाड़ी चुप हो गई (कहानी) (मई, 2003)
7. मरूस्थल को नंदन कानन में बदलने की योजनाएं (जून, 2003)
8. जहां चाह वहां राह – नीम्बी : अकाल पर जीत की कहानी (जून, 2003)
9. जहां चाह वहां राह – नगालैंड : लोंगलेंग की विकास यात्रा (जुलाई, 2003)
10. भारत के 56 साल (अगस्त, 2003)
11. श्री वाजपेयी का पांच साल का कार्यक्रम (अगस्त, 2003)
12. बोलते जहां पत्थर (सितम्बर, 2003)
13. भारत में खुदरा बैंकिंग (सितम्बर, 2003)
14. सत्याग्रह आश्रम और महात्मा गांधी (अक्टूबर, 2003)
15. कीटनाशियों के जैविक विकल्प (अक्टूबर, 2003)
16. मंथन – संवेदन और प्रेम (अक्टूबर, 2003)
17. कानकुन में एक–दूसरे की चिंताओं को समझने का स्तर बढ़ा (नवम्बर, 2003)
18. उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल की थारू जनजाति (नवम्बर, 2003)
19 अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और भारत का सूती वस्त्र उद्योग (दिसम्बर, 2003)
20. मंथन : सच्चा सुख (दिसम्बर, 2003)

सदस्यता कूपन

❑ नई सदस्यता ❑ नवीनीकरण ❑ पता बदलने के लिए

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता : .....

.....

.....

पिन .....

नवीनीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें ☐

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग,

ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली – 110066,

दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

प्रो० उमाकांत मिश्रा, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–33
संपादक : राजेन्द्र राय

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003–05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi.
पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

अब बाजार में उपलब्ध

संघ एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन हेतु अत्यन्त लाभदायक सामग्री, विभिन्न विश्वविद्यालयों के भारतीय अर्थशास्त्र के प्रश्न-पत्र के लिए भी उपयोगी.

तेरहवाँ पूर्णतः अद्यतन संस्करण 2004

मूल्य : 120.00 रुपए

अतिरिक्तांकों की सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का अंक है और शायद ही अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम का कोई विद्यार्थी ऐसा मिले जिसने यह न पढ़ा हो. प्रतियोगिता दर्पण की परीक्षोपयोगी सीरीज का कोई जवाब नहीं है.

—श्री अजय कुमार मिश्रा
सिविल सर्विस परीक्षा, 2002 में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान पर चयनित

टॉपर्स की राय

आठवाँ पूर्णतः अद्यतन संस्करण 2004

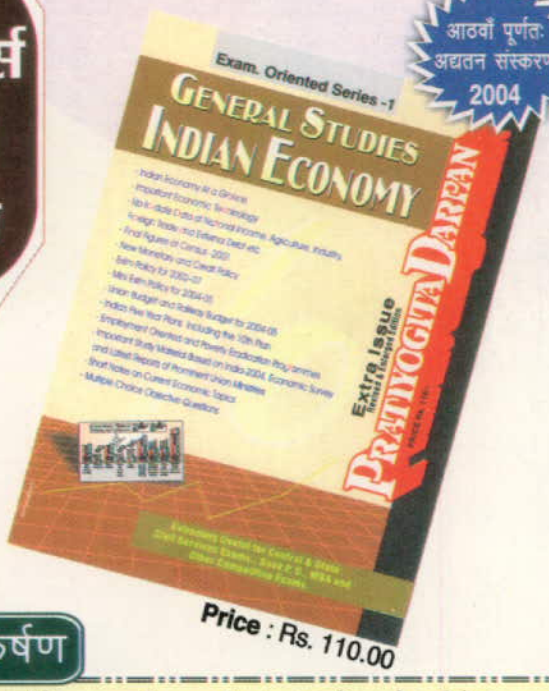

Price : Rs. 110.00

प्रतियोगिता दर्पण के विज्ञान एवं अर्थशास्त्र अतिरिक्तांक काफी उपयोगी हैं. हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय का महत्वपूर्ण संकलन एक ही स्थान पर पा जाते हैं.

—श्री लोकेश कुमार सिंह
सिविल सर्विस परीक्षा, 2002 में हिन्दी माध्यम से तृतीय स्थान पर चयनित

मुख्य आकर्षण

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं–एक दृष्टि में • महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली • राष्ट्रीय आय, कृषि, उद्योग, विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण आदि के अद्यतन आँकड़े • जनगणना-2001 के फाइनल आँकड़े • नई मौद्रिक एवं साख नीति • 2002-2007 के लिए निर्यात-आयात नीति • 2004-2005 के लिए संशोधित मिनी निर्यात-आयात नीति • 2004-2005 का केन्द्रीय बजट एवं रेल बजट • दसवीं पंचवर्षीय योजना सहित भारत की समस्त पंचवर्षीय योजनाएं • भारत में संचालित रोजगारपरक एवं निर्धनता निवारण कार्यक्रम • भारत-2004, आर्थिक समीक्षा तथा प्रमुख केन्द्रीय मंत्रालयों के नवीनतम प्रतिवेदनों पर आधारित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री • सामयिक आर्थिक विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ • महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न.

अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता से सम्पर्क करें अथवा हमें 100 रु. का मनीऑर्डर भेजकर वी.पी.पी. द्वारा प्राप्त करें.

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002 फोन : 2530966, 2531101, 2602653
फैक्स : (0562) 2531940; E-mail : pratiyogita_darpan@sancharnet.in

फोन नं. : दिल्ली 23251866, 23251844, **इन्दौर** 2535892, **पटना** 2300932, **लखनऊ** 2637349, **इलाहाबाद** 2461043, **चरखी दादरी** (01250) 220120, **जयपुर** 2326019, **देहरादून** 2658555, **रायपुर** 2533716, **रांची** 2307374, **मुम्बई** 22075640